खण्ड-346, अंक-10
सोमवार, 7 आश्विन, शक संवत् 1902
(29 सितम्बर, 1980 ई0)

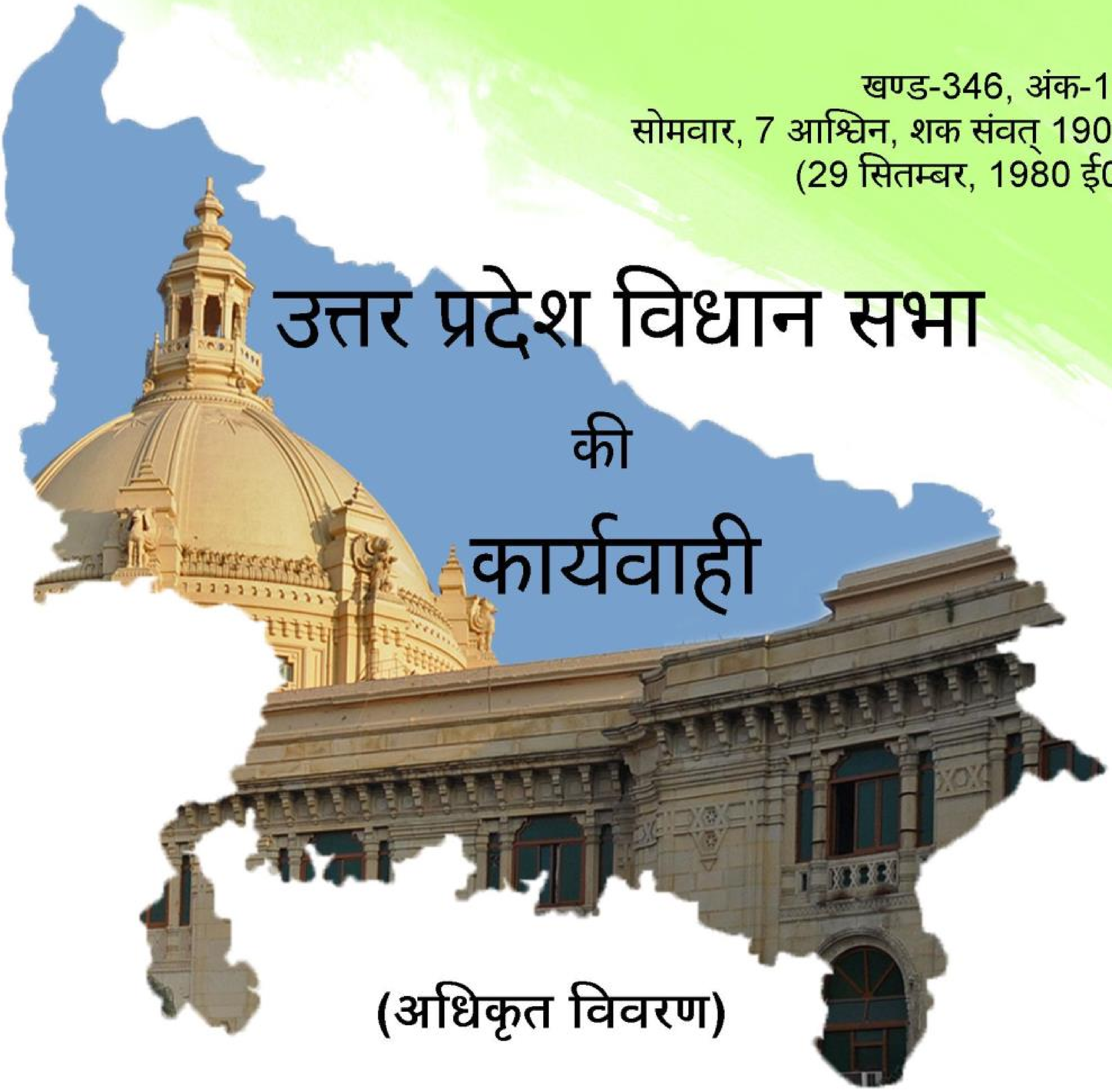

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 346 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1287-1290
प्रश्नोत्तर	1291-1320
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	1321-1322
जनपद बहराइच के अन्तर्गत घाघरा घाट के ठेकेदार द्वारा यात्रियों से अनियमित वसूली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1322-1323
सीतापुर जिले के थानगांव थाने के एस० ओ० के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1323-1324
विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर बुलन्दशहर के ग्राम अहार के निकट महाभारत काल के अवन्तिका देवी मन्दिर के नष्ट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1324
प्रदेश के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने के लिये योजनाबद्ध कार्य-क्रम बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1325
लखनऊ-सीतापुर राष्ट्रीय मार्ग पर अटरिया के पास सड़क टूट जाने से आवागमन ठप्प हो जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना..	1325-1326
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (सदन के पटल पर रखा गया)	1326-1329
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) संशोधन विधेयक, 1980 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	1329
उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर संग्रहण विधेयक, 1980 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	1329
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	1329
देवरिया जनपद में बाढ़ एवं वर्षा से फैली गैस्ट्रो आदि बीमारियों के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन	1329-1330
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	1330
1980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 67--विद्युत् विभाग तथा अनुदान संख्या 123--विद्युत् विभाग--ऋण और अग्रिम (जारी)	1330-1353

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री खैरूल बशर का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1353–1357
1980–81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 67––विद्युत् विभाग तथा अनुदान संख्या 123 – विद्युत् विभाग––ऋण और अग्रिम (ज.र.)	1357–1358
श्री खैरूल बशर का सदन से निलम्बन प्रस्ताव को निरस्त करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	1358
1980–81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 67––विद्युत् विभाग तथा अनुदान संख्या 123––विद्युत् विभाग ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	1358–1389
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	1389
देवरिया जनपद में बाढ़ एवं वर्षा के उपरान्त गैस्ट्रो नामक बीमारी से कई व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	1389–1393
मेरठ नगर में जहरीली शराब पीने से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	1393–1398
नत्थियां	1399–1407

संसद पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 29 सितम्बर, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 7 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—311

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवर मोहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर सिंह नगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भन्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त, श्री उर्फ बालराज (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अलमोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या श्री, (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)

जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेत, श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
निर्मल कुमार श्री (फैजाबाद)
निहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बच्चन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील श्री (लखनऊ)
ब्रजबल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)

मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुंशी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेहदी अलगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, (बाराबंकी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्र, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधे श्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बरेली)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालजी, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)

वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह राना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिवदर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकाउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, (एटा)
हर गोविन्द शर्मा, श्री (सीतापुर)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)

62

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 29 सितम्बर, 1980

तारांकित प्रश्न

*1--श्री राम आसरे वर्मा--

[8-9-80 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3 द्वारा उत्तरित]।

ग्राम पंचायतों के चुनाव की मांग

*2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कृषि मन्त्री से हाल में ही राज्य सरकार को इस आशय का कोई निर्देश प्राप्त हुआ है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव शीघ्र करा दिए जायं ? यदि हां, तो उसके अनुपालन के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

जी हां। ग्राम पंचायतों के चुनाव शीघ्र करा दिये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो निर्देश केन्द्रीय सरकार के द्वारा संदर्भित आपको प्राप्त हुये हैं, वे क्या हैं और ये कब प्राप्त हुये हैं ?

श्री लोकपति--

आपका पत्र और भारत सरकार का निर्देश दोनों एक साथ प्राप्त हुये हैं, जिसमें यह कहा गया है कि चुनाव शीघ्र करा दिये जायेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

किस तिथि को प्राप्त हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य आपस में सीधे प्रश्न नहीं पूछेंगे।

श्री लोकपति--

24-7-80 को।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे जिस तरह से उत्तर दिया गया है कि चुनाव शीघ्र करा दिये जायेंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि चुनावों को तत्काल करा देने में क्या बाधा है और क्या वे 'शीघ्र' को परिभाषित करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, चुनाव के सम्बन्ध में, शासन का जो चुनाव निदेशालय है उनसे बात चल रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

तत्काल कराने में क्या बाधा है ?

श्री लोकपति--

वह तो चुनाव अधिकारी बतायेंगे।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, खेद है कि चुनाव शीघ्र ही करा देने का मामला भी सरकार के विचाराधीन है, जिसकी वजह से अभी तक पिछली सरकार भी ग्राम सभाओं का चुनाव नहीं करा सकी है, तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि अशोक मेहता कमेटी के द्वारा जो संस्तुति की गई थी ग्राम सभाओं के चुनाव के सिलसिले में, उसके सम्बन्ध में क्या शासन ने अन्तिम निर्णय ले लिया है अथवा अभी निर्णय लेना बाकी है ? यदि अभी निर्णय नहीं लिया है, तो किन-किन चीजों पर शासन ने अभी निर्णय नहीं लिया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न बड़ा लम्बा हो गया है।

श्री रियासत हुसैन--

अशोक मेहता कमेटी की रिकमेन्डेशन के ऊपर क्या सरकार ने अंतिम निर्णय ले लिया है या नहीं ? अगर नहीं लिया है तो कब तक लेने का विचार है ?

श्री उपाध्यक्ष--

लेकिन यह इस प्रश्न से कहां तक ताल्लुक रखता है ?

श्री रियासत हुसैन--

ग्राम सभाओं के चुनाव पिछले शासन द्वारा इसलिए नहीं कराये चूंकि अशोक मेहता कमेटी की रिकमेन्डेशन सरकार के विचाराधीन थे इसीलिए मंत्री जी ने कहा कि शीघ्र कराये जाने का विचार है, तो उस पर मेरा प्रश्न है कि क्या अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पर शासन ने निर्णय ले लिया है या नहीं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

अभी निर्णय नहीं लिया है, मामला वैसे ही विचाराधीन है, जैसे पहले रहा है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय मंत्री ने कहा 24-7-80 को केन्द्र से निर्देश आये थे, तो दो महीने के अन्दर मंत्री जी ने इलेक्शन डायरेक्टोरेट को कैसे गियर अप किया ? जो कार्यवाही इस सम्बन्ध में की, वह बता दें ?

श्री लोकपति--

पहली कार्यवाही तो यह हुई कि पंचायतों का समय बीत रहा था 14 सितम्बर, 1980 को उसे 1981 तक बढ़ा दिया गया ताकि चुनाव कराय जायं ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय कृषि मंत्री को किन परिस्थितियों में जरूरत पड़ गई कि पंचायतों के चुनाव के बारे में लिखें ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपना प्रश्न स्पष्ट करें ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

पंचायतों और ग्राम सभाओं के चुनाव, राज्य का मामला है । केन्द्र के कृषि मंत्री को किन परिस्थितियों में लिखना पड़ा? क्या यहां के विधायकों ने कहा या क्या हुआ ? किन परिस्थितियों में कहा कि चुनाव कराये जायं उनको क्या जरूरत पड़ गयी ?

श्री लोकपति--

उनके पत्र में परिस्थितियों का जिक्र नहीं है ।

श्री पंचानन--

इन संस्थाओं का नियमित कार्यकाल कब समाप्त हुआ था ?

श्री लोकपति--

इनका कार्यकाल जून, 1977 में समाप्त हुआ था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत डायरेक्टोरेट को शासन द्वारा कोई निर्देश दिए गए हैं ? यदि हां, तो वह निर्देश क्या है ? क्या इस तरह के निर्देश हैं कि तत्काल चुनाव कराने की तिथियां निर्धारित करें अथवा चुनाव कब तक कराये जायं इसके बारे में भी उनसे विचार विमर्श किया गया है ?

श्री लोकपति--

चुनाव शीघ्र कराने के लिए उन्हें निर्देशित किया गया है ।

श्री मित्रसेन--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो चुनाव की अवधि 1981 तक बढ़ा दी है, तो क्या यह अन्तिम वर्ष होगा और इसमें चुनाव करा दिए जायेंगे या इसे दुबारा एक्सटेंड करेंगे ? आश्वासन दे दें ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह आपका प्रश्न सम्भावनाओं पर आधारित है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

आपने केवल एक कार्यवाही की कि चुनाव की तारीख बढ़ा दी, तो इससे केन्द्रीय मंत्री महोदय का जो डायरेक्टिव था शीघ्र चुनाव कराने का, उसकी पूर्ति नहीं हुई बल्कि उल्टा हो गया। तो क्या इसके अलावा इन चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने को भी कहा या एक ही कार्यवाही की ?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, वह उत्तर माननीय सदस्य ने स्वतः दे दिया। संसद हो रही है और मतदाता सूची तैयार हो रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मंत्री जी का पहला उत्तर था कि उनको शीघ्र चुनाव कराने के लिए निर्देश दिए गए थे, तो क्या पंचायती राज डायरेक्टरेट ने उस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति की है और क्या उसका किसी बात से उसने शासन को अवगत कराया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री लोकपति—

पहले उनकी संस्तुति आई थी कि एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए, ताकि उनको कार्यवाही पूरा करने के लिए समय मिल जाए और कार्यवाही पूरी होने पर प्रयास होगा कि शीघ्र चुनाव करा दिये जायें।

*3—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

[8-9-80 को तारांकित प्रश्न संख्या 8 द्वारा उत्तरित]

उन्नाव जिले के ग्राम सराय मंगली के हरिजनों का कूप निर्माण के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*4—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधिकारी, उन्नाव को मास जून या जुलाई, 1980 में किसी विधायक द्वारा भेजे गए पत्र के साथ कोई ऐसा शिकायती-पत्र मिला है जिसमें ग्राम सराय मंगली, खण्ड सुमेरपुर, जिला उन्नाव के हरिजनों के पीने के लिए कूप निर्माण का कार्य दो वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी अब तक पूरा नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? अब इस कूप का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री लोकपति—

श्री भगवती सिंह विशारद, विधायक के दिनांक 22-6-80 के पत्र के साथ ग्राम सरायं मंगली, विकास खण्ड सुमेरपुर, जिला उन्नाव के हरिजनों का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें हरिजन कूप निर्माण पूरा न होने की शिकायत की गई थी। प्रश्नगत कूप का निर्माण वर्ष 78-79 में स्वीकृत हुआ था। कूप का डहरा खुद गया है तथा गोला बन गया है। कुआं अभी पूरा नहीं बना है। सम्बन्धित पंचायत सेवक के पास दो न्याय पंचायतों का कार्य था। सीमेन्ट की कमी तथा अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण, कार्य पूरा नहीं हुआ। कुएं का निर्माण फरवरी, 1981 तक हो जायेगा।

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कूप निर्माण के सम्बन्ध में, कूप निर्माण न होने के जो कारण बताए गए हैं, वह बिल्कुल सामान्य हैं, तो क्या उसको ध्यान में रखते हुए मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि कूप निर्माण में विलम्ब क्यों हुआ ?

श्री लोकपति--

ग्राम पंचायतों के पास श्रम के बदले अन्न की भी योजना आ गई थी, उस वजह से इसमें कुछ विलम्ब हुआ है और सीमेंट की कमी की वजह से पूरा जड़ा नहीं जा सका ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या इस कार्य को अब तुरन्त जारी करने के आदेश मंत्री जी देने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति--

तुरन्त कार्य इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि कुएं में जल भरा हुआ है, जल उतरने के बाद ही यह कार्य होगा ।

श्री मित्रसेन--

जो धनराशि कूप निर्माण के लिए स्वीकृत होती है, वह उसी वर्ष खर्च हो हो जानी चाहिए, अन्यथा वह लैप्स हो जाती है, तो पिछली धनराशि जो इस पर खर्च नहीं हो सकी, अब इस पर कैसे खर्च होगी, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, वह कैरी फारवर्ड खर्च है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी क्या इस पर विचार करेंगे कि इसका यह भी कारण हो सकता है कि जो रुपया निर्माण के लिए स्वीकृत किया जाता है, वह बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए नाकाफी होता है और उतने में कूप निर्माण कार्य अधूरा रह जाता है क्योंकि मेरी ऐसी जानकारी है कि बहुत से कूप तथा अन्य कार्यों का निर्माण इसी कारण पड़ा हुआ है, तो क्या आप इस कूप निर्माण और अन्य कार्यों के बारे में इस दृष्टि से जांच कराने की कृपा करेंगे ? और यदि यह तथ्य सामने आता है, तो क्या ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि पहले से प्राक्कलन कराकर उतना रुपया पहले ही स्वीकृत कर दिया जाए और उस व्यवस्था को क्या पूरे प्रदेश में लागू करायेंगे ?

श्री लोकपति--

इस मामले में मानक बना हुआ है, उसके अनुसार धनराशि से कुएं का निर्माण होता है । यदि यह मालूम होगा कि कुएं की लागत ज्यादा आती है, तो शासन उस पर विचार करेगा ।

श्री रियासत हुसैन--

इस कुएं के लिए जितना भी सीमेन्ट था वह सब ईश्यू किया जा चुका है और अब यह प्रश्न है कि सीमेन्ट कहां से आए और कुआं कैसे पूरा हो ?

श्री लोकपति--

यह प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि रुपया पूरा खर्च नहीं हुआ है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

कुएं आदि के तमाम निर्माण कार्य सीमेन्ट के अभाव में रुके पड़े हैं, तो क्या मंत्री जी पहले सीमेन्ट की व्यवस्था कराने का कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह इससे सम्बन्धित नहीं है । पहले प्रश्न पढ़िए, फिर उस पर आधारित प्रश्न पूछिये ।

श्री मित्र सेन--

मंत्री जी ने अभी कहा कि इस कुयें के लिए स्वीकृत धनराशि युटिलाइज नहीं हुयी और अभी पैसा अवशेष है, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसके लिए कितने सीमेंट और कितने लोहे के लिए परमिट काटे जा चुके हैं ?

श्री लोकपति--

उस कुयें के लिए 4,750 रुपया स्वीकृत था पर अभी तक 2,300 रुपये व्यय हुए हैं, शेष पैसा व्यय करने हेतु शेष है ।

श्री प्रियदर्शी जतली--

खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं, उनमें व्यापक गड़बड़ियां हुयी हैं, तो मेरी सूचना को सही मानकर क्या माननीय मंत्री जी उनकी जांच कराने की कृपा करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से अलग हो गया । प्रश्न पढ़ कर फिर आप अपने प्रश्न को आधारित कीजिए ?

श्री भगवती सिंह विशारद--

कूप निर्माण योजना के लिए हरिजन स्वयं धनराशि प्राप्त करके कुयें निर्माण कर लेते थे, लेकिन अब यह कार्य विभाग के अधिकारियों ने अपने हाथ में ले लिया है । मान्यवर, पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि मेरे क्षेत्र में भी यही पुरानी प्रथा थी, तो क्या पुरानी प्रथा के अनुसार माननीय मंत्री जी उन हरिजनों को धनराशि दिलाने की कृपा करेंगे ताकि वे अपने कुओं का स्वयं निर्माण करा सकें ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न बिल्कुल सामान्य है और इससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या भविष्य के लिए माननीय मंत्री जी इन कुओं के निर्माण हेतु बजाय विभाग को देने के लिए स्वयं हरिजनों को धनराशि दिलाने की कृपा करेंगे ताकि वे इनका निर्माण स्वयं कर सकें ?

श्री लोकपति--

शासन का ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद--

जो कुयें हरिजनों के लिए निर्माण कराये जाते हैं क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके बनने के लिए कोई समय निर्धारित किया जाता है कि इतनी अवधि में बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री लोकपति--

हैं, श्रीमन्, जैसे वर्ष 1978-79 में 3,515 कुओं की स्वीकृति हुयी थी जिनमें से 2,796 कुयें बन गये हैं और शेष बन रहे हैं । सीमा निर्धारित करने का कोई मापदंड नहीं है कि कितने समय में बन जायेंगे ।

5--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

[18वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

खीरी जिले के ग्राम बघमरा में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत तालाब का निर्माण एवं मजदूरों की मजदूरी का भुगतान

*6--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला खीरी के कुम्भी ब्लाक के अन्तर्गत स्थित ग्राम बघौरा के लगभग 400 निवासियों ने इस शिकायत को लेकर कि उनसे खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत चार महीने तक कार्य लिया गया और मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया और सम्बन्धित बी० डी० ओ० ने उच्च अधिकारियों से मिली भगत कर अनाज हड़प लिया, अगस्त, 1980 के पहले सप्ताह में परगना अधिकारी, लखीमपुर के कार्यालय पर प्रदर्शन किया ? यदि हां, तो मजदूरी के भुगतान हेतु और सम्बन्धित बी० डी० ओ० के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जिला खीरी के कुम्भी ब्लाक में स्थित ग्राम बघमरा में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण का कार्य माह जून/जुलाई, 1980 में कराया गया था । निर्मित कार्यों की मा० समय से करायी गयी थी परन्तु मजदूरों को मजदूरी भुगतान करने के लिए उस समय खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था । फलस्वरूप मजदूरों को मजदूरी भुगतान करने में विलम्ब हुआ । उपरोक्त स्थिति में यह कहना सत्य नहीं है कि सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उच्च अधिकारियों से मिली भगत करके अनाज हड़प लिया गया । अगस्त, 1980 के प्रथम सप्ताह में मजदूरों द्वारा प्रदर्शन किया गया था तथा इस प्रदर्शन में मजदूरों के साथ कुछ अराजक तत्व भी सम्मिलित हो गए थे जिन्होंने मजदूरों को पांच किलो प्रति दिन

प्रति मजदूर खाद्यान्न की मांग करने के लिए भड़काया था । परन्तु शासन के आदेशानुसार मजदूरों को उनके द्वारा किए गए कार्य की माप के आधार पर ही खाद्यान्न का भुगतान किया जाना था । अब मजदूरों को वास्तविक स्थिति समझा दी गई है तथा उनकी मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है । खण्ड विकास अधिकार पर अनाज हड़प लेने का आरोप सिद्ध नहीं हुआ । अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मैं यह जानना चाहता हूं कि कुम्भी ब्लाक के अन्तर्गत बी0 डी0 ओ0 को मजदूरों में बांटने के लिये खाद्यान्न कब दिया गया और कितने ऐसे मजदूर थे, जिनकी मजदूरी देना बाकी है और यह खाद्यान्न किस तारीख को बांटा गया ?

श्री लोकपति--

अगस्त, 1980 में, अंतिम सप्ताह में खाद्यान्न वितरित किया गया ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

कितना खाद्यान्न वितरित किया गया ?

श्री लोकपति--

उनकी मजदूरी के हिसाब से बांटा गया ।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मंत्री जी ने बताया अपने उत्तर में कि कुछ अराजक तत्व सम्मिलित हो गये थे, तो ऐसे लोगों को कोई सजा दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

प्रश्न नहीं उठता, श्रीमन् ।

श्री मित्रसेन--

क्या उस बी0 डी0 ओ0 के खिलाफ कोई शिकायती पत्र मिले हैं, क्या उनकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो क्या शिकायतें थीं और किस अधिकारी द्वारा जांच करायी गयी ?

श्री लोकपति--

कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

खाद्यान्न योजना के सम्बन्ध में आज मेरा एक अतारांकित प्रश्न भी था और जो प्रश्न इस समय है, इसको देखते हुये मेरी यह निश्चित जानकारी है कि खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत तमाम फर्जी पेमेंट हुये हैं, जो सड़कें बनी हुई दिखायी गयी हैं, वे अधूरी हैं, पेमेंट पूरा हो गया है, तो क्या मेरी सूचना को सही मान कर मंत्री जी इसकी किसी उच्च अधिकारी द्वारा इस योजना के अन्तर्गत जितने निर्माण कार्य हुये हैं, सब की जांच करायेंगे और दोषी अधिकारियों को दंडित करेंगे ?

श्री लोकपति---

कई ऐसी सड़कें हैं जिनका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, यह बात सत्य है। मगर यह भी सत्य है कि किसी भी कार्य का भुगतान नहीं हुआ है, जितना कार्य हुआ है उतने का ही भुगतान हुआ है। जो कार्य नहीं हुआ है, उसका भुगतान नहीं हुआ है। माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक बात अगर लिख कर देंगे, तो उसकी जांच अवश्य करवायी जायेगी।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं कि ब्लाक जलालपुर, तहसील अकबरपुर में जो सड़कें मेरे अतारांकित प्रश्न के उत्तर में बतायी हैं, वे बन कर पूरी नहीं हुई हैं और उनका पूरा पेमेंट हो गया है....

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आप उसके बारे में लिख कर कृपया दे दें। वे जांच करा लेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि मजदूरों का प्रदर्शन हुआ। मान्यवर, जब प्रदर्शन हुआ, तो प्रदर्शनकारियों की मांग भी कुछ रही होगी, तो जो प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया, उनकी क्या-क्या मांगें थीं और उनकी मांगों पर किस अधिकारी ने क्या विचार किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, 5 किलो प्रति मजदूर प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाय। यह शासन का आदेश था कि 5 किलो गल्ला दिया जायगा मगर जो मानक बना हुआ था, उस मानक के अनुरूप काम करें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, उनकी जो मांग थी 5 किलो की, उस पर किन-किन अधिकारियों ने विचार किया। क्योंकि मान्यवर, मजदूर-मजदूरी करता है, कहीं-कहीं पर तो ठेकेदार लोग हड़प जाते हैं। जो 5 किलो मजदूरी की मांग थी, उनकी उस मांग पर किन-किन अधिकारियों के द्वारा विचार किया गया, क्योंकि बी0 डी0 ओ0 के खिलाफ तो शिकायत थी ?

श्री उपाध्यक्ष--

उस पर्टिकुलर घटना विशेष के बारे में आप जानना चाहते हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा--

जी हां, मान्यवर। उनकी मांग पर किस अधिकारी ने विचार किया कि उन्हें 5 किलो बैठता है या नहीं ? तो वह कौन सा अधिकारी है, जिसने इस मांग पर विचार किया, पूरे मसले की छानबीन की और इस मसले को निपटाया ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, जो कार्य हुआ था, उसकी नाप हो चुकी थी और नाप के अनुरूप उनको मजदूरी देना था, मजदूरों से यह कहा गया कि आपको 5 किलो मजदूरी लेना चाहिए काम के आधार पर, यही मजदूरों को समझाया गया, जब उनकी नाप हो चुकी थी । नाप का कार्य तहसील और विकास खण्ड और पी0 डब्लू0 डी0 के माध्यम से हो रही थी और उन्हीं के माध्यम से वह नापा गया था और उनका भुगतान कर दिया गया था ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है कि कुम्भी ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम मदौना में जो कार्य हुआ था, उसका भुगतान अगस्त, 1980 में कर दिया था । उस एम0 बी0 में कितने घनफुट मिट्टी उठाने का विवरण दिया था ?

श्री लोकपति--

इस समय इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में, मैं जानना चाहता था कि जब बी0 डी0 ओ0 के खिलाफ शिकायत थी, तो क्या उसके अलावा दूसरे अधिकारी द्वारा जांच कराई गयी और उसके जांच के उपरान्त जांच टैली करती थी ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, यह प्रश्न ही नहीं उठता था । बी0 डी0 ओ0 की अनियमितता की शिकायत नहीं थी । शिकायत 5 किलो की थी ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

मान्यवर, शासन का आदेश यह था कि 15 दिन में मजदूरों को उनके भरण-पोषण के लिए, उनके काम के बदले गल्ला दिया जाना है, लेकिन 4 महीने तक जो उनको गल्ला नहीं दिया गया, इसकी जिम्मेदारी किसकी है ? इस तरह की लापरवाही जो हुयी है, यह कि अधिकारी के जिद के द्वारा हुयी है और क्या उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

लेकिन इस प्रश्न में जिम्मेदारी की बात तो कहीं आयी नहीं । मूल प्रश्न को देखिए ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

मान्यवर, मूल प्रश्न का उत्तर जो माननीय मंत्री जी ने दिया है, उसी को सामने रखते हुए, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार के जो आदेश थे, उनके अन्तर्गत जब गल्ला नहीं दिया गया, तभी यह असंतोष पैदा हुआ और 4-4 महीने तक गल्ला उनको नहीं दिया गया इन सब का उत्तरदायित्व किस अधिकारी पर आता है, और क्या उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति--

यह 4-4 महीने बाद का प्रश्न नहीं उठता । मई-जून में काम किया और अगस्त में उनका भुगतान हो गया ।

श्री रामगोविन्द--

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वे मजदूर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर गये थे तो कौन से अधिकारी के पास गये थे और किस अधिकारी ने उनकी मांगों पर जांच की ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका उत्तर तो आ गया है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, इस प्रश्न की अधिकतर जानकारी मंत्री जी को नहीं है, इसलिए मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित कर दें और इसका उत्तर बाद में दिलवा दें, ताकि मामले की असलियत सामने आ जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें प्रश्न क्या हुआ ?

श्री प्रदीप कुमार यादव--

यही मान्यवर, कि इस प्रश्न का उत्तर पूरा आया नहीं है, इसलिए इसे स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, यह प्रश्न नहीं हुआ ।

श्री मित्रसेन--

प्रदर्शनकारी मजदूर 5 किलो गेहूं या अनाज की मांग कर रहे थे और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि इनकी न्यूनतम मजदूरी 5 रु0 से लेकर 7 50 रु0 तक है, तो उस न्यूनतम मजदूरी के अनुसार गेहूं की कीमत कम थी, जो उन्हें मजदूरी पहले दी जा रही थी । इसलिए वह मजदूर 5 किलो गेहूं की मांग कर रहे थे ?

श्री उपाध्यक्ष--

5 किलो गेहूं काम के मानक के अनुसार दिया गया है, आपने प्रश्न का एक पहलू तो छोड़ दिया और दूसरा पहलू आपने कहा ।

श्री मित्रसेन--

तो कितना मानक निर्धारित किया गया था ?

श्री लोकपति--

100 घन फुट मिट्टी खोदने पर प्रत्येक मजदूर को 5 किलो ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

जब मजदूरों को मजदूरी दी गयी, उस समय मजदूर को कितना-कितना अनाज दिया गया और वह मानक से कितना कम था ?

श्री लोकपति--

जनपद खीरी की जानकारी मेरे पास है, जब वह अनाज बांटा गया तो कम था । लगभग 800 टन था, जो अगस्त के महीन में बांटा गया ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

400 आदमियों ने प्रदर्शन किया, जिनका कहना था कि हमारा अनाज हड़प लिया है, और वह मानक के अनुसार 5 सेर अनाज की मांग कर रहे थे, तो उनको कितना अनाज बांटा गया था ?

श्री लोकपति--

यह मैंने पहले कह दिया श्रीमन्, कि मेरे पास ये सूचनायें नहीं है कि हर व्यक्ति को कितनी मजदूरी दी गई ।

मृतक पशुओं की खाल की सुरक्षा हेतु विचाराधीन योजना

*7--श्री ऊदल--

क्या पशुपालन मन्त्री को जानकारी है कि मरे हुए पशुओं को उठाने एवं उनकी खाल को उतारने वाले का कार्य मेहतरों में करीब-करीब बन्द हो चुका है जिससे करोड़ों रु0 का चमड़ा जमीन के अन्दर मरे पशुओं को गाड़ देने से सड़ जाता है ? क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के निस्तारण के विनियमन का अधिकार यद्यपि ग्राम पंचायतों तथा जिला परिषदों को है परन्तु पशुओं पर स्वामित्व अभी भी पशुस्वामी का ही होता है । पंचायती राज विभाग के मतानुसार जब तक पशुओं पर स्थानीय निकायों का स्वामित्व नहीं हो जाता है तब तक कोई योजना सफल नहीं हो सकती है । अतः पशुओं के शवों को ग्रामीण स्थानीय निकायों की सम्पत्ति बनाने का प्रश्न पंचायती राज विभाग के विचाराधीन है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि पशुओं से खाद प्राप्त होती है वह बहुत महत्वपूर्ण है, पशुओं की हड्डी और गोश्त भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे यहां फासफोरस आरगेनिक की कमी है, क्या माननीय मंत्री जी पशुओं की हड्डी से खाद बनाने के कारखाने जगह-जगह लगाने का विचार करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

विचार किया जा सकता है । हड्डी से खाद बनाने के कारखाने पहले से हैं ।

श्री भीखालाल--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जैसा मंत्री जी ने बताया कि पशुओं पर स्वामित्व पशु मालिक का होता है। अतः ग्राम समाज, जिला परिषद् व क्षेत्र समितियां उसका प्रबन्ध नहीं करती। क्या मंत्री जी को जानकारी है बहुत एसे जिले हैं और विशेष रूप से उन्नाव जिले में जिला परिषद् की तरफ से ऐसे ठेके उठाये गये हैं ? परम्परागत तरीके से उन्होंने इंकार कर दिया इस कार्य को करने से तो जिला परिषद् के द्वारा जो यह ठेके उठाये गये हैं यह किस नियम के तहत ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिला परिषदें ऐसा नहीं कर सकती हैं अगर ऐसा हुआ है तो जांच करा ली जायगी।

श्री रियासत हुसैन--

जैसा माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया। श्रीमन्, पश्चिमी जिलों में और हमारे मुरादाबाद में यह ठेके थान वाइज हुए हैं, जो लोग हैं अपनी जिम्मेदारी पर मरे हुए मवेशियों की खाल उतरवाते हैं, तो क्या माननीय मंत्री इस बात पर पुनःध्यान देने की बात करते हैं कि जिला परिषदें ठेके किस आधार पर देती हैं और किस नियम पर देती हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

कानून के अनुसार जिला परिषदें ठेके नहीं दे सकती हैं।

श्री रियासत हुसैन--

तो क्या इन ठेकों को कैंसिल किया जायेगा सारे सूबों के अन्दर ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इस पर विचार किया जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने जो बात सदन के सामने कह दिया वह बिल्कुल व्यवहार के विपरीत है। मैं समझता हूं कि हर जिला परिषदें हजारों मरे हुए मवेशियों के ठेके देती हैं। हमारे हरदोई में भी यह दिया जाता है। मैं यह जानना चाहूंगा मंत्री जी ने कह दिया कि विचार किया जायेगा और फिर कह दिया कि जिला परिषदों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। दूसरी बात, रियासत हुसैन साहब ने कहा ठेके कैन्सिल किये जायेंगे, तो उस पर विचार किया जायेगा। इसमें कौन सी बात सही है ? किस बात को व्यवहार में यह लायेंगे ? माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे जिला परिषदों के खिलाफ ?

श्री बलराम सिंह यादव--

दोनों ही बातों पर विचार किया जायेगा।

श्री मित्रसेन--

प्रश्न में है कि जिससे करोड़ों रुपये का चमड़ा जमीन के अन्दर मरे पशुओं को गाड़ देने से सड़ जाता है। क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना

बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? तो मान्यवर, जहां पुराने हरिजन मरे हुये जानवरों का चमड़ा निकालने का काम करते थे वह बन्द कर दिया है। अब वहां पशु गाड़ दिये जाते हैं और करोड़ों की क्षति होती है, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है कि पशु गाड़े न जायें, कोई योजना है सरकार के पास ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सरकार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से वर्तमान पशु उपयोग सहकारी समिति को आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना पर विचार कर रही है। इससे प्रदेश के न केवल ग्रामीण शहरी क्षेत्र ही आच्छादित हो सकेगा. बल्कि वर्तमान सहकारी समिति को सुदृढ़ किया जा सकेगा और नई को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। जब यह योजना लागू हो जायेगी, तो जो कमी है वह दूर की जा सकेंगी।

श्री रियासत हुसैन—

मेहतरों ने जो पहले खाल निकाला करते थे अब बन्द कर दिया है, यहां तक कि जो लोग खाल निकालते हैं उनको बिरादरी से बाहर कर दिया है, इससे पशु जमीन के अन्दर गाड़े जाते हैं, इससे राष्ट्र की क्षति होती है, तो क्या मंत्री जी ने इसको ध्यान में रखते हुए कोई योजना तैयार की है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जो समस्या उठाई है, वह सही है। इसका समाधान, जो योजना बन रही है, उसके कार्यान्वित होने के बाद, हो जायेगा।

श्री हरि गोविन्द वर्मा--

मंत्री जी ने बगैर जाने सदन को भ्रम में डाल दिया है। पूरे प्रदेश में मैं नहीं कहता, मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिमी और तमाम जिलों में चमड़े की नीलामी का काम जिला परिषद् करती है। उसके बाद भी मंत्री जी ने यह बात कही, तो मंत्री जी इस बात की जानकारी करके कि बगैर शासन के आदेश के यह काम किया है, उनको दण्डित करेंगे और यदि उनके विभाग के अधिकारियों ने उनको सही सूचना न दी हो, तो उन अधिकारियों को दण्डित करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि इसकी जानकारी करेंगे।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

इस विशेष क्षति को देखते हुए और फासफोरस के कारखाने बन्द हो रहे हैं, जैसे मगरवारा का बन्द है, क्या कानून में कुछ व्यवस्था करेंगे कि वह पशु को गाड़ने के बजाय उनको सौंप दें, इस सम्बन्ध में कोई प्रोत्साहन देंगे, इस पर विचार किया है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

पंचायती राज विभाग कानून में संशोधन करने के बारे में विचार कर रहा है। जो माननीय सदस्य ने भावनायें व्यक्त की हैं उनको कह दिया जायेगा कि उन पर भी वह कानून में संशोधन करते समय विचार कर लें।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ के गुलाब सिनेमा पर एकत्र छात्रों पर कथित लाठी चार्ज

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8 अगस्त, 1980 को सायंकाल लखनऊ स्थित गुलाब सिनेमा पर एकत्र छात्रों के ऊपर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया जिसमें 12 से अधिक छात्र घायल हुए ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा लाठी चार्ज करने का आदेश किसने दिया था ?

वित्त मन्त्री (ब्रह्म दत्त)--

दिनांक 8 अगस्त, 1980 को सायंकाल लखनऊ स्थित गुलाब सिनेमा पर एकत्र छात्रों पर पुलिस द्वारा कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि कुछ छात्र मैनेजर से बात करने गये थे कि सिनेमा के कर्मचारी ब्लैक में टिकट बेच रहे हैं । कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वहां नहीं था । मैंने लेटर लिखा था । कई लड़कों का शिकायती पत्र माननीय मुख्य मन्त्री के नाम था, उसको मैंने अग्रसारित किया था । प्रश्न करने के बाद कोई अधिकारी वहां मौके पर गया । उसने कोई जांच रिपोर्ट तैयार की होगी वह जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या जांच करते समय छात्रों के पत्र को अग्रसारित करने वाले विधायक से कोई बयान लिया गया ? यदि हां, तो वह जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

प्रश्न विधायक के पत्र से संबंधित नहीं है । गुलाब सिनेमा में 'कुर्बानी' चल रही थी । वहां व्यवस्था के लिए पुलिस थी । पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया । छात्रों की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गयी । विधायक का पत्र इस विषय से अलग है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सूचना के बाद कि लाठी चार्ज हुआ, कोई अधिकारी जांच करने गया, यह जानकर कि प्रश्न की जानकारी सही है ? कांस्टेबुल ने रिपोर्ट नहीं लिखाई, कांस्टेबुल के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गयी । इस पर कोई जांच करने गया होगा ? जांचकर्ता की रिपोर्ट क्या है ? यह मैं जानना चाहता हूं ? इससे स्पष्ट हो जायेगा । एक लड़का घायल हुआ । पुलिस का एक आदमी घायल हुआ । यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ । उसका कोई प्रतिवाद नहीं किया गया । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि यह उत्तर सही आया था । यदि दूसरा व्यक्ति जांच करने गया था, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप इसे प्रश्न के रूप में रखें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति दुबारा जांच करने गया था ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

गुलाब सिनेमा के सामने लाठी चार्ज नहीं हुआ । जब प्रश्न की घटना से सम्बन्धित घटना ही नहीं हुई, तो जांच का सवाल ही नहीं पदा होता । विधायक के पत्र का विषय दूसरा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने उत्तर सुना आपका पत्र किसी दूसरे सिलसिले में है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

पत्र में जो बातें लिखी थीं, वह वापस करता हूं । मेरा प्रश्न यह है कि लाठी चार्ज हुआ गुलाब सिनेमा के सामने । जब प्रश्न हुआ, तो शासन से जानकारी प्राप्त की गयी होगी । मैं जानना चाहता हूं कि सिपाही के रिकार्ड में लाठी चार्ज की कोई जानकारी नहीं थी, वही उत्तर है या विधायक के प्रश्न करने के बाद किसी व्यक्ति से जांच कराई गई, वजीरगंज के दरोगा से भिन्न किसी आदमी से जांच करायी गयी । यदि जांच उसी से होगी जिसके खिलाफ सवाल है, उसी आधार पर उत्तर आयगा तो स्थिति स्पष्ट नहीं होगी ।

श्री ब्रह्म दत्त--

यह जो उत्तर दे रहा हूं यह पुलिस अधीक्षक, नगर की सूचना पर आधारित है ।....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यदि कुछ नहीं हुआ, तो एक बात जानना चाहता हूं कि इस घटना का दूसरे दिन समाचार पत्रों में अच्छी खासी हेडिंग के साथ समाचार छपा । अगर घटना नहीं हुयी, तो शासन की बदनामी हो रही है । मुख्य मन्त्री जी ने एक बात कह दी और अखबार में आ गयी, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस घटना का प्रतिवाद क्यों नहीं दिया गया ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, समाचार पत्रों में जो कुछ छपता है, हरेक का प्रतिवाद आवश्यक नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सारे सवाल का जवाब इस तरह से दे दिया मानों वह सिनेमा देखने गये हों और उसका नाम तक बता दिया । माननीय मन्त्री जी से इस बात को कहना चाहता हूं कि पुलिस अधीक्षक, नगर की जांच के आधार पर जो रिपोर्ट आयी, माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि उस रिपोर्ट के आधार पर जवाब दिया जा रहा है, तो अगर पुलिस अधीक्षक ने गुलाब सिनेमा के सामने जो दूकानें होती हैं और तमाम लोग रहते हैं, तो उन लोगों में किसी न किसी का बयान लिया होगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि बयान किन-किन लोगों के लिए गए और क्या-क्या बयान हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, जब लाठी चार्ज हुआ ही नहीं और रिपोर्ट दर्ज नहीं हुयी, तो किसी के बयान लेने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी बार-बार उसी चीज को दोहरा रहे हैं । स्पष्ट प्रश्न है--एस० पी० सिटी ने जब इन्क्वायरी की तो किस-किस के बयान लिए ? उनके बयान क्या हैं, यह प्रश्न है ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि नगर पुलिस ने जो जानकारी की उसके आधार पर जवाब है । इन्क्वायरी के आधार पर जवाब नहीं क्योंकि कोई लाठी चार्ज हुआ नहीं और न कोई रिपोर्ट दर्ज है ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बार-बार गुप्त जी ने सवाल किया । ऐसा लगता है कि बदमाशों के दो गिरोह में जब कोई झंझट होता है, तो पुलिस में रिपोर्ट नहीं दर्ज होती । बदमाश और शरीफों में जब झंझट होता है, पुलिस में जाते हैं । जिस रोज की घटना का जिक्र कर रहे हैं तो क्या कोई ऐसी रिपोर्ट झगड़ा झंझट की थाने में दर्ज हुयी है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, यह तो प्रश्न से संबंधित ही नहीं कि सारी रिपोर्ट की जानकारी लेते । मान्यवर, हम तो प्रश्न से ही सीमित रहेंगे जो कि प्रश्न से संबंधित है ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर सरकार कितनी गलत परम्परा डाल रही है । एक सूचना मिली कि लाठी चार्ज हुआ और अखबारों में प्रकाशित हुआ और एस० पी० ने अपने दफ्तर में बैठकर इसका उत्तर दे दिया कि लाठी चार्ज नहीं हुआ । यह बहुत जरूरी था कि जो अखबारों में प्रकाशित हुआ उसके अनुसार अपनी सफाई करने के लिए एस० पी०, सिटी, को जांच करनी चाहिये थी और उस तरह से कोई जवाब आता तो औचित्य था । लेकिन जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, यह गलत परम्परा है । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि माननीय विधायक राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना को सही मानकर कि लाठी चार्ज हुआ है, और एस० पी० (सिटी) ने अपने दफ्तर में बैठकर माननीय मन्त्री जी को सूचना दे दी कि लाठी चार्ज नहीं हुआ, तो इन दोनों बातों को देखते हुये क्या माननीय मन्त्री जी इसकी दुबारा जांच कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, जब कोई माननीय विधायक मुख्य मन्त्री जी को पत्र लिखेंगे, तो उस पर कार्यवाही सरकारी तौर पर आवश्यक होती ही है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी को इसमें दुबारा जांच कराने में क्या दिक्कत है ?

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री गौरीशंकर एडवोकेट से) इस तरह से नहीं। पहले आप खड़े होते और मेरा ध्यान आकृष्ट करते, तब बोलना चाहिये था।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, चिराग तले अंधेरा हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप तो प्रदीप हैं ही, क्या चिंता है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, वहां पर इस घटना में सिनेमा के शीशे टूटे हैं और पब्लिक ने हल्ला-गुल्ला किया है, तो कौन सा प्रस्टिज का इशू बना लिया है, कहते चले जा रहे हैं कि कोई घटना नहीं हुई, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी फिर से जांच करायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, माननीय विधायकों के पत्र पर विचार करने और उस पर कार्यवाही करने से सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। माननीय विधायक का पत्र है उस पर सरकार की नीति के अनुसार कार्यवाही हो रही है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, पत्र का संदर्भ तो बहुत पीछे रह गया है। माननीय सदस्यों ने जो यहां कहा उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें कौन सा शासन का प्रेस्टिज इन्वाल्व है कि बड़ी बेइज्जती हो जायेगी अगर दोबारा इसकी इन्क्वायरी करायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कहा है कि इस पर कार्यवाही हो रही है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

दोबारा जांच कराने में कौन सी परेशानी है, कौन सी प्रेस्टिज इन्वाल्व है।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैं तो नम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं सभी माननीय सदस्यों की खासतौर से उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूं और पत्र का आदर करता हूं, जो भी सम्भव कार्यवाही है वह हो रही है।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि माननीय सदस्यों के जो पत्र आते हैं उनकी जांच करने में सरकार अपना सम्मान महसूस करती है। जो पत्र गुप्ता जी ने लिखा उसकी जांच कराकर सम्मान उठा रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस वक्त लाठी चार्ज हुआ वहां पर पुलिस का कोई अधिकारी नहीं था कुछ

सिपाही उपस्थित थे। जब तक कोई अधिकारी उपस्थित न हो लाठी चार्ज माना नहीं जायगा, पुलिस वाले लाठी चार्ज करते हैं, तो उसको सरकार कहेगी कि लाठी चार्ज हुआ नहीं।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, लाठी चार्ज की जो परिभाषा कानून में है वह है, उसमें तो मैं नयी परिभाषा कर नहीं सकता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जो छात्र मैनेजर से शिकायत करने के लिए गए कि टिकटें ब्लैक में मिल रही हैं उन लड़कों पर कोई पुलिस ने बल प्रयोग किया, क्या इसकी जानकारी है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

प्रश्न केवल लाठीचार्च और घायल होने का था। न लाठीचार्ज हुआ और न छात्र घायल हुये।

विभागीय प्रतिवेदनों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के आरक्षण कोटे का विवरण दिये जाने की मांग

**2--श्री रियासत हुसैन तथा श्री राम गोविन्द--

क्या राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति 79-80 के सप्तम प्रतिवेदन में जो सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है, के पृष्ठ 3 पर दिनांक 20-4-76 जी० ओ० को सामूहिक रूप से अवहेलना करने के संबंध में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति है उसके अन्तर्गत अब तक किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

समिति के संस्तुति के अनुसार विभागीय प्रतिवेदनों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति का उल्लेख किए जाने की सुनिश्चित करने हेतु शासन के समस्त सचिवों को मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 3793/चालीस-1-15-32-80, दिनांक 28 जून, 1980 जारी कर दिया गया है। उक्त पत्र की प्रतिलिपि, जो समिति के सूचनार्थ भेजी जा चुकी है, सदन के पटल पर रख दी गई है।

दिनांक 23 जुलाई, 1980 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 4363/चालीस-1-15-32-80, द्वारा पुनः शासन के समस्त सचिवों से आग्रह किया जा चुका है कि वह निश्चित रूप से विधान मंडल में प्रस्तुत किए जाने वाले अपने विभागीय कार्य-कलापों सम्बन्धी प्रतिवेदनों में उक्त जातियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति तथा निर्धारित आरक्षण कोटे की पूर्ति की दिशा में की गई कार्यवाही का विवरण दिए जाने की व्यवस्था कर लें।

इन आदेशों के जारी किए जाने के फलस्वरूप समिति द्वारा की गई इस संस्तुति पर, कि दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय, फिलहाल कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1399 पर)

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। प्रश्न स्पष्ट है कि बार-बार 1950-52 से जो0 ओ0 इश्यू हो रहे हैं कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों का परसेन्टेज पूरा हो और उसके पूरा न होने से जो समिति है, उसने अपने 1979-80 के प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से यह सिफारिश किया है कि इस बात की जांच कराई जाय कि शासनादेश 20 अप्रल, 1976 की सामूहिक रूप से अवहेलना क्यों की गई और इसमें जो अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाए जांय उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय। यह समिति की संस्तुति है। 20 अप्रैल, 1976 का जी0 ओ0 जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से था कि 10 जनवरी तक हर विभाग के हेड के पास परसेन्टेज के सम्बन्ध में रिपोर्ट आ जायेगी और 20 जनवरी तक विभागाध्यक्ष सचिवालय में उस रिपोर्ट को भेज देंगे, लेकिन इस पर कार्यवाही नहीं की गयी, तो इसकी जो सामूहिक रूप से अवहेलना की गई है, इसमें पत्र लिखने की क्या जरूरत है? तो मान्यवर, मेरा निश्चित प्रश्न है कि जब मंत्री जी ने एक जी0 ओ0 जारी कर दिया और समिति की फाइंडिंग्स हैं इसी तरह के जी0 ओ0 जारी करने के बाद, समिति की सिफारिश है कि जिन अधिकारियों ने 20 अप्रल, 1976 के जी0 ओ0 की अवहेलना सामूहिक रूप से किया है तो मेरा प्रश्न है सिफारिश के अनुसार किन-किन अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या-क्या कार्यवाही किया है? यदि कार्यवाही नहीं किया है, तो क्यों नहीं?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, उत्तर में स्पष्ट कर दिया गया है और प्रश्न भी स्पष्ट है कि सामूहिक रूप से अवहेलना करने के सम्बन्ध में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की संस्तुति किया है, यह प्रश्न है। इसका उत्तर भी स्पष्ट है। दिनांक 20 अप्रैल, 1976 को शासन ने एक जी0 ओ0 निकाला। आप जानते हैं कि उस समय कौन सा शासन था। 1980 के जून में जी0 ओ0 निकला। बीच में सामूहिक रूप से जो उपेक्षा की गयी उनको सामूहिक दंड प्रजा ने इस देश की जनता ने दे दिया है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, पहली बात तो मंत्री जी यह जान लें कि 20-4-76 को जब यह संस्तुति किया था उस समय मंत्री जी का और इनके दल का शासन था और इनके दल के शासन में 1976 के पहले जो जी0 ओ0 जारी हुये थे उनकी अवहेलना की गयी थी हर विभाग में, उसको देखते हुये समिति ने यह संस्तुति किया था तो प्रश्न उठता है कि 20-4-76 को जो संस्तुति किया था वह पिछली फाइन्डिंग्स पर थी, तो उस समय तक दोषी पाये गये किन-किन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है? 1976 के पहले के अधिकारियों की बात है, बाद की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

समिति की संस्तुति की बात है।

श्री राम आसरे वर्मा--

1976 से पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जातियों के साथ आरक्षण के मामले में जो भेदभावपूर्ण नीति बनी 76 के पहले उसी को ध्यान में रखते हुये यह व्यवस्था की गई थी। आप जानकारी दिलवा दें कि 1976 के पहले जो

दोषी अधिकारी इसमें थे, उन के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई या मंत्री जी यह कह दें कि उनमें कोई दोषी नहीं था ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न पढ़ें । 20-4-76 के जी0 ओ0 की अवहेलना की बात आई और आप प्रश्न में जी0 ओ0 के पहले की बात कर रहे हैं । इस के बाद की बात करें....।

श्री राम आसरे वर्मा--

बाद में या पहले एक ही बात है । बाद ही की बता दें । पहले और बाद, दोनों शामिल हैं । एक शासनादेश मान्यवर, हो रहा है जैसा अभी रियासत हुसन साहब ने कहा कि हर साल 10 जनवरी तक विभिन्न विभागाध्यक्षों के पास पोजीशन पहुंचनी चाहिए और 20 जनवरी तक वही पोजीशन सचिवालय स्तर पर आ जानी चाहिए । इसकी क्या व्यवस्था की गई, यही जानकारी दे दें ?

श्री लोकपति--

श्रीमान्, जो समिति की संस्तुति हैं उन के अनुरूप कार्य कर दिया गया है कि भविष्य में कभी भी इस की अवहेलना न की जाय । जिस युग में हुआ उस का उत्तर मैं दे चुका हूं ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न को राजनीतिक बना दिया मैं समझता हूं यह गंभीर मसला है । किसी की नियत पर शक करने की बात तो मेरे मन में नहीं है लेकिन जितना गंभीर प्रश्न है उसी गंभीरता से....

श्री राम आसरे वर्मा--

यहां राजनीतिक प्रश्न होंगे, पारिवारिक नहीं होंगे....

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

जितना गंभीर प्रश्न है उसी तरह गंभीरता के साथ उत्तर भी आना चाहिए यह मेरा निवेदन है । यह स्पष्ट है कि उस समय की व्यवस्था को देखते हुये कि आरक्षण पूरा नहीं है निश्चित रूप से एक समिति न संस्तुति की कि आरक्षण पूरा हो और जो अधिकारी इस के लिये दोषी पाये जायें उनको दंडित किया जाय । जी0 ओ0 में प्रोविजन है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी जाय । मंत्री जी ने कहा कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, की जा चुकी है । मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन से अधिकारी हैं जिनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गई है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मेरी निश्चित जानकारी है कि जी0 ओ0 में ....

श्री उपाध्यक्ष--

आप की जानकारी से ताल्लुक नहीं रखता....

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

आरक्षण पूरा करने के लिये जिन लोगों ने नेग्लिजेन्स की उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि चरित्र पंजिका में करने का प्राविधान जी० ओ० में है। कौन-कौन से अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई ? इतना गंभीर प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष--

आप उसको प्रश्न के रूप में नहीं रख रहे हैं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मैं जानना चाहता हूं कि आप ने कहा कार्यवाही हो रही है तो क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, कार्यवाही हो रही है। आदेश जारी कर दिये गये हैं कि भविष्य में यह भूल न हो।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं बड़े स्पष्ट रूप से केवल एक बात जानना चाहता हूं। वह 76 का जी० ओ० था। उसके बाद एक प्रश्न हुआ कि वर्ष के अंत में जानकारी मिल जानी चाहिए, सचिवों ने भूल की। जी० ओ० दुबारा जारी कर दिया गया। जितने सचिव हैं सब को जारी कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि जिन 5-6 सचिवों ने पुराने जी० ओ० की अवहेलना की उनके नाम क्या-क्या हैं और विशेष रूप से उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति--

मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह जो उत्तर दिया "मेरे पास इसकी सूचना नहीं है" तो उनकी पत्रावली में न हो लेकिन एक पुस्तक हम विधायकों को हर साल वितरित होती है। उसमें एक चार्ट लग कर आता है कि इस सचिव की सूचना इस तारीख के अन्दर आई, तो मंत्री जी उस पुस्तिका के आधार पर इस बात का पता लगायेंगे कि किन-किन सचिवों ने 76 के जी० ओ० की अवहेलना करने के जघन्य अपराधी हैं और उनके नाम क्या हैं और उनके खिलाफ विशिष्ट रूप से क्या कार्यवाही की ?

श्री लोकपति--

अधिकारी शासन की नीति के अनुसार चलते हैं और जो नीति जिस शासन के दौरान रही उनके अनुरूप अधिकारी चलें। इसलिये कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम गोविन्द--

क्या शासन की नीति यह रही है कि हरिजनों का कोटा पूरा न किया जाय और सचिव शासन की नीति के अनुरूप चलते हैं, इसलिये 76 के पहले का हरिजनों का कोटा पूरा नहीं हुआ ?

श्री लोकपति--

मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है कि 1976 का जो जी0 ओ0 निकला उसकी अवहेलना जिन वर्षों में हुई वह पुनः न हो इसलिये जून, 1980 में यह जी0 ओ0 निकाला गया है और जिनकी नीति के कारण यह हरिजनों का अहित हुआ है उनको जनता ने दण्डित कर दिया ।

अतारांकित प्रश्न

परियोजना निदेशक सह मुख्य विकास अधिकारियों की नियुक्ति

1--मोहन सिंह--

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में परियोजना निदेशक खण्ड विकास अधिकारियों की नियुक्ति होने जा रही है ? यह किस कैडर के होंगे तथा इनका वेतन मान क्या होगा ?

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

उत्तर प्रदेश के अगरा, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, नैनीताल, लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद एवं मेरठ जिले में परियोजना निदेशक सह मुख्य विकास अधिकारियों की तैनाती की गई है । मेरठ जिले को छोड़कर शेष 9 जिलों में पदधारी अधिकारियों द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण किया जा जा चुका है । यह पद आई0 ए0 एस0 संवर्ग के हैं तथा इनका वेतनक्रम रु0 1200-2000 है ।

उन्नाव जिले के जिलाधिकारी का कृषि विभाग के कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी पत्र

2--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या कृषि मन्त्री बतायेंगे कि कृषि निदेशक, उ0 प्र0 को जिला अधिकारी, उन्नाव के कार्यालय से भेजा हुआ अर्द्ध शासकीय पत्रांक 1529/ बिल लिपिक कृषि-80, दिनांक 30 जुलाई, 1980 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पत्र में किन किन पदों के किन-किन व्यक्तियों के भुगतान हेतु कुल कितने रुपये की धनराशि की मांग की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1401 पर)

तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

3--श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री सोमांश प्रकाश--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कितनी सड़कें बनी हैं ? उनकी अलग-अलग लम्बाई चौड़ाई क्या है उन पर अलग कितना अन्य व्यय किया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत 55 सम्पर्क मार्गों का निर्माण हुआ । उनकी कुल लम्बाई लगभग 150 किलोमीटर है । सड़कों की चौड़ाई 20 से 24 फीट के बीच है । विवरण संलग्नक तालिका में दिया है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1402 पर)

कृषि निदेशालय में वैयक्तिक सहायक के पद पर नियुक्ति

4--श्री रामयश सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि निदेशालय, उ0 प्र0 के राजपत्रित वैयक्तिक सहायक (वेतन मान 500-750) के पद पर नियुक्ति का आधार क्या है क्या 1980 में की गयी नियुक्ति में उक्त आधार को अपनाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या 1980 म उक्त पद पर की गयी नियुक्ति को रद्द करके सही आधार पर नियुक्ति किए जाने के लिए निर्देश सरकार तुरन्त जारी करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश के राजपत्रित वैयक्तिक सहायक के पद पर तदर्थ नियुक्ति का आधार प्रधान लिपिकों एवं मुख्य सहायकों में से अनुपयुक्त को छोड़ते हुये ज्येष्ठता है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में कृषि रक्षा केन्द्र एवं कृषि रक्षा इकाइयों की स्थापना

5--श्री सुनील शास्त्री--

क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान समय में पूरे प्रदेश में कितने कृषि रक्षा केन्द्र कार्य कर रहे हैं तथा कितने उपकेन्द्र स्थापित किए गये हैं ? क्या सरकार अत्यधिक पिछड़े ग्रामीण इलाकों में लघु सीमान्त काश्तकारों को सुविधा दिए जाने हेतु प्रदेश में कृषि रक्षा केन्द्रों एवं उप केन्द्रों का विस्तार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्रदेश में 56 कृषि रक्षा केन्द्र तथा 876 कृषि रक्षा इकाइयां स्थापित हैं ।

कृषि रक्षा केन्द्रों अथवा उपकेन्द्रों के विस्तार की फिलहाल कोई योजना नहीं है ।

6--श्री बचन सिंह--

[7वें सोमवार के लिये स्थगित ।]

लघु सिंचाई विभाग के सहायक विकास अधिकारी का स्थायीकरण

7- श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु सिंचाई विभाग में कितने सहायक विकास अधिकारी (अल्प सिंचाई) को समय-समय पर होने वाली

विभागीय परीक्षा पास किए बिना ही परिवीक्षा पर रख कर स्थायी कर दिया गया ? उनमें से कितने लोगों की परीक्षा पास करने के बाद स्थायीकरण की तिथि बढ़ाई गयी और कितने लोगों की नहीं ? और क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

लघु सिंचाई विभाग में 156 सहायक विकास अधिकारी (ल0 सि0) को स्थायीकरण हेतु परिवीक्षा पर रक्खा गया था क्योंकि उन्होंने विभागीय परीक्षा पास नहीं की थी। इनमें 77 ने तो परिवीक्षा अवधि में ही विभागीय परीक्षा पास कर ली। 7 सहायक विकास अधिकारी (ल0 सि0) विभाग छोड़कर चले गये हैं। 25 सहायक विकास अधिकारी (ल0 सि0) ने अभी तक विभागीय परीक्षा पास नहीं की है। एक मामले में स्थायीकरण की तिथि बढ़ाई गयी क्योंकि उन्होंने विभागीय परीक्षा बाद में पास की थी। 46 पुराने मामलों में निर्णय के अनुसार स्थायीकरण की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

8-श्री हरिवंश सहाय--

[15-9-80 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित।]

गेहूं की उत्पादन लागत

9--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विभागीय आंकड़ों के अनुसार गेहूं की उत्पादन लागत मदवार प्रति हेक्टेयर तथा प्रति कुंटल कितनी है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

वर्ष 1980-81 के लिए गेहूं की अनुमानित उत्पादन लागत प्रति हेक्टेयर तथा प्रति कुंतल क्रमशः रु0 2863.00 तथा रु0 136.33 आंकी गई है। मदवार आंकड़े संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1405 पर)

धान की उत्पादन लागत

10--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विभागीय आंकड़ों के अनुसार धान की उत्पादन लागत मदवार प्रति हेक्टेयर तथा प्रति कुंतल कितनी है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

वर्ष 1980-81 के लिए धान की अनुमानित उत्पादन लागत प्रति हेक्टेयर तथा प्रति कुंतल क्रमशः रु0 2861 एवं रु0 114.44 आंकी गई है। मदवार आंकड़े संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1406 पर)

आलू की उत्पादन लागत

11--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विभागीय आंकड़ों के अनुसार आलू की उत्पादन लागत मदवार प्रति हेक्टयर तथा प्रति कुंतल कितनी है।

श्री बलराम सिंह यादव--

आलू की उत्पादन लागत प्रति हेक्टेयर लगभग रु0 8,091.00 तथा उत्पादन व्यय प्रति कुंतल रु0 40.45 पैसे है जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है :--

		रु0 प्रति हेक्टेयर
(1)	मानवश्रम 2/3 दिन रु0 7.00 प्रतिदिन की दर से	1,491.00
(2)	पशु श्रम 30 दिन, रु0 18.00 प्रतिदिन की दर से	540.00
(3)	बीज 20 कुंतल रु0 150.00 प्रति कुंतल की दर से	3,000.00
(4)	खाद एवं उर्वरक	1,600.00
(5)	सिंचाई	360.00
(6)	पौध सुरक्षा	300.00
(7)	देख-रेख	100.00
(8)	भूमि का किराया	500.00
(9)	अन्य व्यय	200.00
	प्रति हेक्टेयर व्यय	8,091.00
	औसत उपज प्रति हेक्टेयर (कुंतल में)	200.00
	प्रति कुंतल उत्पादन लागत	40.45

प्रदेश के राजकीय कृषि फार्मों का क्षेत्रफल एवं हानि तथा लाभ

12--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने राजकीय कृषि फार्म हैं और उनका क्षेत्रफल क्या है ? गत 5 वर्षों में कौन-कौन से फार्म में लाभ तथा कौन-कौन से फार्म हानि मे रहे हैं और लाभ अथवा हानि कितना-कितना रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्रदेश में इस समय 149 राजकीय कृषि बीज सम्बर्द्धन प्रक्षेत्र हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 9917.53 एकड़ है । वर्ष 1974-75 से वर्ष 1978-79 तक लाभ-हानि पर रहने वाले प्रक्षेत्रों की सूची, उन पर हुए लाभ-हानि को दर्शाते हुए, संलग्नकों "क" व "ख" में दी गई हैं ।

13--श्री रामकृष्ण माहेश्वरी--

[7वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

†छापी नहीं गई ।

अगानपुर, जिला बाराबंकी के श्री गोली पासी को भैंस खरीदने हेतु दी गई धनराशि के सम्बन्ध में श्री राम सुमिरन पांडेय का शिकायती-पत्र

14--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मास फरवरी, 1980 को अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा, अगानपुर, विकास खंड दरियाबाद, जनपद बाराबंकी के निवासी गोली पासी को मु0 5000 रु0 बाबत भैंस खरीदने के लिए स्वीकृत हुआ था ? यदि हाँ, तो क्या उसके लिए भैंस को खरीद न कर उसी ग्राम के सर्वश्री अयोध्या प्रसाद गड़रिया एवं छेदू पुत्र कन्धई धोबी की निजी भैंसों पर डी-195, डी-196 डाला गया जिसको रसीद बसन्त पांडे, टिकैत नगर द्वारा फर्जी रसीद विकास खंड में दाखिल कर दी गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्री गोली पासी को भैंस खरीदने के लिए मु0 5000.00 रुपया दिनांक 7-8-79 की बैठक में स्वीकृत हुआ था। उनके द्वारा टिकैत नगर बाजार से दो भैंस 3000.00 रुपया तथा 2000.00 रुपया की खरीदी गई, जिसका भुगतान चेक द्वारा दिनांक 13-2-80 को खंड विकास अधिकारी, दरियाबाद द्वारा विक्रेता श्री बसन्त पांडे, टिकैतनगर को किया गया। इन भैंसों पर लगाए गए नम्बरों पर काटपीट है और वह संदिग्ध है। सर्वश्री अयोध्या प्रसाद गड़ेरिया एवं छेदू पुत्र कन्धई धोबी की निजी भैंसों पर कोई नम्बर डी-195, डी-196 अंकित नहीं है। श्री बसन्त पांडे द्वारा फर्जी रसीद दाखिल करने का कोई प्रमाण नहीं मिला।

15--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस घपले की जानकारी पर श्री राम सुमिरन पान्डे, निवासी अगानपुर, विकास खन्ड दरियाबाद, जिला बाराबंकी ने प्रार्थना-पत्र जिला अधिकारी, बाराबंकी को तथा ए0 डी0 एम0, नियोजन को क्रमशः दिनांक 19 फरवरी, 1980 को तथा 27 फरवरी, 1980 को दिए थे ? यदि हाँ, तो सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्री राम सुमिरन पान्डे, निवासी रायपुर मजरे, अगानपुर विकास खन्ड दरियाबाद ने दिनांक 22 फरवरी, 1980 को एक प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी को तथा बिना तिथि का एक प्रार्थना-पत्र ए0 डी0 एम0 (विकास) को दिया था। इन पर जांच कराई गई। अन्त्योदय कार्यक्रम में अनियमितता बरतने के कारण तीन व्यक्ति दोषी पाये गये। सम्बन्धित ग्राम सेवक को दिनांक 12 जून, 1980 से निलम्बित करके आगे की कार्यवाही की जा रही है। सम्बन्धित खन्ड विकास अधिकारी की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर उन्हें संसूचित करने का आदेश कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा मन्डलायुक्त, फैजाबाद को दे दिया गया है तथा उन्हें उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु न्याय विभाग से परामर्श करके आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि उन्होंने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है। सम्बन्धित पशुधन विकास अधिकारी को आरोप-पत्र आदि देकर नियमानुसार दण्डित किये जाने हेतु आवश्यक प्रमाणों की छानबीन पशुपालन विभाग द्वारा की जा रही है।

वाराणसी मन्डल के राजकीय कृषि फार्मों पर व्यय एवं लाभ

16—श्री ऊदल—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मन्डल में कितने राजकीय कृषि फार्म एवं प्रदर्शन फार्म कहां-कहां हैं ? उनमें पिछले पांच वर्षों में कितना खर्चा मय तनख्वाह, मजदूरी आदि मदों पर आया और कितना उत्पादन हुआ तथा फायदा क्या रहा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वाराणसी मन्डल के अन्तर्गत 12 राजकीय कृषि प्रक्षेत्र हैं जिनकी सूची संलग्न है तथा केवल वाराणसी में एक सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र है ।

वर्ष 1974-75 से वर्ष 1978-79 तक कुल रु0 48,75,866 का खर्चा मय तनख्वाह मजदूरी आदि मदों पर आया और कुल 34,165.36 कुं0 उत्पादन तथा 9,61,445 रु0 लाभ रहा ।

देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 1407 पर ।

एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

17—श्री राम असरे वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 एग्रो में इस समय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कितने लोग कार्यरत हैं और कितने समय से हैं ? क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों को छोड़कर गत चार माह पूर्व अनेक कर्मचारियों की नियुक्ति नियमित रूप से की गयी ? यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं और इस नियुक्ति का औचित्य क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इस समय यू0 पी0 एग्रो में दैनिक भोगी कर्मचारी के रूप में कुल 218 कर्मचारी कार्यरत हैं जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष 1971 से	..	1 व्यक्ति
वर्ष 1974 से	..	3 व्यक्ति
वर्ष 1975 से	..	7 व्यक्ति
वर्ष 1976 से	..	21 व्यक्ति
वर्ष 1977 से	..	55 व्यक्ति
वर्ष 1978 से	..	36 व्यक्ति
वर्ष 1979 से	..	31 व्यक्ति
वर्ष 1980 से	..	64 व्यक्ति
योग	..	218

इन कर्मचारियों को छोड़कर गत चार माह पूर्व अर्थात् अप्रैल, 1980 तक लेखा विभाग की आवश्यकता को देखते हुए 15 कर्मचारियों की नियुक्ति नियमित रूप से की गयी है ।

लाइव स्टाक प्रोडक्शन रिजर्व फार्म, मथुरा के जमादार, श्री सन्नू की मृत्यु एवं उसके बीमा योजना की धनराशि और आश्रित विधवा का कथित प्रार्थना-पत्र

18--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लाइव स्टाक प्रोडक्शन रिजर्व फार्म फार शीप एन्ड गोट, अ.ई0 वी0 आर0 अ.ई0 यूनिट मखदूम, जिला मथुरा में सेवारत जमादार श्री सन्नू की मृत्यु । दिनांक 22 नवम्बर, 1970 को हुई थी किन्तु उनकी आश्रित विधवा को राज्य सरकार द्वारा (दिनांक 1 मार्च, 1976 से) सामूहिक राज्य कर्मचारी बीमा योजना का लाभ अभी तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । उक्त फार्म इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिनांक 1 जनवरी, 1976 से स्थानान्तरित हो गया था, अतः सामूहिक राज्य कर्मचारी बीमा योजना का लाभ दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

19--श्री लल्लू लाल चौहान--

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मृतक की आश्रित विधवा निवासिनी ग्राम बाईपुर, तहसील सदर, जिला आगरा से इस सम्बन्ध में कितने प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुए, उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी तथा सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान उसे कब तक कर दिया जायेगा ।

श्री बलराम सिंह यादव--

कोई भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । स्व0 सन्नू की विधवा को उक्त योजना के अन्तर्गत भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, बरेली के प्रबन्धक, श्री रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव एवं स्टोर कीपर, श्री हीरालाल मौर्य का निलम्बन

20--श्री चेतराम गंगवार--

क्या पशुधन मन्त्री को ज्ञात है कि बरेली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, बरेली के डेरी इंचार्ज ओम प्रकाश सिंह तथा अन्य कई लोगों ने 12-10-79 व 15-10-79 तथा 19-10-79 को तत्कालीन दुग्ध शाला विकास मन्त्री एवं अतिरिक्त जिलाधिकारी, परियोजना, बरेली को दुग्ध संघ के कारखाना प्रबन्धक (श्री रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव) तथा हीरा लाल मौर्या, स्टोर कीपर आदि की अनेक लिखित शिकायतें की हैं और जिनके आधार पर 23-11-79 को अतिरिक्त परियोजना निदेशक ने कथित दोनों अधिकारियों को दोषी पाए जाने पर तत्काल निलम्बित किया ? यदि हां, तो सारी घटना तथा आरोप का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

सर्वश्री रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव, कारखाना प्रबन्धक तथा हीरालाल मौर्य, स्टोर कीपर को जिलाधिकारी, बरेली द्वारा दिनांक 22-11-79 को निलम्बित कर दिया गया है ।

बरेली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, बरेली के डेरी इंचार्ज श्री ओम प्रकाश सिंह की ओर से एक शिकायती पत्र अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना) बरेली को दिनांक 15-0-1979 को प्राप्त हुआ । एक अन्य शिकायती-पत्र कर्मचारीगण दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ बरेली की ओर से अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन) बरेली को दिनांक 24-9-1979 को भेजा गया । इन शिकायती-पत्रों पर अतिरिक्त परियोजना निदेशक, लघु कृषक विकास संस्थान, बरेली ने जांच की । जांच करने पर मालूम हुआ कि वर्ष 1978-79 में बाढ़ पीड़ितों को वितरित किये जाने हेतु दुग्ध चूर्ण के 827 बोरे कलक्टरगंज रेलवे स्टेशन से दिनांक 1-1-1979 को छुड़ाये गये । स्टाक रजिस्टर में 797 बोरों का इन्द्राज किया गया है परन्तु इन्द्राज करते समय स्टाक रजिस्टर में तिथि अंकित नहीं की गई । 797 बोरे दुग्ध चूर्ण का वितरण भी दर्शाया गया है । इसके अतिरिक्त 156 किलोग्राम चूर्ण अर्थात (5 बोरे एवं एक किलो) का इन्द्राज रजिस्टर में बिना किसी आदेशों के किया गया । यह एक सन्देहास्पद स्थिति है कि जब कुल 797 बोरे चूर्ण की प्राप्ति दर्शाई गयी है तब फिर यह 5 बोरा अधिक दुग्ध चूर्ण कैसे बाद में दिखाया गया । प्रारम्भिक जांच के फलस्वरूप सर्वश्री रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव कारखाना प्रबन्धक तथा हीरालाल मौर्य स्टोर कीपर को 30 बोरे दुग्ध चूर्ण गायब करने का दोषी पाया गया और इन्हें जिलाधिकारी बरेली द्वारा दिनांक 22-11-1979 को निलम्बित कर दिया गया । मामले की विस्तृत जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) बरेली द्वारा की जा रही है ।

मण्डलीय विकास निगम के कार्यों एवं पूंजी का विवरण

21--श्री ऊदल--

क्या पंचायत राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने मण्डलीय विकास निगम (कमिश्नरी) राज्य सरकार ने बनाये हैं और इनके कार्यों का विवरण एवं पूंजी का विवरण देने की कृपा करेंगे ? निगम बनने के बाद से विकास कार्यों से सम्बन्धित योजनाएं बनायी गयी, उनको पूरा किया गया ? जो पूंजी उन्हें कर्ज के रूप में सरकार द्वारा दी गयी थी उसे उन्होंने वापस भी किया ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(12 बज कर 18 मिनट)

*श्री चेतराम गंगवार--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, प्रश्नों के सम्बन्ध में । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्नों की ग्राह्यता के एक वर्ग के विषय में । हम लोग तारांकित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

या आप सूचित में अपने प्रश्न देते हैं लेकिन उनको अतारांकित कर दिया जाता है। मैंने अपने प्रश्नों के बारे म यह देखा कि मेरे गबन के प्रश्नों को अतारांकित कर दिया जाता है। आज ही 20 नम्बर पर अतारांकित प्रश्न है जिसमें दो आदमियों को निलम्बित कर दिया गया है, डेरी मैनेजर तथा स्टोर कीपर को। उसका वर्ग चेंज कर दिया गया। पहले भी यह प्रक्रिया रही है कि सदस्य को बतलाया जाता है अगर उसका वर्ग चेंज किया जाता है। माननीय सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व उसकी सूची प्रसारित करते हैं लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि अब उसी दिन हमको पिजन होल में अस्थायी सूची मिलती है, वह एक सप्ताह पूर्व नहीं रखी जाती। मैं आपके कक्ष में मिल कर अपनी दिक्कतें बतला सकता हूं। नियम 46 में लिखा है "अध्यक्ष किसी अल्पसूचित प्रश्न को तारांकित या अतारांकित प्रश्न में तथा किसी तारांकित प्रश्न को अतारांकित प्रश्न में परिवर्तित कर सकेंगे।

परन्तु अध्यक्ष यदि उचित समझें तो तारांकित प्रश्न की सूचना देने वाले सदस्य से अपने प्रश्न को इस वर्ग में रखने का कारण संक्षिप्त रूप से बताने के लिये कह सकेंगे और उस पर विचार करने के उपरान्त अध्यक्ष निदेश दे सकेंगे कि प्रश्न को उस वर्ग में रखा जाय। तो मेरा कहना यह है कि प्रश्नों का वर्ग जो है उसको माननीय सदस्य की राय से ही चेंज किया जायगा या संबंधित मन्त्री की राय से चेंज कर देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न का वर्ग परिवर्तित करने की बात सरकार से पूछ कर नहीं होती। यह अपने विवेक पर होता है। लेकिन जो आपने एक हफ्ते पहले प्रश्नों की अस्थायी सूची की बात कही उस पर विचार किया जायगा। प्रेस में विलम्ब के कारण ऐसा हुआ है। इसलिए हमें दुख है। इस बात पर ध्यान दिया जायगा ताकि आपको अवसर मिल सके, आप अपनी बात हमसे कह सकें। वह गलती सुधारी जायगी।

श्री चेतराम गंगवार--

धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इससे भिन्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप यह कौन से नियम में बोल रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

बहुत संक्षेप में कहूंगा। शायद आप सहमत हो जायेंगे। तीन चार वाक्य में बात कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर इसके बारे में कहना है तो पहले हमारे संज्ञान में बात आनी चाहिए।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जिस प्रश्न को आप ग्राह्य कर दें क्या मन्त्री जी कह सकते हैं कि प्रश्न नहीं उठता। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कृपया सुन लें। मैं यह कह रहा हूं। जो पूरक प्रश्न हम पूछते हैं, आप हमारा नाम पुकार लेते हैं, हम प्रश्न कर देते हैं। उसके बाद माननीय मन्त्री को बुला देते हैं। इसके माने यह हैं कि जो प्रश्न पूंछा गया संगत या असंगत आपने उसको ग्राह्य कर लिया और मन्त्री का कर्तव्य है कि उसका उत्तर दें। उसके बाद किसी मन्त्री को क्या यह कहने का हक है कि प्रश्न नहीं उठता। स्वास्थ्य मन्त्री से तीन प्रश्न करने की अनुमति दिये जाने के बाद और माननीय मन्त्री का नाम पुकारने के बाद, तीन मौकों पर कहा कि प्रश्न नहीं उठता। क्या यह उत्तर देना सही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आज स्वास्थ्य मन्त्री ने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

सामुदायिक विकास मन्त्री की तरफ से स्वास्थ्य मन्त्री उत्तर दे रहे थे। एक बार माननीय हर गोविन्द वर्मा ने प्रश्न किया था। उस पर कहा कि प्रश्न नहीं उठता। एक सवाल किया था, व्याख्या देकर कहा प्रश्न नहीं उठता माननीय गौरी शंकर एडवोकेट ने सवाल किया तो बैठे-बैठे कह दिया कि प्रश्न नहीं उठता। मैं आप पर आरोप नहीं लगाता लेकिन जो तथ्य मेरे सामने आ गये हैं, कार्यवाही में रेकार्डेड हैं। आपके द्वारा माननीय मन्त्री का नाम पुकारे जाने के बाद क्या मन्त्री को अधिकार है। हां, एक विषय में वह कह सकते हैं कि जनहित में उत्तर देना सम्भव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने व्यवस्था मांगी। आपने कहा कि एक अवसर पर बैठे-बैठे कह दिया। जब मैं किसी प्रश्न को ग्राह्य कर लूंगा और मन्त्री को आदेश कर दूंगा कि उठ कर उत्तर दें तो उठ कर ही उत्तर देना है, बैठ कर नहीं देना है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

दो बार खड़े हो कर कहा है। आप कार्यवाही देख लें। कल व्यवस्था दें। दो मौकों पर कहा है, प्रश्न नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं कार्यवाही को देखूंगा, उसके बाद व्यवस्था दूंगा।

जनपद बहराइच के अन्तर्गत घाघरा घाट के ठेकेदार द्वारा यात्रियों से अनियमित वसूली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 301 में 12 सूचनाएं आयी हैं। जिनमें उनकी ग्राह्यता को देखते हुए 6 सूचनाएं ग्राह्य की हैं। नियम में केवल पांच सूचनाएं ही स्वीकृत करने का प्रविधान है, लेकिन विशेष परिस्थिति में मैंने एक और ले ली है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री सूबेदार सिंह का नाम पुकारे जाने तथा उनके अनुपस्थित होने पर) वह संख्या अपने आप घट कर पांच पर चली आयी। माननीय सदस्य न स्वयं कोई उसको महत्व नहीं दिया।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

मैं उपाध्यक्ष जी की अनुमति से एक लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनपद बहराइच के अन्तर्गत घाघरा घाट के मौजूदा ठेकेदार घाघरा घाट पर लगाए हुए स्टीमर का इस्तेमाल शासन द्वारा निर्धारित समय सुबह 5 बजे के बजाय साढ़े 6 बजे सुबह से किया जाता है जिसके कारण यात्रियों को आने-जाने में सुबह के समय बड़ी असुविधा होती है। इसके अतिरिक्त उक्त ठेकेदार प्रति जानवर की उतराई 50 पैसे न लेकर उसके स्थान पर एक रुपया वसूल रहे हैं। इसी प्रकार लोड या अनलोड मेटाडोर, महेन्द्रा, जीप आदि की उतराई, जो शासन द्वारा मु० 12 रु० निर्धारित की गई है उसके बजाय 40 रुपये वसूल रहे हैं। यात्रियों के प्रतिरोध पर उक्त ठेकेदार अपने सहयोगियों की सहायता से अमादाफसाद होते हैं।

उपरोक्त ठेकेदार विभागीय कर्मचारियों की सांठगांठ से भ्रष्ट तरीके अपना कर दिन दहाड़े हजारों रुपये की लूट पथकर के नाम पर यात्रियों से अनुचित ढंग से कर रहा है। परिणाम स्वरूप यात्रियों तथा जनसाधारण में नाजायज लूट को लेकर घोर असन्तोष पैदा हो गया है जो किसी भी समय झगड़े का रूप ले सकता है।

अतः प्रशासन से मेरी जोरदार अपील है कि घाघरा घाट के मौजूदा भ्रष्ट ठेकेदार द्वारा दिन दहाड़े हजारों रुपये की अनुचित लूट को समाप्त किया जावे और दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जावे।

सीतापुर जिले के थानगांव के एस० ओ० के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुख्तार अनीस--

महोदय, सीतापुर जिले के थानगांव थाने का एस० ओ० और थाने की पुलिस जनता को आतंकित करने और तंग करने में लगी हुई है। थाने का एस० ओ० उस क्षेत्र के कोटेदारों से मिला हुआ है तथा उसके संरक्षण में चीनी और मिट्टी के तेल का धड़ल्ले से ब्लेक हो रहा है। गत दिनों ग्राम हजरिया के लोग चीनी लेने के लिए रेउसा गये। रेउसा के कोटेदार ने लोगों को चीनी देने से मना किया। जनता ने जब विरोध किया तो कोटेदार को पुलिस का संरक्षण प्राप्त हुआ और विरोध करने वालों पर डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया।

थानगांव का एस० ओ० बड़े पैमाने पर पड़ रही चोरी डकैतियों की रपट नहीं दर्ज करता है। रन्डा, जिसनी, गोकोकांडर, राजपुर आदि गांवों में हुई चोरियों और डकैतियों को दर्ज नहीं किया गया और चोर और डाकुओं से घूस खाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुख्तार अनीस--]

यह एस० ओ० हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों को तंग कर रहा है। गत दिनों इसके आचरण से रेउसा में एक अप्रिय साम्प्रदायिक घटना होने से बची है। ग्राम चिरेया जहाँ के निवासी अधिकांशतः पिछड़ी जाति के हैं, को इस एस० ओ० ने बन्द कर दिया और लोगों को मारा पीटा। ग्राम शंकरपुर में सवर्णों से मिलकर इस थानगांव के एस० ओ० ने हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों की भूमि पर नाजायज कब्जा करवा दिया और लोगों को एकतरफा जेल में बन्द कर दिया।

इन तमाम घटनाओं की समय-समय पर एस० पी० और जिलाधिकारी को सूचना भी दी जा चुकी है किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। यदि उस पर अविलम्ब कार्यवाही नहीं होती है और इस एस० ओ० को वहां रहने दिया जाता है तो साम्प्रदायिक और जातिगत दंगा भड़कने की आशंका है।

श्री धनी राम वर्मा--

मान्यवर, हमारे जो गोरखपुर के साथी हैं वे भी बता रहे हैं कि जब वह वहां था ऐसा ही उसने वहां भी किया।

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रक्रिया अनुचित है। और इस शब्द का प्रयोग तो अत्यन्त ही अनुचित है जो आपने किया।

विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर बुलन्दशहर के ग्राम अहार के निकट महाभारत काल के अवन्तका देवी मन्दिर के नष्ट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर जिला बुलन्दशहर में एक ऐतिहासिक ग्राम अहार है। जिसके निकट महाभारत काल का मन्दिर अवन्तका देवी है। पौराणिक कथायें बताती हैं कि रुकमणी हरण भी इसी स्थान पर हुआ था। पिछले कुछ वर्षों से गंगा नदी ने इस स्थान पर बहुत बड़ा कटाव किया है। जिसके कारण रुकमणी कुन्ड मन्दिर से लगी धर्मशाला सभी बाढ़ कटाव के कारण नष्ट हो गये। वैदिक संस्कृति भी वैसे ही नष्ट होती जा रही है क्या उसके चिन्ह मिटा देना एक अपराध नहीं है।

मुख्य मन्दिर भी कटाव के कगार पर खड़ा है। आपके माध्यम से सदन की तथा सरकार की इस ऐतिहासिक देश की सम्पदा को बचाने की प्रार्थना करता हूं। तथा यह इस क्षेत्र की ही नहीं, बल्कि देश के जनमानष की भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। यदि तुरन्त कदम नहीं उठाया गया तो महाभारत काल का यह ऐतिहासिक चिन्ह सदा के लिये लुप्त हो जायेगा।

नोट--[× ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए योजनाबद्ध कार्य-क्रम बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दूधनाथ राजभर--

मान्यवर, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

गत दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने समूचे प्रदेश में ऐसे भूमिहीन खेतिहर मजदूरों एवं समाज के कमजोर वर्गों जिनके पास अपनी कहने के लिए इस बड़ भूभाग पर एक बित्त भी भूमि नहीं थी गांव सभा की ऊसर बंजर भूमि आवन्टित करने का जोरदार कार्यक्रम चलाया था । फलस्वरूप भूमि आवंटित की गयी, परन्तु अत्यन्त खेद की बात है कि उन तमाम आवंटित भूमि पर आज भी बड़े किसानों का कब्जा है ।

यदि बड़े पैमाने पर कब्जा दिलाओ अभियान चलाकर उन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, समाज के कमजोर वर्गों, हरिजनों एवं अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों को आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया गया तो सरकार की मंशा अधूरी रह जायेगी ।

मेरी सरकार से मांग है कि सम्पूर्ण प्रदेश में भूमिहीनों को आवंटित भूमि पर उनका कब्जा दिलाये जाने का एक योजनाबद्ध तेज कार्यक्रम चलाकर अविलम्ब कब्जा दिलाया जाय ।

लखनऊ-सीतापुर राष्ट्रीय मार्ग पर अटरिया के पास सड़क टूट जाने से आवागमन ठप्प हो जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्रकुमार गुप्त--

मान्यवर, गत दिनों की भीषण अतिवृष्टि के कारण लखनऊ-सीतापुर राष्ट्रीय मार्ग पर अटरिया से कमलपुर तक का लगभग 30 कि0 मी0 का मार्ग बिलकुल टूट कर दलदल सा हो गया है । कल इस मार्ग पर 350 से अधिक ट्रक फंसे खड़े थ, 50 से अधिक ट्रक गड्ढे में धसी हैं, लगभग 20 ट्रक उल्टी पड़ी थी, ट्रकों के उलटने से कई व्यक्ति घायल भी हुए हैं। लगभग 15 दिनों से बस सेवा ठप्प थी । परन्तु इधर दो दिनों से चालू होने के पश्चात् आज पुनः रोक दी गयी है । मान्यवर, अतिशयोक्ति न समझी जाय, प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार यह टुकड़ा गांव के गलियारे के समान हो गया है । 100 से अधिक पेड़ गिर चुके हैं बल पानी न बरसते हुए भी 3 पेड़ गिरे हैं ।

ज्ञात हुआ है कि सड़क के नीचे मात्र 3 से 4 फीट की दूरी पर जलस्तर आ गया है जिससे ट्रकों के पहिये जमीन में फंस रहे हैं ।

शासन की ओर से गिट्टी तथा मिट्टी डाली जा रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है न प्रभाव ही है । उससे समस्या का निदान नहीं है । यह एक

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मार्ग है । सरकार द्वारा मार्ग ठीक न कराये जाने से आवागमन बुरी तरह से प्रभावित है । कई-कई दिन ट्रक खड़े रहते हैं ।

यह महत्वपूर्ण सूचना आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि युद्धस्तर पर सड़क मरम्मत का स्थायी कार्य किया जाय गत वर्ष सड़क की मरम्मत हुई और एक वर्षा न टिक पाने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1980†

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

(आईटम नं० 3 पुकारे जाने पर) मान्यवर, इसमें मेरी आपत्ति है, अध्यादेश रखने पर मुझे आपत्ति है ।

श्री उपाध्यक्ष --

पहले प्रस्तुत कर लेने दीजिए।

(स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1980 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकार ऐसी गलत परम्परा डाल रही है जो जनतंत्रीय और संसदीय पद्धति को बड़ा खतरा पैदा कर रही है । सरकार ने इस अध्यादेश के द्वारा चुनाव की तिथि बढ़ाने की बात की है । यह शासन की नीति है इस पर हमें आपत्ति नहीं है । लेकिन सत्र चल रहा है विधान सभा की बैठकें रोज हो रही हैं अनेक बिल यहां पास किये हैं । यह बात महीनों पहले उजागर कर दी गयी है कि चुनाव की तिथि बढ़ा दी जायेगी । तो फिर कौन सी परिस्थिति पैदा हो गयी थी कि विधान परिषद् को प्रोरोग कर दिया, सत्रावसान कर दिया गया एक दिन के लिए और उसके बाद आर्डिनेंस जारी किया गया । कई बार ऐसा हो चुका है हमने इसका विरोध किया है । मान्यवर, आप इस पर व्यवस्था दें । यह बात सही है कि आप राज्यपाल महोदय को कोई निर्देश नहीं दे सकते । लेकिन इस औचित्य पर आप टिप्पणी राज्यपाल महोदय को दें कि सरकार द्वारा उन्हे गलत सलाह दी जाती है । इस सम्बन्ध में आप अवश्य टिप्पणी कर सकते हैं आखिर कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गयी थीं कि सरकार ने श्री राज्यपाल को एसा निर्देश दिया जिससे संविधान की भावना का हनन हुआ । इससे जनतांत्रिक संस्थाओं को खतरा पैदा हो रहा है । अगर यह आवश्यक था तो आज से 4 दिन पहले विधेयक लाया जा सकता था उस पर यहां विचार होता । मैं जानता हूं कि हमारे पूरे विरोध के बावजूद संख्या के बल पर उसके द्वारा प्रस्ताव तो हो ही जाता और यह नियम बन सकता था । लेकिन सब कुछ जानते हुए राज्यपाल को गलत सलाह देकर संसदीय मान्यताओं

†छापा नहीं गया ।

के साथ जो उपहास किया गया है, संसदीय परम्पराओं का जो हनन किया गया है, इस पर आप माननीय, व्यवस्था दें और सरकार से कहें कि वह इस प्रकार से संसदीय मान्यताओं और मर्यादाओं की अवहेलना करके श्री राज्यपाल को सलाह न दिया करें। हमारी समितियों ने भी समय-समय पर यह निर्देश दिये हैं कि इस तरह से अध्यादेश के बल पर शासन करने की प्रथा बहुत बुरी और निन्दनीय है।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, दो-तीन बार यह सदन में इनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए समय ले चुके हैं। ठीक है, 306 की संख्या के बल पर यह कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त सवाल इतना है कि हमारा हाउस इस समय चल रहा है और कौंसिल भी सेशन में थी, किन्तु विशेषकर केवल इसीलिए उसको प्ररोग कर दिया गया, ताकि इस पर अध्यादेश लागू किया जा सके। तो आपको क्या परेशानी थी यदि आप किसी अमेंण्डमेंट बिल के जरिए तारीख बढ़वा लेते। इसमें कौन सी रुकावट या कठिनाई थी ? जो आपको अध्यादेश की शक्ल में इसे लाना पड़ा। ऐसा मालूम पड़ता है कि वाराये रास्त इस सदन की और हमारी अवहेलना की गई है और हमारे अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। इस पर मुझे घोर आपत्ति है, शासन इसको बताए कि संशोधन विधेयक के रूप में लाने में उन्हें क्या आपत्ति थी, इसको इस तरह क्यों लाए हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इसमें कोई ऐसा गलत काम नहीं है, और आपके सामने केवल तारीख बढ़ाने की बात है। इसमें कौन सी बदनीयती सरकार की थी, जो वह ऐसा कहते हैं ? आप स्वयं मानते हैं कि संख्या बल हमारे पास है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं, जो हमें इसके लिए अध्यादेश लाना पड़ा था।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इसलिए कि दूसरा हाउस सेशन में था नहीं। दोनों हाउस से पास कराना लाजमी थी, इसलिए इसे लाना पड़ा।

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मैं आपके जरिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनतन्त्रीय परम्परा में ऐसी कोई मजबूरी हो नहीं सकती है। पहले प्रस्ताव आया है, उसमें सरकार ने कहा है कि हम चुनाव सितम्बर तक नहीं करा सकते और परसों विधान परिषद् को इसलिए प्ररोग करने की कानूनी खानापूरी कर ली गई, ताकि तमाम खर्च जो बुलाने पर होते हैं वह एक्सचेकर पर बोझ है और सरकार चाहे जितनी भी हो इतनी सुस्त है, चुस्त नहीं है कि जिस वक्त जो विधेयक लाना चाहिये, वह ला नहीं पाती है। यह नलकूप ऐसा विधेयक लाये हैं, जिनमें कोई तिथि नहीं निकल पा रही थी। इस पर न आर्डिनेन्स लाकर यह विधेयक लाते तो सदन उस पर विचार कर लेता आर्डिनेन्स करने के लिए उस सदन को प्रयोग किया और प्ररोगेशन के बाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम स्वरूप वर्मा--]

उनको आने जाने का भत्ता और दुनिया भर का भत्ता बनता है। यह सारी कठिनाइयां मान्यवर, पैदा करना और फिर जब विधान सभा सत्र में है तो उस वक्त आर्डिनेन्स जारी करना अनुचित है। यह विधान सभा तो जनता के द्वारा चुनी हुई है, ऐसे वक्त में गलत परम्परा का निर्माण करना प्रजातन्त्रीय मान्यताओं की गरिमा के सर्वथा विपरीत है। क्या जो हम चुनकर आए हैं, इस प्रदेश के प्रतिनिधि नहीं हैं। तो मैं आपकी व्यवस्था इस पर चाहता हूं कि एक तो सरकार बहुत जल्दी विधेयक न लाये और अगर बहुत ही मजबूरी हो तो उस वक्त ही आर्डिनेन्स लावें। लेकिन जब वह सदन बैठा हो तो ये इस प्रकार से अध्यादेश न लायें, ऐसी कोई व्यवस्था आप करें ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया, 27 अगस्त, 1980 को भी ऐसा ही मसला उन्हीं के द्वारा उठाया गया था और उस पर माननीय अध्यक्ष की रूलिंग हो चुकी है। उस रूलिंग के ऊपर मेरा कुछ कहना या दूसरी रूलिंग देना यह ठीक उसी प्रकार से होगा--

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त--

श्रीमन्, आप दूसरी रूलिंग दे सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसी प्रकार की आपत्ति के जवाब में माननीय अध्यक्ष की 27 अगस्त, 1980 की रूलिंग हो चुकी है। श्री अध्यक्ष ने श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री पंचानन राय और श्री फखरे आलम तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद कहा था कि इस प्रकार की आपत्तियां 1952 में अध्यादेश जारी करने की परिस्थिति के सम्बन्ध में और अध्यादेश मेज पर रखने के सम्बन्ध में उठाई जा चुकी हैं। जहां तक अध्यादेश जारी करने का प्रश्न है उसमें जब दोनों सदन सत्र में हों वही एक स्थिति है जिसमें कि राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं होता। यहां एक सदन सत्र में था दूसरा सदन सत्र में नहीं था उसका सत्रावसान हो चुका था यद्यपि वह आहूत हो चुका था। उसका सत्र में होना उस दिन प्रारम्भ होगा जिस दिन से बैठक प्रारम्भ होगी। आहूत करने का मतलब यह नहीं है कि सदन सत्र में है। इन परिस्थितियों में राज्यपाल महोदय को यह अधिकार है कि वह अपना अध्यादेश जारी करें। उन्होंने आगे कहा है कि राज्यपाल महोदय द्वारा अध्यादेश जारी करने के सम्बन्ध में, उसकी परिस्थितियों के सम्बन्ध में, निर्णय उनके स्वविवेक पर निर्भर है। उस पर न ही न्यायालय में और न ही सदन में चुनौती दी जा सकती है। सदन को प्रोरोग (सत्रावसान) करना तथा अध्यादेश जारी करना भी उनके विवेक पर निर्भर करता है।

तो इस तरह की व्यवस्था हो चुकी है लेकिन जहां तक श्री राम स्वरूप वर्मा और माननीय रियासत हुसैन ने यह बात कही कि 2 रोज पहले ही विधान परिषद् का सत्रावसान हुआ और उसके सत्रावसान होने के बाद ही यह अध्यादेश आया है, विधान सभा सत्र में थी। विधान सभा का सत्रावसान होना राज्यपाल महोदय के स्वविवेक पर निर्भर करता है और अध्यादेश का आना भी उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है, लेकिन राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद् की राय पर ही अपना निर्णय बनाता है। अतः मैं सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि सरकार प्रजातांत्रिक प्रणाली को कायम रखने में सहायता करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, संसदीय कार्य पद्धति के विरुद्ध तानाशाही रवैये से सरकार ने हमारे सदन की अवमानना की है। अतः उसके विरोध में, मैं और मेरे दल के सभी माननीय सदस्य सदन का त्याग करते हैं।

(राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) संशोधन विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1980 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 29 अगस्त, 1980 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 सितम्बर, 1980 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 सितम्बर, 1980 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1980 का उत्तर प्रदेश का 13वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा--

उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर संग्रहण विधेयक, 1980 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 जुलाई, 1980 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से एक सिफारिश सहित दिनांक 28 जुलाई, 1980 को वापस प्राप्त हुआ था और जिस सिफारिश को उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 17 सितम्बर, 1980 के उपवेशन में स्वीकार नहीं किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 सितम्बर, 1980 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1980 का उत्तर प्रदेश का 14वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा--

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 8 सितम्बर, 1980 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 सितम्बर, 1980 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 सितम्बर, 1980 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1980 का उत्तर प्रदेश का 15वां अधिनियम बन गया।

देवरिया जनपद में बाढ़ एवं वर्षा से फैली गैस्ट्रो आदि बीमारियों के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष--

देवरिया जनपद के बारे में माननीय स्वास्थ्य मंत्री का जो वक्तव्य इस समय होने वाला था वह शाम को लिया जायेगा क्योंकि माननीय मंत्री जी ने

[श्री उपाध्यक्ष--]

यह निवेदन किया है कि जो वक्तव्य उनके सामने आया उससे वे स्वयं संतुष्ट नहीं थे और उसमें कुछ संशोधन किये हैं, वह तैयार हो रहा है। इसलिये वह शाम को लिया जायेगा।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत आज 3 सूचनायें प्राप्त हुई जिनको मैंने अस्वीकार किया है। एक श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की है उरई नगर में पुलिस की पिटायी से एक छात्र की मृत्यु के सम्बन्ध में, इसे मैंने अस्वीकार किया है। दूसरी श्री श्याम नारायण तिवारी की है जनपद गोरखपुर में पुलिस के आतंक से भयावह स्थिति के बारे में। इसे भी मैंने अस्वीकार किया है। यह नियम 51 में आ सकता है, किन्तु नियम 51 की सूचनाओं पर विचार जब किया जायेगा तब इसे देखा जा सकता है। नियम 56 का विषय नहीं है। इसी तरह का एक सूचना श्री मोती लाल देहलवी की है, उसे भी मैंने अस्वीकार किया है।

श्री मोती लाल देहलवी--

यह मान्यवर, आपका भी जिला है, यहां पर एक पुलिस का सिपाही चोरी में पकड़ा गया और उसको पकड़कर 5-6 हजार लोगों ने प्रदर्शन किया। 3 चोर भी पकड़कर थाने ले जाये गये। पहले दिन रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, दूसरे दिन लिखी गयी। उसमें मान्यवर, एक चोर से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दफा 395 की रिपोर्ट लिखायी गयी। इस घटना को जब पत्रकारों ने प्रकाशित किया तो उनको पकड़कर पुलिस ने बुरी तरह से पीटा। ..

श्री उपाध्यक्ष--

यह स्वीकार नहीं है, इस लिये आप इस पर कुछ नहीं कह सकते। कृपया बैठें। कामरोको का विषय नहीं है। आपतो पुराने विधायक हैं। काम रोको तो सरकार की किसी नीति संबंधी असफलता से सम्बन्धित विषय पर या घटना पर आता है (नियम 51 का यह विषय हो सकता है पर जब वह आयेगा तो देखा जा सकता है। उस वक्त आप कुछ कह सकते हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

कृपया मुझे भी सुन लीजिये...

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप विराजें। यह लिखा नहीं जायेगा। आप कृपया बैठें।

(व्यवधान)

1980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 67--विद्युत् विभाग तथा अनुदान संख्या 123--विद्युत् विभाग ऋण और अग्रिम

(12 बजकर 50 मिनट)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान

संख्या 67--विद्युत विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 123--विद्युत् विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53,36,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैंने यह प्रस्ताव एक ऐसे कार्य के सम्बन्ध में रखा जो कार्य हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार है, चाहे औद्योगिक विकास हो या औद्योगिक उत्पादन का सवाल हो और चाहे कृषि उत्पादन का सवाल हो विद्युत् दोनों का आधार होता है और इसीलिए हमारी सरकार इस बात के लिये चेष्टाशील है कि हम विद्युत का उत्पादन बढ़ावें और वर्तमान उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करें। मैं इस समय थोड़ी जानकारी सदन के माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं और यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस जानकारी का अभिप्राय किसी चीज की सुरक्षा करने का नहीं है, बल्कि वस्तु की स्थिति को बताने का है, क्योंकि माननीय सदस्य इस पर चर्चा करेंगे हमें अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे। इसलिए हमें कुछ जानकारी देना आवश्यक है और हम आशा करते हैं कि जो इसकी छाप की सामग्री दिया है, वह सभी माननीय सदस्यों को मिल गयी होगी। 1 अप्रैल, 1980 को हमारे यहाँ 3,379 मेगावाट बिजली घर थे। इनमें से 3,211 और 168 जल विद्युत् गृह थे। इस विद्युत् गृह के बारे में मैं एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में इनकी उपलब्धता में कमी आई और पिछले वर्ष बहुत भारी सूखा रहा। तो बहुत भारी कटौती का सामना हमें कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में करना पड़ा। जैसे-जैसे सुधार आ रहा है हम कटौती को कम कर रहे हैं। इस समय हमने कुछ बड़े कदम उठाये हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से कम वर्षा हुई है और कुछ जिलों में अधिक वर्षा हुई है। जहाँ पर कम वर्षा हुई है वहाँ पर हमने 5-6 घंटे बिजली देने का विचार किया है। जहां पर आलू की खेती होती है, वहां पर 16 घन्टे बिजली देने की बात की गयी। जो हमारे बहुत आवश्यक उद्योग हैं, उनमें 6 6-6 घंटे की कटौती की गयी थी 1979 में, उनको अब घटाया गया है। पिछले वर्ष घंटे डीजल और विद्युत् तथा कोयला की कमी की वजह से हमारे कृषि और औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई थी। ऐसा मैं पहले भी सदन में निवेदन कर चुका हूं, 17 प्रतिशत हमारा घट चुका था, जो कि 14 प्रतिशत अन्य प्रदेशों से ज्यादा था। भविष्य में मांग कर पूरा करने के लिए नई योजना को स्वीकृत कराने और 2311 विद्युत् गृह जो हैं, इनकी क्षमता पूरी करने की कोशिश की जा रही है।

कोयले की आपूर्ति के सिलसिले में भी रेलवे वैगन्स के लिए रेलवे विभाग से बात की गयी तो इस ओर जब कदम उठाये गये और रेलवे वालों से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने भी हमें सहानुभूतिपूर्वक उत्तर दिया इसके अलावा मैंने अपना एक अफिसर भी नियुक्त कर दिया है, जो कोयले की आपूर्ति को

[श्री ब्रह्म दत्त--]

लगातार देखेगा और कोल मंत्रालय से भी कोल की बात करेंगे । बी० एच० एल० जो स्पेयर पार्ट्स हमें सप्लाई करता है, उससे भी शीघ्रता से लेने की बात की जायेगी ताकि हमारे जितने भी बिजली घर हैं, उनमें बिजली उत्पादन धीरे धीरे बढ़े पिछले वर्षों की अपेक्षा ।

*श्री मुख्तार अनीस--

आपके विभाग का तो यहां कोई मौजूद नहीं है ?

(इस समय 12 बज कर 57 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्रीकृष्ण गोयल पीठासीन हुए ।)

श्री ब्रह्म दत्त---

मेरे विभाग का मैं ही अकेला आदमी हूं । तो इस समय मान्यवर, सौभाग्य से वर्षा अच्छी हुई और रिहन्द का जल स्तर 830 के 870 हो गया और माता टीला का जलस्तर भी पिछले वर्ष से लगभग 8 फिट ज्यादा हुआ है । और राम गंगा का भी जलस्त पिछले वर्ष से काफी हो गया है । मैं यह उम्मीद करता हूं कि अगले नवम्बर-दिसम्बर में हम लोग इससे अधिक उत्पादन करने लगेंगे, जैसा कि आज करते हैं । जैसा कि मैंने अभी सदन में निवेदन किया था आपके माध्यम से कि सबसे बड़ी आवश्यकता आज हमारी यह है कि हमारी जितनी नयी योजना है, उनमें काम तेजी से हो और दूसरा यह कि हमारे तापीय विद्युत् गृहों की जो बिगड़ी हुयी मशीनें हैं, जिनकी दो-तीन साल से मरम्मत और सफाई नहीं हो पायी है । उनकी अब मरम्मत और सफाई कराई जा रही है । इस समय लगभग 800 मेगावाट क्षमता की मशीनें मरम्मत में है । इस प्रयासों के फलस्वरूप जल विद्युत् तथा तापीय विद्युत् योजनाओं का काम भी शीघ्रता से चलाया जा रहा है । गढ़वाल, ऋषिकेश, बिल्ला परियोजना यमुना द्वितीय चरण, मनेरी भाली प्रथम चरण, लखवार व्यासी परियोजना तथा टेहरी डैम परियोजना यह सारी जल विद्युत परियोजनाओं में ली जायेंगी और तापीय विद्युत परियोजना में ओवरा तापीय विस्तार योजना द्वितीय तथा तृतीय चरण, पारीक्षा योजना, नानपारा योजना और टांडा योजना पर काम शुरू किया गया है और हमें आशा है कि लखवार व्यासी तथा टेहरी डैम परियोजनाओं को छोड़कर यह सभी परियोजना 1985 तक विद्युत् उत्पादन के लिए तैयार हो जायेगी । इसके अतिरिक्त प्रदेश में 7 नयी बहुउद्देशीय जल विद्युत् परियोजनाओं तथा आठ तापीय विद्युत परियोजनाओं का निर्माण प्रारम्भ है इस पंचवर्षीय योजना में करेंगे । इसके अलावा गढ़वाली नदियां पहाड़ों से आने वाली नदियों, हिमांचल और नेपाल से निकलने वाली नदियों पर भी बहुउद्देशीय योजना बनेगी । उनके पानी को संरक्षण करके उपयोग में लायेंगे ताकि सिंचाई क्षमता और बिजली क्षमता बढ़े । इनमें से निर्माणाधीन योजनाओं पर एक हजार सौ करोड़ रुपया छठी पंचवर्षीय योजना में और नयी योजनाओं के लिए 1,200 करोड़ रु० इस पंचवर्षीय योजना में आवश्यकता बढ़ेगी । इस कार्यक्रम पर चलकर उत्तर प्रदेश की सप्तम् पंचवर्षीय योजना 1989-90 तक विद्युत में आत्मनिर्भर हो सकते हैं । इसका मतलब यह न लीजियेगा कि वर्तमान मांगों को ही पूरा करने का है, बल्कि बढ़ती हुई समय के अनुसार मांगों को हम पूरा कर सकेंगे, मौजूदा मांगों को तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हम मीट ही कर लें बढ़ती हुई मांगों को भी मीट करने की स्थिति में हो जायगे । प्रदेश में तापीय तथा जल विद्युत परियोजनाओं के अतिरिक्त नरौरा में 470 मेगावाट का तथा सिंगरौली में 2,000 मेगावाट जो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा निर्मित किये जा रहे ह । इसमें भी हम अपना हिस्सा केन्द्र सरकार से सुनिश्चित कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वह सहानुभूतिपूर्वक हमारे हिस्से पर विचार करें और यह भी हमारी चेष्टा है कि जो बड़ी-बड़ी औद्योगिक कंपनियां ह और जो बड़े-बड़े औद्योगिक प्रितिष्ठान हैं, औद्योगिक केन्द्र हैं, उनको हम अपने-अपने पावर प्लान्ट लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे ह ताकि उनकी निर्भरता मेरे ऊपर से कम हो और हम नये लोगों को बिजली दे सकें । प्रदेश में बहुत-सी जल विद्युत् और तापीय विद्युत् योजनाओं का सर्वेक्षण कराया जा रहा है । मान्यवर, हमारे गढ़वाल में हिमालय की नदियों में बहुत बड़ी क्षमता है । उस क्षमता का उपयोग करने के लिए हम समय से योजनाओं को प्रस्तुत करेंगे । मान्यवर, हमारा प्रयास है कि हर मण्डल में कम से कम एक थरमल पावर स्टेशन हो ताकि बिजली में स्टेब्लिटी आये और हमारा जो लाइन लास ह वह लाइन लासेज कम हो । इस वर्ष लगभग 3 सौ करोड़ का प्राविधान हमने बिजली की योजना पर खर्च करने को रखा है । ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में बहुत ही चिन्ताजनक बात देखने में आयी, पिछले वर्षों में जो की उपलब्धता से बहुत कम है अगर इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य जिज्ञासा जाहिर करेंगे तो मैं बहुत विस्तार से बता दूंगा ।

लेकिन माननीय सदन को मैं इतना जरूर सूचित करना चाहता हूं कि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष 50,000 नलकूपों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है । इसके अतिरिक्त 4380 गांवों तथा 2735 हरिजन बस्तियों का भी विद्युतीकरण किया जायेगा । गत वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की प्रगति अत्यन्त धीमी रही । 50,000 नलकूप, पम्प सेटों के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 36145 नलकूप पम्प सेटों का ही विद्युतीकरण हो पाया इसी प्रकार 4900 गांवों में से 2279 गांव तथा 3945 हरिजन बस्तियों में से 1561 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा सका । इस बारे में मैं यह चेष्टा कर रहा हूं ग्रामीण विद्युतीकरण के जो आवश्यकता है, विद्युत् की व्यवस्था करने के लिए उसका उत्पादन बढ़ाने तथा उसके यूटीलाइजेशन की अधिक से अधिक क्षमता पर विचार कर रहे हैं । मान्यवर, विद्युत् उत्पादन लगभग 60 प्रतिशत संस्थापित क्षमता से घटते घटते आज 40 प्रतिशत पर आ गई है । हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो वर्तमान विद्युत् गृह है उनका ठीक से रख-रखाव हो सके । पिछले 2 सालों में देखा कि, इस विभाग का भार जबसे मुझे मिला है मैंने करीब-करीब एक-दो पावर स्टेशन को छोड़कर हर पावर स्टेशन पर स्वंय गया और मैंने देखा कि पिछले 2 सालों में इन विद्युत् गृहों की ठीक से मरम्मत नहीं हुई । पिछले 2 सालों में जो इन विद्युत् गृहों की मरम्मत नहीं हुई और बिजली के उत्पादन में कमी आई है, हमको इनकी ठीक से मरम्मत की व्यवस्था करना है ताकि विद्युत् उत्पादन बढ़े इसके लिए हमने कुछ कदम उठाये हैं ।

जो हमारे अभियन्ता है, अवर अभियन्ता हैं, साधारण कर्मचारी हैं उनके हित के सम्बन्ध में भी हम जागरूक हैं । परन्तु माननीय सदन के माध्यम से एक बात में निवेदन कर देना चाहता हूं किसी उद्योग में लगे हुये मजदूर को, कर्मचारी को और जो भी सम्बन्धित लोग होते हैं उनको सुविधा देकर सन्तोष

[श्री ब्रह्म दत्त—]

के साथ काम में लगाना चाहिये लेकिन इस बात पर ध्यान देना भी जरूरी है कि उस उद्योग की देने की ताकत उसकी उपलब्धता की ताकत भी बढ़े और मैं आशा करता हूं कि हमारे सारे इसमें लगे हुये कार्मचारी निश्चित रूप से इस ओर प्रयास करेंगे। मान्यवर, बिजली की उत्पादन की कमी से उसका सामना किसानों को करना पड़ता है, उद्योगों को करना पड़ता है। उद्योग-पतियों को इसका सामना करना पड़ता है हम इस चीज को मानकर चल रहे हैं कि अगर विद्युत् की स्थिति में सुधार होगा तभी हम अर्थ व्यवस्था में सुधार कर पायगे। हम ट्यूबवेल बना सकते हैं किन्तु यदि बिजली नहीं है तो वह बेकार है, हम गांवों में खम्भे गाड़ सकते हैं किन्तु बिजली नहीं है तो वह बेकार है। हमारे जो सार्वजनिक उद्योग हैं, निजी क्षेत्र में लगे हुये उद्योग हैं उनको अधिक से अधिक बिजली मिले। हम यह महसूस करते हैं। जिससे राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था में सुधार हो। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कुछ लोग राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को खराब करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि वर्तमान स्थापित क्षमता का उपयोग कर चालू योजनाओं को बढ़ाकर और समय से नई योजनाओं का स्वीकृत करके वितरण व्यवस्था को ठीक करके हम असुविधाओं को दूर कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो पक्षीय वार्ता निश्चित रूप से आशाजनक होगी। भ्रष्टाचार की बात कुछ माननीय सदस्यों ने कही मैं न केवल विद्युत् विभाग से हर विभाग से भ्रष्टाचार दूर करने के लिये कृत संकल्प हूं। हमें विश्वास है कि जितने भी विभाग हैं उनसे भ्रष्टाचार दूर करेंगे लेकिन मुझे पूरे सदन का सहयोग वांछनीय है। इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा और आशा करूंगा की आलोचना होगी तो अच्छे सुझाव भी प्राप्त होंगे और निश्चित रूप से उन बिन्दुओं पर मैं उत्तर दूंगा।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67—विद्युत् विभाग—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 123—विद्युत् विभाग—ऋण और अग्रिम की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, जैसा कि माननीय विद्युत् मन्त्री ने अपने इस प्रस्ताव को रखते हुए विचार व्यक्त लिया कि विद्युत् ही अर्थ व्यवथा की रीढ़ है और उस विषय पर शासन के अतिरिक्त यह भी इच्छा व्यक्त की है कि यह सदन भी उनका समर्थन करे वह न्याय संगत नही है। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना है कि जो आशा आज इस प्रदेश की जनता को विद्युत् बजट से थी कि शायद इस बजट को प्रस्तुत करते समय माननीय विद्युत् मंत्री जी, जो अभी तक इस विभाग में अनियमिततायें रही हैं, उनको दूर करने तथा सुधार के लिये कोई नई व्यवस्था हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन वह पूर्णतया इसमें असफल रहे हैं, एवं पूर्ण निराशा हुई। कांग्रेस शासन के आने के बाद चाहे कोई भी क्षेत्र रहा हो, भले ही सामान्य प्रशासन या उससे संबंधित कोई विभाग हो, उसमें पूर्णतया अव्यवस्था रही है और इसके परिणाम मुख्यतः विद्युत् विभाग में अक्षमता, स्वेच्छाचारिता और अपव्यय के कारण आज इस प्रदेश को भारी कीमत देनी पड़ रही है। माननीय

विद्युत् मंत्री जी ऐसा न समझें कि मैं कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं इसलिये मुझे ही चिन्ता हो रही है, इसके विषय में कल ही इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने चिन्ता व्यक्त की है और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बात स्वीकार की कि बिजली उत्पादन में जो गिरावट हो रही है वह बहुत ही चिन्ताजनक है और अगर आज वास्तव में प्रदेश के मुख्य मन्त्री को चिन्ता है तो माननीय विद्युत् मन्त्री को कोई ऐसी नई बात प्रस्तुत करनी थी जिससे लोगों की चिन्ता दूर होती लेकिन उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अगर हमारी योजनायें पूरी हुईं तो सन 90 तक हम जाकर सारी व्यवस्थायें कर सकेंगे। मान्यवर, हमें इनसे कोई आशा ही नहीं है हम आपके सामने आँकड़ों से कुछ बाते प्रस्तुत करना चाहेंगे। मान्यवर, यह भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित स्टेटिक्स की किताब है, इसमें कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो सामान्य स्तर से नीचे है और कुछ ऐसे हैं जो उससे ऊंचे हैं। दुर्भाग्य से जो प्रदेश नीचे हैं उन 3-4 प्रदेशों में उत्तर प्रदेश भी है। इन तीस वर्षों में जो रुपया हमको केन्द्र द्वारा आवंटित किया गया है वह बिहार को छोड़कर अन्य प्रदेशों से कम है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा विद्युत् मन्त्री जी से कि उन्होंने यह जो आशा व्यक्त की है वह किस आधार पर पूरी होने जा रही है। आप देखें कि उत्तर प्रदेश का '8 एवरेज आता है। जो विलेज इलेक्ट्रीफाईड लिस्ट में है, जो ग्रामों में विद्युतीकरण होता है, उसमें यू0 पी0 सबसे नीचे '8 पर आता है। सूचना का आधार यह नियोजन विभाग की पुस्तिका है, माननीय मन्त्री जी देख लें तो उन्हें पूर्ण जानकारी हो जायेगी इसकी। इसके अतिरिक्त उत्पादन पर आ जाइये। 581 मिलियन यूनिट तापीय विद्युत् गृहों से फरवरी, 1980 में पिछले शासन ने उत्पादन छोड़ा था और 181 हमारे जल विद्युत् सूत्र ने छोड़ा था। जबकि सबको विदित है कि इस प्रदेश में अभूतपूर्व सूखा पड़ा था। आज हमारा उत्पादन (तापीय) 581 से 455 पर आ गया। तो मान्यवर, आप स्वयं देखें कि कितनी क्षमता इस प्रशासन में है जो हमलोग इनके अनुदान की मांगों के इस प्रस्ताव का समर्थन करें। कौन ऐसा होगा जो विद्युत् जैसे विभाग के अनुदान के लिए समर्थन नहीं देगा परन्तु जब स्पष्ट रूप से यह विदित है, आंकड़े यह बताते हैं और आपके मुख्य मन्त्री जी यह स्वीकार करते हैं कि हमारी क्षमता गिरी है, तो हम आपको समर्थन कैसे कर सकते हैं। हम पूर्णतया आश्वस्त हैं कि जो कुछ आप कह रहे हैं वह करने में सक्षम नहीं हैं। उत्पादन में जो गिरावट आई उसके कई कारण हैं, यह सबसे बड़ी बात है जिस विषय पर मैं सारी बात केन्द्रित करना चाहता हूं। आप इसे आलोचना न समझ कर सुझाव के रूप में ले लें तो मैं बड़ा आभारी हूंगा। भारतवर्ष में कई ऐसे विद्युत् गृह हैं जो चल रहे हैं। हमारे प्रदेश में हिन्डालको का भी एक विद्युत् गृह है उसमें 135 मेगावाट की क्षमता का पावर हाऊस लगा है।

श्री ब्रह्मदत्त--

125 मेगावाट।

एक सदस्य--

याद नहीं आपको।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

कोई बात नहीं। आप बता दें। आभारी हूंगा आपका। 125 मेगावाट का लगा है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि उसकी सालाना रिपेयरिंग होती

[श्री हरी किशन श्रीवास्तव—]

है। उसमें तीन सप्ताह लगते हैं। उसके लिए वह शासन से बिजली मांगते हैं, आप देते हैं। जो भी शासन में रहता है वही देता है। तीन माह, चार माह हो गये हमारे तापीय गृह उसी तरह से पड़े हैं। उनको रेपेयर आप नहीं करा पा रहे हैं। आपने घोषणा की कि आशा करता हूं कि नवम्बर तक रिपेयर हो जायेंगे। मैं विद्युत् मन्त्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आपने विभाग के किसी अधिकारी को भेजकर यह जाना कि वह कौन से इन्जीनियर हैं, कौन से अधिकारी हैं कि जो काम तीन सप्ताह में पूरा हो जाता है वह हमारे यहां 4 माह में पूरा नहीं हो रहा है। इस प्रकार से समय-समय पर विद्युत् बोर्ड के अधिकारी भ्रामक स्पष्टीकरण देते हैं, और सरकार भी समर्थन करती है, अधिकारी कहते हैं कि हमको कोयला नहीं मिल रहा है और जो कोयला मिलता भी है, उसकी क्वालिटी खराब होती है इसलिये क्षमता नहीं बढ़ पाती। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आखिर बिड़ला को कैसे अच्छा कोयला मिल जाता है? रेलवे क्या श्री बिड़ला की है या बिड़ला रेलवे के हैं? क्यों उनको अच्छा कोयला मिल जाता है और आपको नहीं मिलता? अगर उन्हें अच्छा कोयला देते हैं तो उनको क्यों सही क्वालिटी मिल जाती है आपको क्या खराब कोयला मिलता है जिसके कारण आपकी उत्पादन क्षमता उतनी नहीं है। यह खेद की बात है, चिन्ता की बात है कि हमारी क्षमता 3200 मेगावाट होते हुये भी केवल 1000 मेगावाट उत्पादन कर रहे हैं। कोई भी जानकार व्यक्ति क्या आपके इन अधिकारियों से आशा कर सकता है कि वे इस क्षमता की पूर्ति को सम्भाल सकते हैं—वह चाहे सत्ता पक्ष में बैठे हों, चाहे आपके अधिकारी हों या चाहे आपके बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के लोग हों? क्या इनसे आशा कर सकते हैं कि ये क्षमता की पूर्ति कर देंगे? आपने अभी कहा कि हम नयी योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। हमारी जो क्षमता है, उसके अतिरिक्त नई योजना चालू करने जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि पांचवी योजना के अन्तर्गत 75-76 के बीच क्षमता 1823 मिलियन यूनिट थी और मांग 2284 मिलियन यूनिट थी। 77-78 में यह उपलब्धि 9798 मिलियन यूनिट हो गयी और मांग 12,104 मिलियन यूनिट हुयी। यानी कमी 2306 यूनिट रही। 1978-79 में यह उपलब्धि 10625 मिलियन यूनिट थी, मांग 13,420 यूनिट, और कमी 2795 रही। लेकिन 1979-80 जिनमें जनता शासन था, उसमें मांग 14,935 रही और हमारी उपलब्धि 11354 रही। इस तरह से इस साल की कमी को देखें तो यह सिर्फ 3581 रही, जब कि मांग अत्याधिक बढ़ गई।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो योजना के बारे में कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार से निवेदन करेंगे और पूर्ति करेंगे। उस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपकी यह दुर्दशा होने के पश्चात् भी आप केन्द्र से आशा लगाये होते हैं ढाई साल को छोड़कर आप का ही दल केन्द्र और उत्तर प्रदेश पर शासन में रहा। तो आज किस आधार पर आप यह कहते हैं कि हम उपलब्धि को बढ़ा देंगे? मैं कहता हूं कि मैं बड़ा आभारी हूंगा माननीय मन्त्री जी का यदि वे आश्वस्त कर दें कि हमारी जो वर्तमान क्षमता है, जो हमारी यूनिट्स बन्द पड़ी हैं, जिन मशीनरीज को रिपेयरिंग में डाल रखा है, उनकी ही क्षमता पूरी करा दें। मान्यवर, पिछले सप्ताह मैं बम्बई गया था। मैं बड़ा परेशान रहा क्योंकि मुझे कटौती का प्रस्ताव देना था। मैं जानना चाहता था कि उनके पावर स्टेशन की क्षमता क्या है। मान्यवर, आप आश्चर्य

करेंगे कि टाटा की क्षमता 93 परसेन्ट है और बिड़ला की क्षमता 95 परसेन्ट है। उनका ट्रान्समीशन लास 2 परसेन्ट है और टाटा का डेढ़ परसेन्ट है। जबकि हमारे यहां 95 प्रतिशत क्षमता के अगेन्स्ट में 40 प्रतिशत क्षमता है और ट्रान्समीशन लास उनके 2 प्रतिशत के अगेन्स्ट में 18 प्रतिशत है। इससे ज्यादा इस प्रदेश के लिये और प्रशासन के लिये शर्म की बात क्या हो सकती है कि हमारे देश में दो मापदण्ड हैं। इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो बदल डालिये अपने बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को और केवल अधिकारियों के बल पर न रहें। अपने बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में अपने नीचे के कर्मचारियों और उपभोक्ताओं को प्रतिनिधि बनायें। जो वास्तविक कन्ज्यूमर्स हैं, उनसे जाकर परामर्श करें और क्षमता गिरने के कारणों की जांच करायें मैं दावे के साथ कहता हूं यदि ऐसा बोर्ड गठित होगा तो हमें ज्ञात होगा कि कैसे उत्पादन बढ़ेगा और अगर उत्पादन गिरता है तो फिर जिम्मेदारी पूरे बोर्ड पर आयेगी। अभी तो 4 अधिकारी बैठे हैं, कह दिया कि वैगन नहीं मिले, कोयला खराब आता है और आप उसको मान लेते हैं। यह जो 18 परसेन्ट ट्रांसमिशन लासेज हैं इसको घट कर आप कम करें। जैसे रेलवे में सुरक्षा दल बना रखा है वैसे अपने यहां भी सुरक्षा दल बनायें। हमारे क्षेत्र में एक महीने में दो बार तार कट गये, हमारा क्षेत्र आलू उत्पादक क्षेत्र है, कई कोल्डस्टोरेज हैं, तार कटने के कारण वह सब बन्द हो गये। मैंने पूछा तो मुझे यह सूचना दी गयी कि पुलिस के एस0 पी0 कहते हैं कि मेरे पास इतनी पुलिस नहीं है कि हर पोल पर खड़ी कर दूं। अगर आप सुरक्षा नहीं कर सकते, तार लगाये जायं और वह चोरी चले जायं तो आपकी योजना कभी सफल नहीं हो सकती। ट्रान्समिशन में कितना लास हो रहा है, कितनी चोरी हो रही है, इसकी जानकारी आपको नहीं है तो आपको सफलता कैसे मिलेगी। लोकदल के शासन काल में इसमें हम लोगों ने इसकी जांच करायी तो पता चला कि इस प्रदेश के जितने उद्योगपति हैं, सिंहानिया, जयपुरिया, मोदी, सबके यहां चोरी से बिजली जा रही थी और कहा जा रहा है कि 18 परसेन्ट ट्रांसमिशन लास हो रहा है। आज भी उतना ही लास हो रहा है, इस कारण इन चीजों को सुधारने की आवश्यकता है।

एक बात मैं आपके माध्यम से और रखना चाहता हूं क्योंकि आप समय कम दे रहे हैं। यह जो बोर्ड की पुस्तिका मिली है उसमें लिखा है कि हमारे यहां 2 परसेन्ट लासेज हिंडालको को बिजली देने में और इलेक्ट्रिक आर्क फरनेस को बिजली देने में होता है और 4 परसेन्ट ग्रामीण विद्युतीकरण में हो रहा है। हिंडालको के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि 2 पैसे प्रति यूनिट कांग्रेस शासन काल में बिजली दी जाती थी। उसको हमने 11 पैसे कराया और 11 पैसे क्यों हुआ, क्योंकि इसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने 11 पैसे की संस्तुति की थी और निर्णय लिया गया कि लिखा था 11 पैसे ले लिया जाय जबकि उत्पादन की कास्ट ज्यादा आती है। सन् 76 में यह भी निर्णय हो गया था जब टैरिफ रेट बढ़ेंगे तो इनकी भी कीमत बढ़ायी जायगी। इस कारण अब बीस पैसे हैं आप स्वीकार करते हैं कि इनको इस दर पर बिजली देने में हानि होती है तो फिर आप दर क्यों नहीं परिवर्तित करते हैं। भारत सरकार एल्मूनियम कारखानों को बिजली देने के रेट तय कर रही है, उत्तर प्रदेश शासन अगर इस सम्बन्ध में उदासीन रहा तो मैं कहना चाहता हूं कि इससे आपको पुनः हानि होगी और

[श्री हरी किशन श्रीवास्तव--]

हिंदालको को इसी दर पर बिजली मिलेगी । आप कहते हैं कि आर्क फरनेसेज को बिजली दी जाती है इससे लास होता है, आर्क फरनेसेज सरिया बनाती है । इस प्रदेश में सन् 73 में इसमें टोटल कट 92·70 परसेन्ट हुआ । जिस उद्योग में इतना कट होगा इससे हानि होने का सवाल कहां आता है । इसी तरह से सन् 74 में 93, सन् 75 में 58, सन् 76 में 8, सन् 77 में 19, सन् 78 में 6, सन् 79 में 2 तथा सन् 80 में 76 परसेन्ट कट इसमें हुआ है जब इस उद्योग को आप बिजली ही नहीं दे रहे हैं तो हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता परन्तु पत्रिका में लिख रहे हैं कि इस उद्योग को बिजली देने से हानि हो रही है, जिस उद्योग को बिजली ही नहीं दे रहे हैं उससे घाटा कैसे होगा । करोड़ों और अरबों रुपयों की सरिया उत्तर प्रदेश के कई विभाग, जैसे पी0 डब्लू0 डी0, इरीगेशन आदि बाहर से खरीद रहे हैं । मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि इस उद्योग को बिजली न देने से, इतनी बड़ी कटौती करने से करोड़ों रुपया सेल्स टैक्स का नुकसान हुआ और करोड़ों रुपयों की अधिक कीमत देकर बाहर से सामान मंगाना पड़ा । मेरी जानकारी है कि इरीगेशन विभाग सरिया इम्पोर्ट कर रहा है । इसी कारण अगर आपने आर्क फरनेस को बिजली इनको दी होती तो आज आपको घाटा कम होता ।

इसके अतिरिक्त हमारा यह भी निवेदन है कि यह विभाग उद्योग की तरह चलाया जाय जिससे इसमें हानि न हो और विकास हो । हम लोगों ने, अपने लोकदल के प्रशासन में सुझाव दिया था कि इसका जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन अलग-अलग कर दिया जाय परन्तु यदि जनरेशन अलग कर दिया जाय तो उनमें कार्य करने वाले इंजीनियरों और कर्मचारियों को कुछ इंसेन्टिव और कुछ विशेष सहूलियतें दी जायें जिससे उत्पादन बढ़ेगा, यह मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इस पर ध्यान दें । यदि उत्पादन करने वाले कर्मचारियों से बात नहीं किया तो अभी जैसे प्रदर्शन हुआ और चूंकि कर्मचारियों में असंतोष है, ये विभाग के लिये समस्या बन सकता है उद्योग और कृषि उत्पादकों में भी असंतोष है क्योंकि अभी आपने 5 घंटे की जगह 6 घंटे बिजली देने की घोषणा किया, तो 6 घंटे तो पहले से ही बिजली दे रहे हैं, यदि रबी में किसानों को 8 घंटे बिजली न मिली तो उनकी सारी फसल नष्ट हो जायेगी, इसलिये नवम्बर, दिसम्बर के पहले यदि मंत्री जी नहीं देते तो इस प्रदेश में बिजली की कमी के कारण बड़ा भारी संकट पैदा हो सकता है । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सारे सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे भी इसका समर्थन करें ।

श्री चारुचन्द्र ओझा--

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया । मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विद्युत् बजट का स्वागत और उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, विद्युत् आज के इस आधुनिक युग में एक ऐसी चीज हो गयी है जो दैनिक कार्यों में हर समय काम आती है । ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर हमको गम्भीरता से विचार करना होगा । हमको बिजली को केवल प्रकाश के रूप में नहीं एक शक्ति का रूप मानकर तथा इस प्रदेश की औद्योगिक प्रगति और आर्थिक प्रगति का मूल आधार मानकर चलना होगा तथा इस विभाग के प्रगति के और इस विभाग के कार्यों का अवलोकन करना होगा । जहां तक विद्युत् उत्पादन में हमारे प्रदेश का सवाल है हम भारतवर्ष के

बहुत से प्रान्तों से पीछे हैं। प्रति व्यक्ति उपभोग की दृष्टि से भी हमारा प्रदेश अन्य कम आबादी वाले और छोटे प्रान्तों जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आदि से बिजली के मामले में पीछे हैं। साथ ही हमारी विद्युत् बनाने की लागत जो है और जो प्रशासनिक व्यय है तथा संयंत्रों के रखरखाव में जो हमारा व्यय है, वह देश के अन्य विद्युत् परिषदों से ज्यादा है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी विद्युत् परिषद् की कार्यक्षमता देश के अन्य विद्युत् परिषदों से बहुत पीछे है। तो मैं, मान्यवर, यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें यदि इस प्रदेश की प्रगति में बिजली का उपयोग करना है तो विद्युत् परिषद् के कार्य-कलापों को, उसके प्रशासनिक ढांचे को, तेज करना होगा, उसकी शक्ति को बढ़ाना होगा। यदि हम देश के अन्य विद्युत् परिषदों के समान अपने विद्युत् परिषद्को लाना चाहते हैं तो इसमें काफी मेहनत से और काफी शक्ति से विद्युत् परिषद् के ढाचे को बदलना होगा। मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय मन्त्री जी में यह क्षमता है, वह नये सिरे से इस विद्युत् परिषद् के कार्य कलापों को, इस विद्युत् परिषद् की क्षमता को बढ़ायेंगे।

मान्यवर, विद्युत् के दो स्रोत हैं—एक तापीय बिजली और दूसरा पानी से। जल बिजली के बारे में मेरा सुझाव है कि हमें पन बिजली की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। जो तापतीय बिजली है, वह कोयले से बनी है और कोयला बिहार से आता है और कभी कोयला भी समाप्त हो सकता है—हो सकता है बीस साल, तीस साल, में समाप्त हो जाय,—उस वक्त हमको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमारा सौभाग्य है, इस प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे पास पन बिजली के इतने रिसोरसेज हैं कि केवल हिमालय से जो हमारी नदियां निकलती हैं गंगा, यमुना, घाघरा, धौली, गोरी जिनमें बारहों मास पानी रहता है, जितनी गर्मी बढ़ती है, उतना पानी बढ़ता है, क्योंकि यह नदियां हिमालय से से, बर्फ के स्रोत से निकलती हैं, उन सब की बिजली उत्पादन क्षमता इतनी है कि उनसे ही हमें बीस हजार मिगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं जो इस प्रदेश के लिए ही नहीं इस सारे देश के लिए काफी होगी। मेरा निवेदन है कि हमारी ये नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, उनसे हम कितनी विद्युत् उत्पन्न कर सकते हैं, उसका सर्वेक्षण करना होगा। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि हमारे जो अधिकारी हैं हिमालय के उन दुर्गम स्थानों में जाना नहीं चाहते और इस वजह से पन बिजली की ओर हमारा जो लक्ष्य है, वह कम हो रहा है। तो मेरा निवेदन है कि केवल गढ़वाल, कुमऊं मंडल में ही बहुत सी पन बिजली योजनाओं का सर्वेक्षण हुआ है और कुछ का हो रहा है। पिथौरागढ़ जनपद में पंचेश्वर बांध योजना, चमगाड़ बांध योजना, चल्थी बांध, पूर्वी राम गंगा, गोरी गंगा, धौली गंगा, बागेश्वर जल विद्युत् और गढ़वाल मन्डल में टिहरी डैम, मनेरी, विष्णु प्रयाग, कोटेश्वर, ये सब जितनी पन बिजली योजनायें हैं अगर हम इन सब का उपयोग करें तो कम से कम चार, पांच हजार मेगावाट बिजली हम पैदा कर सकते हैं। जब इन नदियों से बिजली बनेगी तो कोई ऐसा व्यवधान नहीं है अनंत काल तक हमको बिजली मिलती रहेगी।

पर्वतीय क्षेत्रों के बहुत से पन बिजली घर योजनाओं को, जिनका सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और उनके प्रोजेक्ट शासन के पास आ चुके हैं, कार्यान्वित करने के लिए माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा यदि सभी को साथ बनाने से साधनों की कमी हो, तो एक-एक करके बनाया जाय, ताकि हम विद्युत् के मामले में आत्म-निर्भर हो जाँय।

[श्री चारु चन्द्र ओझा—]

अन्त में मैं माननीय मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं ।

कुमारी सुमन लता दीक्षित—

मान्यवर, आज विद्युत बजट की चर्चा पर आपने मुझे अपने सुझाव व्यक्त करने के लिए जो समय दिया है, उसके लिये मैं आपकी आभारी हूं अभी तक जितने भी विभागों के बजट पर जो भी चर्चा हुई, उससे यह निष्कर्ष निकला कि जो हमारी प्रबन्ध व्यवस्था है, उसमें भ्रष्टाचार है । मैं माननीय मन्त्री जी को यह बतलाना चाहूंगी कि इस प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार लाया जाना चाहिये और लाना होगा । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण म पहले ही कहा था "साहब हित सेवक सेवकाई। करई सकल सुख, लोभ, विहाई ।" मान्यवर, हमारे जो प्रशासक हैं और जो मशीनरी है अथवा जो प्रबन्ध व्यवस्था है, इन सब को हमको बतलाना होगा, चाहे कानून बना कर, चाहे उनका भावात्मक परिवर्तन करके कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार वह न फैलायें । यह बहुत ही आवश्यक है अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो । मैं माननीय मन्त्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगी कि जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आई हूं जनरलगंज, कानपुर से वहां कल हमारे कृषि मन्त्री तथा उद्योग मन्त्री जी मौजूद थे और वहां इस बात की चर्चा थी कि यह जो औद्योगिक नगरी है कानपुर की वहां बिजली की जो आंख-मिचौली हो रही थी, वह नहीं होना चाहिए । उस पर सभी ने दुख प्रकट किया और यह माना कि ऐसा नहीं होना चाहिये, क्योंकि वहां बहुत से पिक्चर हाल है, औद्योगिक नगरी होने के कारण बहुत से उद्योग हैं और तमाम चीजें हैं, जिनके लिए बिजली का होना नितान्त आवश्यक है । मैं मन्त्री जी को सुझाव देना चाहूंगी कि वहां गंगा बैराज जरूर बनाया जाय । उससे कानपुर को ही लाभ नहीं मिलेगा । अपितु उन्नाव तथा फर्रुखाबाद जनपद को भी लाभ मिलेगा । पानी का बिजली से घनिष्ठ सम्बन्ध है । माननीय सिंचाई मन्त्री जी भी इस समय मौजूद हैं । मैं दोनों मन्त्रियों से निवेदन करना चाहूंगी विशेष रूप से सिंचाई मन्त्री जी से कि वहां गंगा बैराज का निर्माण करायें और विद्युत् मन्त्री जी से निवेदन करूंगी कि वहां पर विद्युत् उत्पादन की व्यवस्था करायें ।

इन शब्दों के साथ मैं एक और सुझाव देना चाहूंगी कि जो बीमार गांव हैं, उनमें सुधार की आवश्यकता है, जैसा पोल लग गया है, लेकिन तार नहीं खींचा गया है, जिससे बिजली नहीं पहुंच सकी है । लिहाजा जहां पर काम शुरू हो गया है और अधूरा काम पड़ा है, उसको सर्वप्रथम पूरा करायें, फिर आगे की बात सोचें । मैं एक सुझाव और देना चाहूंगी कि जितना अधिक से अधिक प्रयास हमारा हो सके गांव के विकास के लिए हम अधिक से अधिक बिजली पहुंचायें । इस तरह सरकार को ध्यान देना होगा, योंकि शहरों में तो उपयुक्त बिजली है ही लेकिन गांवों में जहां बिजली की ज्यादा आवश्यकता है, वहां उसकी बहुत कमी है । सिंचाई के तमाम साधनों के लिए उसकी आवश्यकता है । लिहाजा मैं मन्त्री जी का उस तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी ताकि जितनी शीघ्रता से हो सके इस काम को वहां सम्पन्न करायें । इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं जोरदार शब्दों में माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करती हूं ।

*श्री मित्रसेन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विद्युत मन्त्री जी ने जो बिजली का अनुदान प्रस्तुत किया है और उसमें कटौती का जो प्रस्ताव माननीय सदस्य हरी किशन श्रीवास्तव ने पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने आखिर में बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि प्रदेश की सरकार कृत संकल्प है भ्रष्टाचार मिटाने के लिए । मेरी समझ में नहीं आता कि जिस सरकार का जन्म ही भ्रष्टाचार में हुआ है वह भ्रष्टाचार कैसे मिटायेगी । आज विद्युत जीवन की कितनी उपयोगी चीज हो गयी है और उसकी कितनी आवश्यकता हो गयी है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता अगर विद्युत एक घंटे के लिए शहरी जीवन में हट जाय तो लोगों को रोजी रोटी, पानी, आटा सारी चीजें मुहइया होना मुश्किल हो जाता है और तभी सरकार को आटा दाल का भाव मालूम हो जाता है । विद्युत उत्पादन बढ़ना चाहिए यह सभी लोग चाहते हैं । लेकिन सरकार विद्युत की दरों में दिन पर दिन बढ़ौत्तरी कर रही है उत्पादन में कटौती हो रही है । बिजली के रेट में हर वर्ष दो चार पैसे प्रति यूनिट बढ़ौत्तरी कर रही है । दूसरी तरफ विद्युत उत्पादन में प्रति यूनिट जो लागत है किसानों को उससे अधिक रेट पर बिजली देते हैं और पूंजीपतियों को उससे कम रेट पर देते हैं । आप देखें कि जो बिड़ला का अपना प्रतिष्ठान है उसमें सेन्ट परसेंट उत्पादन है विद्युत का और सरकार के प्रतिष्ठान में 25 परसेंट उत्पादन हैं और जितने बिड़ला के प्रतिष्ठान में मजदूर काम करते हैं उससे दूने मजदूर इनके यहां लगे हुए हैं । जिन बांधों के जरिये सरकार विद्युत उत्पादन की बात करती है, आठ साल तक तो यह उसका सर्वे करेंगे और बीस साल में बांध बनेगा । अगर आज लागत 8 करोड़ होगी तो कल 40 करोड़ हो जायेगी निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि जिन बातों के बारे में योजनाएं बनाए उनको अधिक से अधिक जल्दी क्रियान्वित कर लें । तभी विद्युत उत्पादन से लाभ हो सकता है और जनता को भी लाभ हो सकता है ।

ग्रामीण जीवन में विद्युत सप्लाई के लिए किसान से एक तरफ गारन्टी करायी गयी है कि 15 रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से बिजली का रेट देना होगा । लेकिन दूसरी तरफ कोई गारन्टी विद्युत परिषद् की तरफ से नहीं है । किसानों पर प्रतिबन्ध कर दिया है कि पांच हार्स पावर का मोटर लगायेंगे तो इतने रुपये माहवारी जमा करना होगा । नहीं जमा करेगा तो ब्याज और पैनल ब्याज और पैनाल्टी जमा करनी होगी । लेकिन विद्युत परिषद् की किसी गारन्टी में नहीं बांधा है कि कम से कम 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे रेगुलर विद्युत सप्लाई करनी पड़ेगी । किसानों को 24 घंटे बिजली की जरूरत नहीं है । जाड़े के दिनों में फसल की सिंचाई होती है । दिन में 6 घंटे, आठ घंटे बिजली की सप्लाई की गारन्टी कर दें, और गर्मी के दिनों में रात में बिजली दें और गारन्टी कर दें कि इतने घंटे कम से कम किसानों को बिजली दी जायगी । आप गांवों में गये होंगे । यह ठीक है कि आज सरकार में लोग बैठे हैं । आज उनके चश्मे बदल गये हैं । इधर होते तो देखने के चश्मे दूसरे होते । जब वे इधर बैठते थे, माननीय मंजूर अहमद वगैरह जो भाषण देते थे, आज उधर उनकी वह भाषा और चेहरे बदल गये हैं । हम बड़े परेशान हैं यह देख कर कि जबान कैसे बदल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मित्र सेन--]

गयी । ताज्जूब है । इस देश में कैसे परिवर्तन लायेंगे कौन सा प्रगतिशील कदम उठायेंगे? किस रफ्तार से चल रहे हैं? कब समाजवाद इनका धरती पर उतरेगा? लाखों को है । अगर आंकलन के ऐसे नजरिये हों जायं तो कैसे काम चलेगा। आज किसानों के सामने जो बिजली की समस्या है चाहे इधर के बैठे माननीय सदस्य हों या उधर के हों सभी लोग चाहेंगे कि गांवों में किसानों को बिजली दी जाय और उसकी गारन्टी दुतरफा करायी जाय और दूसरी बात यह है कि उनको कम रेट पर बिजली दी जाय । आज स्थिति यह है कि लागत पर भी बिजली की दर बढ़ रही है । तो जिन कारणों से बिजली की दर बढ़ रही है जिससे बिजली का उत्पादन होता है उन चीजों के दाम बढ़ जाने की वजह से जो बिजली की दर में आप बढ़ोत्तरी कर रहे हैं, उससे किसानों को छूट मिलनी चाहिए । आपके जितने गवर्नमेन्ट के डिपार्टमेन्ट्स हैं, रेलवे है, कोयला है सारी चीजें जिनसे बिजली के उत्पादन में सहायता मिलती है, उन दरों का किसानों को न लगा कर उन्हें छूट आपको देनी चाहिए । मान्यवर, मैं आंकड़ों में न जा कर इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

(श्री निर्मल कुमार का नाम पुकारे जाने पर ।)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

यह पीठासीन अधिकारी का काम है कि सदन को नियमानुसार चलाये । इस तरह से जो पीठासीन अधिकारी की तरफ आक्षेप होते हैं कि मेरा नम्बर था मुझे समय नहीं दिया, यह ठीक नहीं है । मेरे पास सूची भी है । (श्री काशी नाथ मिश्र के खड़े होने पर) । माननीय काशी नाथ जी मैं लिस्ट से नहीं बुला रहा हूं । मैं अपने विवेक के अनुसार बुला रहा हूं ।

*श्री निर्मल कुमार--

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं विद्युत अनुदान की मांगों के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

(एक सदस्य के बीच में खड़े हो कर मन्त्री जी से बात करने पर।)

श्री अधिष्ठाता --

माननीय सदस्य कृपया बैठें । वे बोल रहे हैं और आप उनके सामने खड़े हैं ।

श्री निर्मल कुमार--

माननीय मन्त्री जी ने जो विद्युत विभाग की सूक्ष्म रूपरेखा रखी उसको सुनने के बाद मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि आज विद्युत के लिये सर्वाधिक राशि लगभग 300 करोड़ रुपये उन्होंने रखी है । वास्तव में आज हमारे जीवन में विद्युत की उपयोगिता जिस तरीके से हवा पानी और रोटी हमारे लिये आवश्यक है उसी तरह से विद्युत भी हमारे जीवन और समाज का एक अनिवार्य अंग बन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुका है : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि विद्युत के उत्पादन में कमी हुई है और आपूर्ति में भी वही स्थिति देखी जाती है। यदि इस तरफ हम विचार करें तो हम पायेंगे कि पिछले तीन साल तक जिन लोगों के हाथ में शासन सत्ता रही, जो लोग कटौती का प्रस्ताव लायें हैं उन लोगों का विद्युत की आपूर्ति को बिगाड़ने में कितना अहम हाथ रहा है, यह देखने की बात है।

मान्यवर, पिछले तीन सालों के दरमियान विद्युत विभाग से सम्बन्धित कई हड़तालें हुईं। मैं यह नहीं कहता कि उस समय जो विद्युत विभाग के इन्जीनियर्स और कर्मचारी थे उनके द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया और उनकी मांगें उचित थीं लेकिन तत्कालीन सरकार ने उनको दबाने का निर्णय लिया और यह नहीं सोचा कि उनकी आवाज एकदम से दबा देने से विद्युत उत्पादन वे किस तरह से बहाल रख पायेंगे। आपने निर्देश भी दिये कि उत्पादन में किसी तरह की कमी नहीं होगी। उसका वह नतीजा हुआ कि हड़ताल के दौरान थरमल पावर स्टेशनों को चलाने की जिम्मेदारी ऐसे लोगों को सौंप दी गयी जिनको उसका तजुर्बा नहीं था। जैसा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि उन तीन सालों के दरमियान पावर हाउस और उनकी मेंटीनेन्स की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई थी। वे जर्जर थे। अनुभवहीन लोगों के हाथ में उनको सौंप देने का यह नतीजा हुआ कि उन पावर हाउस की दशा और भी जर्जर हो गई। ऐसी कमियां रही हैं पिछले तीन सालों में जिस कारण से आज से हमें बिजली में कमी दिखाई दे रही है। उस परिपेक्ष में आज उद्योगों को आगे बढ़ाने की बात है। मैं माननीय विद्युत मन्त्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से कृषि और किसानों को विद्युत में प्राथमिकता देने की बात की जा रही है उसी के साथ सरकार को सोचना चाहिए कि उद्योगों को भी जो हमारे राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक हैं उनको भी पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलनी चाहिए। हालांकि सरकार के निर्देश हैं जो पहले कटौती थी उसमें कमी कर दी गयी है लेकिन उसके बावजूद मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में आज भी अन्य रूलर फीडर से ही जिन लोगों को बिजली मिलती है वह 4 से 6 घंटे बिजली मिलती है और उसी तरह वहां उद्योगों को भी 6 घंटे बिजली मिल पा रही है। जितनी बिजली उनको मिलनी चाहिए जितनी आपूर्ति होनी चाहिये वह नहीं हो रही है। हमारे फैजाबाद में सोहावल एक विद्युत पावर हाउस है जो बहुत जर्जर हालत में है और पिछले तीन साल में और जर्जर हो गया। मेनटीनेन्स के नाम पर उसमें कुछ भी नहीं हुआ। मैं मन्त्री जी का आह्वान करता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं कि उस ओर वह विशेष ध्यान दें ताकि उस पावर हाउस को ठीक से चला सकें। अगर वह पूरी क्षमता से चले तो हमारे फजाबाद को कम से कम इतनी आपूर्ति मिल सकती है कि हमारी आवश्यकता पूरी हो जाय। मैं पुनः आपको अधिष्ठाता महोदय धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री ध्रुप राय—

मान्यवर, विद्युत शक्ति का संचार ऊपर से होता है, यह ब्रह्ममय शक्ति है, ज्योतिमय शक्ति है, यह ऊपर से अवतरित होती है। पृथ्वी से 50 कि0 मी0 ऊपर और 500 कि0 मी0 अन्दर इस महान शक्ति का आदान प्रदान हो रहा है जो कि पृथ्वी पर लगातार गिर रही है। मान्यवर, आप देखें कि पृथ्वी एक मैगनेट के समान है और उसमें आकर्षण है। अपने आकर्षण से शक्ति पैदा करती है जिससे विद्युत का उत्पादन होता है।

[श्री ध्रुप राय]—

आपने देखा होगा बरसात में जब बादल आकाश में आते हैं, और आपस में टकराते हैं तो बिजली चमचमाती हुई नीचे की तरफ आती है ।

(कुछ सदस्यों द्वारा जोर से बातें करने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आपस में बात न करें । अगर आपको उनका भाषण पसंद नहीं है तो आप न सुनें लेकिन शांति बनाये रखें ।

श्री ध्रुप राय—

इसका पहले-पहले वैज्ञानिकों ने लोहे में अनुभव किया डजको थेल्स मिलिटेस ने 516 बी0 सी0 में अनुभव किया और बैजामिन फ्रैंकलिन और प्रिस्ले ने 1774 और 1776 में अनुभव किया और फिर अठारहवें शताब्दी के अन्त में एडीसिन ने कौटन फिलामेंट से बल्ब जलाया जिसको देख कर सारी दुनियां आश्चर्य चकित रह गयी । 19वीं शताब्दि में 25 हजार बल्ब व्हाइट हाऊस में कौपर फिलामेंट से जलाये गये । आज टंगसटन फिलामेंट से बल्ब जलती है । इसकी तरक्की आज जारी है कि कैसे उसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है । इस समय विद्युत् उत्पादन वाटर, आइल और कोल से होता है । इस सम्बन्ध में जो 11वीं पावर वरल्ड कफ्रेन्स हुई उसने कहा है कि तेल की कमी आ गयी है इसलिए इसको आटोमिक इनर्जी से पैदा किया जाय । इस समय दुनियां में जो विद्युत् उत्पादन है वह 64 लाख 38 हजार 900 मेगावाट है । अमरिका में 5 लाख 25 हजार 270 मेगावाट है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आपका समय इसी में समाप्त हो जायेगा ।

श्री ध्रुप राय--

सोवियत रूस में 2 लाख 17 हजार 484 मेगावाट, जापान में 1 लाख 12 हजार 285 मेगावाट है, चीन का 17 हजार मेगावाट है । भारत में इस वक्त 20 हजार मेगावाट पैदा करने की कैपेसिटी है । हमारे प्रदेश की इस वक्त बिजली की क्षमता 5850 मेगावाट है जब कि एक्चूवल कैपेसिटी देश की 22127 मेगावाट है । परन्तु अभी प्रदेश की 3233 मेगावाट की हमारी क्षमता है, जिसमें से अभी हम उत्पादन क्षमता 2324 मेगावाट ही प्राप्त कर पाए हैं । ऐसी हमारे प्रान्त की स्थिति है, 20 हजार मेगावाट हाइड्रो पावर पैदा कर सकते हैं, 10 हजार मेगावाट थर्मल से पावर पैदा कर सकते हैं और नरौरा का जो हमारा एटामिक पावर स्टेशन है, जिसमें हम 334 मेगावाट का एटामिक प्लांट लगा रहे हैं, उसको भी हम आगे और बढ़ा सकते हैं । हमने अपनी योजनाओं को देखा है । 29 योजनाओं को देखा है, उनको यदि ठीक से कार्यान्वित किया जाए तो यहां का विद्युत् उत्पादन 17 हजार मेगावाट हो जाएगा । अगली पंचवर्षीय योजना में देखें, उसमें देश के बिजली का प्रोडक्शन 48 हजार और बढ़ रहा है और पूरे भारत में इस तरह से 78 हजार का बिजली का उत्पादन हो जाएगा । यह प्रगति की स्थिति अत्यन्त प्रसंशनीय और उत्साहवर्द्धक है । मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि उनके समय में इसके उत्पादन में भारी कमी आई थी और औद्योगिक उन्नति इसके कारण से 1.4 परसेंट नीचे चली गई थी । इनके समय में इन्फ्लेशन 20 प्रतिशत बढ़ गया था, जो कि स्टैगनेन्ट इन्फ्लेशन पर आ गया था । जब से हम आए, हमने इन पर ध्यान दिया जिसके फलस्वरूप जुलाई 80 से

औद्योगिक उन्नति बढ़ती चली जा रही है और 1.9 परसेंट से ऊपर चली गई है। अभी हमारे मुख्य मन्त्री जी इसी सम्बन्ध में दिल्ली गये थे और केन्द्र से परामर्श करके उन्होंने 6.4 प्रतिशत औद्योगिक प्रगति को आगे बढ़ाने की योजनाएं और बनाई हैं। हमने इस प्रकार के कदम उठाए हैं जो कि प्रगति करने की, आगे बढ़ने की स्पष्ट संकेत हैं।

खामियां हैं, कुछ खामियां हुआ करती हैं। बिजली उत्पादन के लिए हमारे जो कारखाने हैं, उनकी क्षमता, उनसे हम तुरन्त पूरी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी उद्योग में देखें, हमेशा यह खामियां रहती हैं, धीरे-धीरे प्रगति की गहराइयों तक आदमी जाता है, उसको पकड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस समय हमारे देश में 121.4 पर कैपिटा बिजली का उत्पादन है, जब कि हमारे प्रान्त में केवल 84 परसेंट है। यह पंजाब में 227 परसेंट, हरियाणा में 173 परसेंट और महाराष्ट्र में 210 परसेंट है। अधिक बिजली उत्पादन करने से हमारी औद्योगिक उन्नति होगी और कृषि की उन्नति होगी, पैदावार बढ़ेगी। मैं अन्त में यह कहूंगा कि मैं पूर्वांचल से चुनकर आता हूं, जहां पर देवरिया में सेवरही इलाके में 50 मेगावाट के थर्मल पावर की स्थापना के लिए मैं मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं, क्योंकि वहां पर 250 आग्मेंटेशन-वेल सिंचाई विभाग लगा रहा है। उसके लिए भी बिजली की परम आवश्यकता है और अधिक वहां की औद्योगिक उन्नति के लिए भी इसकी आवश्यकता है। मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन और स्वागत करते हुए आपको समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत् कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यथा नाम तथोः गुणः, मैं अपने विद्युत् मन्त्री जी से कुछ आशा कर रहा था जो कि पूरी नहीं हो रही है। विद्युत् विभाग में जो बेतहाशा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसको क्या यह हल कर पाएंगे? मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं, और जिस गांव और जिस घर में मेरा जन्म हुआ है, वहां बिजली नहीं है और हम यह आशा करते थे कि जब हमारा मुल्क आजाद होगा, जैसा कि हमारे स्वर्गीय गोविन्द बल्लभ पन्त जी यह कहते थे कि एक दिन स्वीटजरलैण्ड हमारा पहाड़ बनेगा, उससे हम लोग बहुत खुश हो जाते थे। स्वीटजरलैण्ड देखा नहीं था, उनके मुखार बिन्दुओं से स्वीटजरलैण्ड की बातें सुनता था। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि मुझे 2 वर्ष पूर्व पश्चिमी जर्मनी जाने का अवसर मिला था। मैंने वहां पर देखा कि यद्यपि वहां पर कई युद्धों में बहुत बरबादी हुयी थी, तहस नहस वह देश हो गया था, लेकिन आज वहां की स्थिति को देखकर कोई नहीं कह सकता है कि वहां पर कोई युद्ध हुआ भी था और वहां पर गरीबी होगी जितनी गरीबी हमारे देश में है। वहां पर बिजली, पानी और सड़कों की चमचमाहट को देख कर क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि क्या ऐसी स्थिति कभी हमारे देश और प्रदेश में भी हो सकेगी।

बिजली विभाग में व्यवस्था इस समय हमारे प्रदेश में चल रही है, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि विद्युत् विभाग में 4 करोड़ रुपये के पुराने, सेकेन्ड हैंड ट्रान्सफार्मर खरीद लिए गये जो सड़कों के किनारों पर बेकार पड़े हुए हैं। बाहर से उन पर पौलिस की हुयी और वे बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, सड़कों

[श्री जसवन्त सिंह विष्ट--]

पर यों ही फेंके हुए हैं तार के बन्डल जिनसे बच्चे तार काट काट कर अपनी साइकिलों में सामान डालते हैं लोहे के खम्बों से लोग अपने-अपने लिंटर डलवा रहे हैं। मेरी माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे इस ओर ध्यान देने की कृपा करें।

हमारे पहाड़ के लोग तो कस्तूरी मृग के समान हैं सारा पानी पहाड़ों से बहकर मैदानों में आता है, जिससे बिजली पैदा होती है लेकिन हम पानी की एक-एक बूंद के लिये तरसते हैं। मेरी घर वाली और मेरे बच्चे 1 1/2 किलो मीटर की दूरी से पानी लाते हैं। हमारी कांग्रेस सरकार जनता पार्टी पर आरोप लगाती है और जनता पार्टी की जब सरकार थी तो वे कांग्रेस सरकार को कहती थी कि तुम बदमाश हो लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि दोनों सरकारों ने हमें क्या दिया? जिस पानी से आप बिजली पैदा कर रहे हैं उस पानी को वहां के निवासियों, पशुओं और खेतों को देने के लिए आपने क्या योजना बनायी है?

जहां तक कुटीर उद्योग धंधों का प्रश्न है स्विटजरलैंड में वहां की सरकार ने हर परिवार को कुटीर उद्योग धन्धे चलाने के लिए ट्रेनिंग दी है और हर परिवार को बिजली दे रखी है। हमारे प्रदेश में जब एक विधायक तक को बिजली नहीं मिल सकती है तो वहां की जनता का क्या हाल होगा, इसका आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि उनको कैसे बिजली मिलती होगी?

मान्यवर, अलमोड़ा, रानीखेत और पौड़ी के लिए पम्प नैथाना पेय जल योजना बनी वहां पर पानी को लिफ्ट करके दिया जायेगा लेकिन जल निगम कहता है विद्युत् विभाग हमको बिजली नहीं देता है जिससे हम गांव वालों को पानी नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आपने इतना बड़ा शक्ति भवन बना रखा है, वहां पर आप पहाड़ों में बसने वाले लोगों को बिजली देकर पानी और कुटीर उद्योग धन्धे चलाने की व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदानों के सम्बन्ध में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री काशी नाथ मिश्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विद्युत् विभाग से सम्बन्धित बहस को बड़े गौर से सुन रहा था। विद्युत् विभाग की ओर से जो यह पत्रिका निकली है, शक्ति भवन में बैठने वाले हमारे बड़े-बड़े इन्जीनियर्स ने इस पत्रिका के माध्यम से अपनी करामात को जनसाधारण तक पहुंचाना चाहते हैं। इस पत्रिका को सैकड़ों विधायक शायद समझ भी नहीं पायेंगे। क्या इसकी कीमत शक्ति भवन में बैठने वाले इंजीनियरों की इस रिपोर्ट से आंकी जायेगी या इससे आंकी जायेगी कि सुदूर गांवों में किसान एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, बिजली न मिलने के कारण मार्च के महीने में नलकूप नहीं चल पाते और पानी नहीं मिलता। उसके खेत सूख जाते हैं। सड़कों पर और घरों में बिजली के खम्भे लगे हैं, लाइन मौजूद हैं, पर बिजली गायब है, इससे आपके विभाग की प्रगति आंकी जायेगी। हिन्दुस्तान में बिजली का जो औसत उत्पादन है उसकी आधी बिजली भी हमारे यहां पैदा नहीं हो पा रही है। प्रदेश की प्रगति के लिए विद्युत, सड़क और सिंचाई तीन आभूषण हैं जिसमें विद्युत् सबसे प्रमुख चीज है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, विद्युत विभाग आज भ्रष्टाचार का केन्द्र बना हुआ है। जो हमारे काम्पीटेन्ट इंजीनियर्स हैं, योग्य इंजीनियर्स हैं, जो जी हुजूरी नहीं करते, रिश्वत नहीं लेते, उनको ऐसी जगह पोस्ट कर दिया जाता है जहां उनकी योग्यता का लाभ उठाया ही नहीं जा सकता। और जो गलत काम करते हैं, रिश्वत देते हैं उच्च अधिकारियों को, वे रिश्वत देकर अपनी पोस्टिंग ऐसी जगह करवा लेते जहां खूब पैसा कमाने के साधन होते हैं।

मान्यवर, हमारे बलिया में विद्युत विभाग के दो डिवीजन पिछले 9-10 सालों से थे, अब उनको तोड़कर एक कर दिया गया है इसलिए कि एक ही इंजीनियर ज्यादा रिश्वत खा सके। प्रगति करने के लिए डिवीजन की संख्या बढ़ायी जाती है या कम की जाती है ? दो की जगह एक क्यों कर दिया गया इसका कोई जवाब मंत्री जी के पास नहीं है। दो आदमियों का काम एक आदमी कैसे कर लेगा ? जो कर्मचारी पैसा नहीं देता उसका ट्रान्सफर कर दिया जाता है। एक व्यक्ति को दफ्तर में अपना कानूनी सलाहकार बनाकर रख लिया है जो शर्मा हैं। बिजली से सम्बन्धित जितने भी मुकदमें जाते हैं, विद्युत विभाग हार जाता है। यह विद्युत विभाग कन्ज्यूमर्स से मिले रहते हैं, उनसे रुपया खा जाते हैं, उनकी मिली भगत से विद्युत विभाग मुकदमा हार जाता है और विद्युत विभाग को नुकसान उठाना पड़ता है।

मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि शक्ति भवन में बैठने वाले इनमें कभी सुधार नहीं ला सकते। जो काम एक क्लर्क अच्छी तरह से कर सकता है आज उसके काम को करने के लिए आपने इंजीनियरों को रखा है। इंजीनियरों की जरूरत पड़ती है फील्ड में। यहां एयरकन्डीसन्ड रूम्स में उनकी क्या जरूरत है ? आप कहेंगे कि टेक्नीकल काम होता है, प्लान बनाने का काम होता है, मैं कहना चाहता हूं कि रसा में विद्युत का प्लान लेनिन ने स्वयं बनाया था, वह विद्युत का कोई इंजीनियर नहीं था। आपकी सारी प्लान एक आई० सी० ए० या पी० सी० एस० बना सकता है, उसमें इंजीनियर की कोई जरूरत नहीं है। आप आज जितनी बिजली पैदा करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते। इसी किताब को देखने से पता चलता है कि एक तरफ तो आप प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट बनाते जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति बिजली की खपत घट रही है। आज कितना रुपया आप इन लोगों पर खर्च कर रहे हैं, उसके बदले में जनसाधारण को क्या मिल रहा है यह देखने की जरूरत है। हर तरफ बिजली की शिकायत है। बिजली के कारण किसान बरबाद हुआ जा रहा है, उसके खेत सूख जाते हैं। किसानों की बिजली काट कर पूंजीपतियों को बिजली हर समय मिलती रहती है। यह इंजीनियर बिजली बेचने वाले चोर हैं जो पूंजीपतियों से मिले रहते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से कि आप जांच बैठाइये और शक्ति भवन में बैठने वाले इंजीनियरों को बदलिए। क्लर्कों की संख्या बढ़ाइए। रसा में माडर्न मशीनें पुराने मकानों में लगाई गयी। मान्यवर, यहां पर पुरानी मशीनें नए मकानों में रखी जाती हैं। अमेरिका में चले जाते हो, अमेरिका की नकल करते हो कि अमेरिका जैसे दफ्तर यहां पर भी खोले जायं। दफ्तर की नकल तो हो जायगी। तो श्रीमन्, समय कम है, मैं आपका बहुत आभारी हूं, मैं विद्युत मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर इस देश को, इस देश को प्रगति की तरफ ले जाना है, तो इस विद्युत परिषद् के इंजीनियरों को देहात में, फील्ड में भेजना है और मान्यवर, यहां पर क्लर्क की नियुक्ति करना है।

*श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे इस विद्युत् के अनुदान पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया। मैं इस प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। इस सदन में आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की तरक्की तब तक कदापि नहीं हो सकती जब तक इस प्रदेश की बिजली की व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चलाई जायगी। आज बिजली से ही सम्बन्धित किसान हो गया है। बिजली से ही सम्बन्धित उद्योग हो गया है और सारा वातावरण बिजली से सम्बन्धित हो गया है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां पर हमारे मंत्री जी के आश्वासन होते हैं कि उद्योग लगाया जाय और छोटे-छोटे उद्योगों को बिजली दी जायगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि छोटे उद्योगों को कदापि बिजली नहीं दी जा रही हैं और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने की कोरी कल्पित बात की जा रही है। कृषि की उन्नति तब तक सम्भव नहीं है जब तक हमारे किसानों को, हमारे एग्रीकल्चर को भरपूर बिजली नहीं मिलेगी। आज बड़े दुख की बात है जैसा कि हमारे मिश्रा जी ने कहा कि हमारे यहां किसानों को बिजली के नाम पर केवल कोरी कल्पना दी जाती है। देहाती क्षेत्र में कहीं बिजली नहीं दी जाती है। कहीं कटौती होती है, तो कहा यह जाता है कि रोस्टरिंग है। इसकी मान्यवर, जांच कराकर मंत्री जी देखें कि क्या बात है? क्या जो छोटे उद्योग लगे हैं उनको बिजली मिल रही है? ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बन गयी, पलानी योजना बन गयी इसका मूल कारण है जहां तक मैंने अध्ययन किया है। मैंने यह अनुमान लगाया है कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि विद्युत् बोर्ड जो है यह सफेद हाथी की तरह से है। इसका जो गठन किया गया है यह सही नहीं किया गया है। विद्युत् बोर्ड के जो अध्यक्ष थे, उनके जमाने में देखा कि यहां पर बिजली की कोई कमी नहीं रही। कौन सी ऐसी बात उन्होंने कर दिया था? मैं उनका नाम यहां पर नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं यह जरूर बता देना चाहता हूं कि अभी 3-4 साल पहले की बात है कि उनके जमाने में प्रदेश की बिजली काफी पैदा हुई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज बिजली बोर्ड के तमाम तरीके की परिकल्पनायें की जा रही हैं कि बिजली बोर्ड बना दिया जाय। लेकिन बिजली में कैसे सुधार हो? बिजली ग्रामीण अंचलों में कैसे पहुंचे। बिजली, छोटे उद्योगों को कैसे मिले, इस विषय में हमारे विद्युत् बोर्ड बिल्कुल शून्य हैं।

और जहां तक इस विभाग में भ्रष्टाचार का प्रश्न है। अभी कुछ ही दिन पूर्व यही हमारे विद्युत् मंत्री बिजली बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में कितनी कितनी बातें कहा करते थे उनको तो इस विषय में अच्छी जानकारी है, इसमें जो गड़बड़ियां हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है, तो उसको दूर करने का तरीका भी इनको मालूम होगा इसमें जो बड़े-बड़े पदों पर आसीन इंजीनियर हैं, जो सिफारिश के बूते और सत्ता से लिपटकर मंत्रियों से याचना करके बातें करते हैं, वही ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, और जो काम्पीटेन्ट इंजीनियर्स हैं, मेहनत करते हैं, लगन से समय पर अपने काम को निपटाते हैं, उनको इस कुर्सी पर नहीं बैठाया जाता है। आज इस विभाग में जितना भ्रष्टाचार है, दूसरे विभागों में नहीं है। बिजली परचेज में भी करोड़ों का घोटाला है। मुझे याद है कि करोड़ों रुपया के तांबे के तार के बड़े-बड़े लोगों ने टेंडर दिए, लेकिन जिसको दिया जाना चाहिए था, उसको नहीं दिया गया, लेकिन दिया गया अपने आदमियों को और तमाम रिपोर्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुनने में आयी है कि ताम्बे के तार के जगह अल्युमीनियम का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन न इसको रोकने पर जोर दिया जा रहा है और न ही यह देखा जा रहा कि किसानों को वास्तव में बिजली मिलनी चाहिए। आज किसानों को जितनी बिजली मिल रही है। अपने क्षेत्र की बात बताऊं जहां 4 सालों से एक घंटा भी बिजली नहीं जाती। हरदोई जिले के पाली कस्बे से आता हूं। इस कस्बे में जब श्री बी0 बी0 लाल सेक्रेटरी हुआ करते थे, तब वहां विद्युतीकरण हुआ था। मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां एक घंटे के लिए भी बिजली नहीं जाती इसको माननीय मंत्री जी और यहां बैठे उच्चाधिकारी नोट कर लें और जांच कराकर मालूम करें। मान्यवर, बटोई का एक ही चावल देखा जाता है, पूरी बटोई के बारे में मालूम हो जाता है। यही हाल यहां भी है कि यह ग्रामीण अंचलों को क्या बिजली देते होंगे। यह देते हैं तो बड़े-बड़े लोगों को टाटा, बिरला और हिण्डालकों वगैरह को और जब सरकार की पालिसी यह है कि ग्रामीण आंचलों, छोटे किसानों और छोटे-छोटे उद्योग धंधों को देने की अधिक है ताकि यह छोटे-छोटे उद्योग उभर सकें। इनको आज सही मायनों में बिजली देने की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया। दीक्षित जी, आप कृपया बैठें।

श्री राम औतार दीक्षित--

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को खत्म करता हूं क्योंकि समय बहुत थोड़ा है।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इस कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। किसी देश और प्रदेश की उन्नति की प्रतीक शक्ति है। लेकिन यह शक्ति हमारे प्रदेश की बिल्कुल अस्वस्थ्य है। अब इस अस्वस्थता के कारण इस विभाग ने प्रदेश की तकदीर को लूटने का ठेका ले रखा है। इसलिये मैं इस पर अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि विद्युत् आपूर्ति पिछले वर्ष सूखे के कारण पूरी नहीं की जा सकी। लेकिन इस वर्ष तो प्रायः प्रदेश की हर नदी का जलस्तर ऊंचा हो गया है, पर विद्युत् उत्पादन में कोई भी बढ़ौती नहीं हुई है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और इस विभाग के उच्चाधिकारियों से जानना चाहता हूं कि परसाल के सूखों और इस साल के बाढ़ से विद्युत् पर क्या असर पड़ा है? पिछले रेकार्ड को देखने से ऐसा लगता है कि प्रति वर्ष करोड़ों रुपये का घाटा में बढ़ोत्तरी विद्युत् विभाग में हो रही है और प्रति वर्ष विद्युत् उत्पादन में कमी आई है। आखिर यह क्यों होता है इसके निराकरण के लिए आपने क्या किया? इसके निराकरण के लिए आप एक सेल बनाए हैं और उसमें पुलिस को नियुक्त किए हैं। प्रदेश की तकदीर को लूटने के लिए आपके अवर अभियन्ता से लेकर अध्यक्ष, विद्युत् परिषद् ही पर्याप्त थे आपने दूसरा सेल क्यों बना दिया। माननीय अधिष्ठाता जी, मीटर रीडिंग होती है देहातों में, आप भी देहात से ही चुनकर आए होंगे, आप भी जानते होंगे कि मीटर रीडिंग में चोरी होती है, हजारों रुपए का सरकारी धन सैकड़ों में बेचा जाता है। आप बकाए की वसूली नहीं करते हैं और कटौती का प्रस्ताव जब

[श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--]

सदन में आता है तो उसका विरोध करने के लिए आप खड़े हो जाते हैं। आप बकाये की बड़े पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से करोड़ों रुपये की वसूली कराये।

मान्यवर, जब किसी विभाग का कटौती का प्रस्ताव आता है तो भ्रष्टाचार के बारे में कहा जाता है। भ्रष्टाचार के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं हमारे यहां सलीमपुर में एक सहायक अभियन्ता श्री श्रीवास्तव हैं उनकी शिकायत मैंने अध्यक्ष से किया। शिकायत सुनने के बाद अध्यक्ष, विद्युत् परिषद ने मुझसे कहा कि आप चाहते हैं कि उनका स्थानान्तरण कर दिया जाय। मैंने कहा स्थानान्तरण नहीं चाहता हूं मैं यह चाहता हूं कि इन शिकायतों की जांच हो। कोई अधीक्षण अभियन्ता वहां पर जांच में गए किसानों ने एफीडेविट लगाकर उनको दिए और रिश्वत लेने के सम्बन्ध में जानकारी दी किन्तु पता नहीं उस पर क्या हुआ पता नहीं वह जांच क्या हुई। मान्यवर, सहायक अभियन्ता से लेकर अध्यक्ष, विद्युत् परिषद् तक अपने गन्दे दामन से प्रदेश की तकदीर लूट रहे हैं। हमारे यहां गोरखपुर में तापीय विद्युत् गृह है वहां पर कोयले की चोरी की रपट हुई थी इसमें वहां के अधीक्षण अभियन्ता सम मिश्रा का हाथ बताया गया, किन्तु आज तक पता नहीं उसकी जांच में क्या हुआ। माननीय मन्त्री जी को हो सकता है इसकी जानकारी न हो लेकिन मुझे इसकी जानकारी है पिछले 6 महीने से वहां पर कोयले की चोरी की जा रही है और विद्युत् विभाग के सभी कर्मचारी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। यह बजट इसीलिए पेश किया गया है कि आने वाले कल में और ज्यादा हिस्सा लिया जा सके। आप किसानों की विद्युत आपूर्ति करिये किसानों की तकदीर संवरेगी तो प्रदेश और देश की तकदीर संवरेगी। मान्यवर, गांव का किसान भी अपनी सम्पन्नता से ठंडा पानी पीना चाहता है बिजली की रोशनी में रहना चाहता है, देहात के लोग और शहर के लोग सभी उसी अल्ला के यहां से आये सबको पैदा करने वाला एक है, एक ही बाप-दादा ने सभी को पैदा किया है चाहे वह अधिकारी हो या गांव का किसान हो। किसान जब खेत की सिंचाई के लिए खेत पर जाता है तो बिजली के अभाव में बड़ा मायूस होता है अन्त में जो बजट रखा गया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और नैतिकता के आधार पर एक रुपया देता हूं।

*श्रीमती किशोरी शुक्ला--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। हमारे माननीय मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं हृदय से समर्थन करती हूं।

मान्यवर, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि विद्युत् विभाग में एक मुख्य अभियंता हैं, जब उनके पास हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि गए तो उन्होंने ऐसे असंसदीय भाषाओं का प्रयोग किया कि मन्त्री लोग तो लिखते ही हैं, तो मैं निवेदन करूंगी कि ऐसे अधिकारी हो जिसे याद नहीं है कि शासन कांग्रेस का है, उसे तुरन्त दण्डित किया जाय। वहां पर एक बी० सी० मित्तल चेयरमैन हैं और मुख्य अभियन्ता, चीफ इंजीनियर हैं, इसी हाउस में आकर अभियान चला रहे थे कि उनको हटाकर हमें चेयरमैन बना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिये जायें, जब हमने उनकी बात को नहीं मानी तो उन्होंने टेलीफोन पर बात करने पर टेलीफोन पटक दिया। तो ऐसे लोगों को किसी प्रकार से बख्शा न जाये।

मान्यवर, मेरे सहजनवा क्षेत्र में बड़ी दुःखद स्थिति है। हमारे क्षेत्र में लगभग 60 सरकारी तथा 100 प्राइवेट ट्यूबवेल हैं, उनको बिजली समय से नहीं मिलती। जो खराब हैं वह महीनों नहीं साल बीत जाते हैं लेकिन खराब के खराब के खराब पड़े रहते हैं। हमारे ब्लाक में एक ब्लाक प्रमुख राम कृष्ण शुक्ला हैं। उनके यहां एक ट्रांसफर वर्षों से खराब पड़ा है, अधिकारी ध्यान नहीं देते। उनसे कहा जाता है तो वे कहते हैं कि यहां उठा कर के लाओ। वहां नहीं जाऊंगा। बिजली विभाग को अस्पताल की तरह इमरजेंसी विभाग घोषित किया जाय। ग्रामीण उद्योग इसलिए नहीं लग रहे हैं कि उन्हें बिजली कनेक्शन में बड़ी कठनाई होती है। उसे सरल किया जाय। कुछ प्रमुख गांवों के नाम बता रही हूं वहां बिजली तुरन्त दी जाये जैसे सहजनवा, हरपुरबुदहर, घघसरा, जसौल बाजार, डुमरी, सोहापार, भीटी, पाली, बढ़या, भड़सार, सतुलाभार, बनौली, बरईपार, सूरस, देवरिया, गहींसाड़, बसिया, अगौरा आदि हैं जो 4 हजार की आबादी से अधिक हैं जो बाजार से सटे हैं वहां बिजली की व्यवस्था की जाए। यह भी निवेदन करूंगी कि हमारे दारुलशफा में आए दिन बिजली नहीं रहती तो गांवों की क्या हालत होगी। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हर गांवों में बिजली के ट्यूबवेल की जरूरत है। खम्भे हर गांव में हैं लेकिन किसी भी ग्रामीण को आज तक बिजली नहीं दी गई है। उन्हें बिजली की सुविधा दी जाए ताकि दुःखी किसान बिजली के उजाले में रह सकें, उद्योग लगा सकें, उत्पादन बढ़ा सकें। मैं यह भी निवेदन करूंगी कि सहजनवा बाजार में थाना है, बैंक है, इसलिए वहां 18 घंटे बिजली प्रदान की जाए और मान्यवर, गांवों में किसानों को 10 घंटे बिजली दी जाए। जो बजट पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करती हूं और विरोध पक्ष के लोग जो कटौती का प्रस्ताव रखे हैं उसकी घोर निन्दा करती हूं और विरोध प्रकट करती हूं।

श्री अधिष्ठाता—

कुमारी अलमेलु अम्माल।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जायें। अग्निहोत्री जी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय सदस्या ने अभी सदन को सूचना दी है कि बिजली विभाग के किसी इग्जक्यूटिव इन्जीनियर से...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

असंसदीय व्यवहार किया है, मान्यवर ।

श्री अधिष्ठाता--

इसके लिए विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना आप या माननीय सदस्या दें ।

(व्यवधान)

पहले आप बैठ जायें ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीया सदस्या सदन के संज्ञान में एक बात लायी कि एक सप्ताह पहले बिजली विभाग के एग्यूजीक्यूटिव इन्जीनियर के कमरे में वह गयीं । उसने इनके साथ असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया और दुर्व्यवहार किया । यह सदन में माननीया सदस्या ने नोटिस दी हैं ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीया सदस्या ने कोई सूचना नहीं दी हैं ।

(व्यवधान)

आप लोग बैठ जांय ।

(व्यवधान)

आप मेरी व्यवस्था सुनें ।

श्री जैराज गौतम--

मान्यवर, यह जो माननीय सदस्या ने कहा है । वह बात बिलकुल सही है माननीय सदस्या के साथ ही नहीं मेरे साथ भी ऐसा सुलूक हुआ है ।

(शोर)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग अपने अपने स्थान ग्रहण करें । यह जो कुछ बोल रहे हैं कोई कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

(शोर)

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें अग्निहोत्री जी ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

यह व्यवस्था का सवाल है ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

मैं व्यवस्था दे चुका ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी जो बोल रहे हैं वह कार्यवाही का अंश नहीं बनेगा ।

(व्यवधान)

आप पीठासीन अधिकारी को कोई व्यवस्था देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते । (शोर)

आप बैठें । मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप बैठ जांय । सदन की कार्यवाही चलने दें ।

(शोर)

(श्री कुबेर भण्डारी के खड़े होने पर)

आप बैठें कुबेर जी । आप सदन की कार्यवाही में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं । मैं आपको पुनः सूचित कर रहा हूं कि आप बैठ जाय ।

श्री खैरुल बशर का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री जैराज गौतम--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे विद्युत जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग कृपया अपने अपने स्थान ग्रहण करें । पीठासीन अधिकारी खड़े हैं ।

(व्यवधान)

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री खैरुल बशर--

यह डिबेट नहीं चलेगी, जब तक इस पर निर्णय नहीं हो जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

आपने यह कहा है कि यह डिबेट नहीं चलेगी । आप यह शब्द वापस ले वरना आपको सदन का त्याग करना पड़ेगा । यदि वापस नहीं लेते तो सदन का त्याग करें ।

श्री खैरुल बशर--

जब तक इस पर फैसला नहीं कर लेते, सदन नहीं चलना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता--

आप सदन का त्याग करें या अपने शब्दों को वापस लें ।

श्री खैरुल बशर--

मैं वापस लेने को तैयार नहीं हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप सदन का त्याग करें । (श्री खैरुल बशर के सदन से बाहर न जाने पर) माननीय मन्त्री जी, मैं खैरुल बशर को इंगित करता हूं ।

वित मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि चेयर के लिये जो उन्होंने कहा है, उसके लिये खेद प्रकट कर दें । खेद प्रकट करने में बड़प्पन बढ़ता है ।

श्री खैरुल बशर--

मैंने चेयर का अपमान नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने श्री खैरुल बशर को इंगित किया है । माननीय मन्त्री जी ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, उन्होंने सदन में स्पष्ट कहा है कि मैंने ये शब्द नहीं कहे । इस तरह से यह उचित नहीं कि उनको इंगित किया जाय । इस तरह से करेंगे, तो कैसे काम चलेगा ?

श्री खैरुल बशर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप अत्यन्त उत्तेजित हैं । उत्तेजित हो कर सदन को चलायेंगे, तो सदन कैसे चलेगा ? आप बहुत उत्तेजित हैं । आप स्वयं तैश में आ कर बोल रहे हैं ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय खैरुल बशर को तीन दिन के लिये सदन से निलम्बित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि श्री खैरुल बशर को तीन दिन के लिये सदन से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री श्याम नारायन तिवारी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जब माननीय सदस्य ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि उन्होंने ऐसे शब्द नहीं कहे, जिस कारण पीठासीन अधिकारी को भ्रम हो गया है, तो इस प्रस्ताव को वापस लें इस शासन के अन्तर्गत सदन में पहली बार यह घटना हो रही है कि कोई सदस्य इंगित किया जाय । मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं । चूंकि माननीय सदस्य ने स्पष्ट कह दिया है कि उन्होंने ऐसे शब्द नहीं कहे, इसलिये इस प्रस्ताव को वापस लें। यह उचित नहीं कि सदस्य के कहने पर भी ऐसा प्रस्ताव किया जाय । मैं पुनः मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मन्त्री से निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव को वापस लें । यह उचित नहीं ।

श्री जयदीप सिंह--

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है उस पर अभी तक आपने निर्णय नहीं दिया है । तो जब तक आप उस प्रश्न पर निर्णय नहीं देते हैं तब तक कोई प्रस्ताव कैसे आ सकता है ।

श्री अधिष्ठाता--

उस पर मैं अपना निर्णय दे चुका हूं ।

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि जो भी पीठासीन अधिकारी या अधिष्ठाता आदेश देते हैं वह सारे सदन को शिरोधार्य होना चाहिए क्योंकि अगर पीठ की गरिमा नहीं रही तो सदन की गरिमा नहीं रहेगी । इसलिये यह हम सबके लिये आवश्यक है कि जो आदेश आप इस पीठ से दें वह हम लोग स्वीकार करें और अनुशासन में रहें और इस सदन की गरिमा को कायम रखें । जो आदेश हुआ और विद्युत मन्त्री ने जो प्रस्ताव किया वह पारित हुआ । एक बार फिर, प्रस्ताव पास हो गया है, लेकिन मैं नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि वह माननीय सदस्य को समझायें कि वह खेद प्रकाश करें । क्योंकि पीठासीन अधिकारी के सामने खेद प्रकाश से कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग बराबर खेद प्रकाश करते हैं । मान्यवर, आपके माध्यम से सदन से निवेदन है कि इस पीठ की गरिमा और मर्यादा को रखने के लिये वह खेद प्रकाश कर दें।

श्री खैरुल बशर--

आप मेरी एक बात सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता--

आप पहले सदन का त्याग करें।

श्री खैरुल बशर—

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता—

आप जो बोलेंगे वह अंश इस कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा ।

श्री खैरुल बशर—

आप मेरी बात जरा सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता—

आप सदन का त्याग करें ।

एक सदस्य—

मान्यवर, आप लीडर आफ अपोजीशन को सुन लीजिये ।

श्री खैरुल बशर—

अधिष्ठाता महोदय, जरा मेरी बात तो सुन लीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

सदन में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि माननीय सदस्य को निलंबित किया जाय । माननीय सदस्य की कोई बात उस वक्त तक नहीं सुनी जायेगी जब तक वह सदन का त्याग न करें । उसके बाद कोई प्रस्ताव आये तो उस पर सदन पुनः विचार करेगा । जो प्रस्ताव सदन न पारित किया है उसका परिपालन होना पहले आवश्यक है उसके बाद ही किसी बात पर विचार किया जा सकता है ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिये । पीठासीन अधिकारी का जो भी निर्णय होगा सदन का कर्त्तव्य हो जाता है कि उसको शिरोधार्य करके उसकी गरिमा को रक्खें, यह हमारा सबका कर्त्तव्य है । जिस समय आपने कहा कि आपने यह शब्द कैसे कहे कि यह सदन नहीं चलेगा । उसी के बाद माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने यह नहीं कहा, मैंने ऐसी बात नहीं कही । उस पर विद्युत् मंत्री जी ने एक प्रस्ताव माननीय सदस्य को तीन दिन के निलम्बन के लिए रखा जो स्वीकार हुआ । मेरा एक अन्य निवेदन है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उसके उपरान्त एक निवेदन किया, उन्होंने कहा कि यदि माननीय सदस्य इस बात पर खेद प्रकाश करें तो वह इस प्रस्ताव को वापस लेने का प्रस्ताव कर सकते हैं । मेरा निवेदन है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव के बाद भी आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं । ये सभी के लिए बड़ी दुखद बात है ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं तो आपकी बात सुन रहा हूं ।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, जो तथ्य आपके सामने रखे जाते हैं उनको आप सुनते नहीं हैं और तत्काल निर्णय दे देते हैं इससे हमारे लिए और माननीय सदस्यों के लिये कठिनाई पैदा हो जाती है। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा है उस पर माननीय सदस्य को सुन लें और जब आप आश्वस्त हो जायं कि उन्होंने क्या कहा था तब आप अपना निर्णय दें चूंकि माननीय सदस्य का कहना है कि हमने ऐसा नहीं कहा था। इस कारण आप व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय श्री हरी किशन श्रीवास्ताव, आप इस आदरणीय सदन के पुराने सदस्य हैं, इसलिए जानते हैं कि यदि संसदीय कार्य मंत्री नियमों के विपरीत प्रस्ताव रखेंगे तो उसको पीठासीन अधिकारी अनुमति नहीं देगें। इसलिये पहले जो प्रस्ताव पास हुआ है उसका परिपालन होना जरूरी है। पहले माननीय सदस्य सदन का त्याग करें, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री यह प्रस्ताव लायें। यदि सदन उसको स्वीकार करेगा तो माननीय सदस्य पुनः सदन में प्रवेश करेंगे।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, माननीय सदस्य अकेले सदन का त्याग नहीं करेंगे बल्कि हम सभी लोग सदन का त्याग कर रहे हैं।

(विरोध पक्ष के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

(2 बजकर 47 मिनट)

1980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 67 -विद्युत विभाग तथा अनुदान संख्या 123--विद्युत विभाग ऋण और अग्रिम (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता--

कुमारी अलमेलु अम्माल अपना भाषण जारी करें।

कुमारी अलमेलू अम्माल--

अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने जो बिजली के बजट का प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं और उस पर मैं अपनी राय बताना चाहती हूं। मान्यवर, जहां तक बिजली के वितरण व्यवस्था का प्रश्न है मैं उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि बड़े उद्योगों की बिजली आपूर्ति निश्चित समय और निश्चित घंटों में की जाती है लेकिन ग्रामीण उद्योगों में बिजली न तो निश्चित समय पर और न निश्चित घंटों में ही सप्लाई की जाती है जिससे ग्रामीण उद्योग पनप नहीं पा रहे हैं। इस पर भी विडम्बना यह है कि उन्हें निश्चित रकम भी बिजली की देनी पड़ती है जिससे ग्रामीण उद्योग धंधे बेहद घाटे में चल रहे हैं। इस प्रकार एक ओर बिजली की अनिश्चित आपूर्ति और दूसरी ओर न्यूनतम कर पूर्ति का भारी बोझ। इस विसंगति ने ग्रामीण उद्योगों की रीढ़ तोड़ दिये हैं। इसलिए जो बिजली उनके उद्योगों की पोषक थी वही विद्युत विभाग के कुप्रबन्ध के कारण उनकी शोषक बन गयी है।

मान्यवर, इससे भी बुरा हाल नलकूपों का विद्युत आपूर्ति में है। यह स्पष्ट है कि खेती में जब लगातार पानी मिलता है तब खेती सींचने में सुविधा रहती है।

[कुमारी अलमेलू अम्माल--]

और सिंचे खेत में बार-बार पानी जाने से फसल नष्ट हो जाती है। इसके अलावा किसान हर समय खेत पर मौजूद नहीं रह सकता है और न मजदूर हर समय के लिए प्राप्त हो सकते हैं। बिजली आने की प्रतीक्षा में किसान का बहुत समय नष्ट होता है और मजदूरों को प्रतीक्षा में बैठना पड़ता है। इसलिए मंत्री जी को बिजली निश्चित समय पर देने की ओर ध्यान देना चाहिये। इसके अलावा बिजली सप्लाई न होने पर भी किसानों को मिनिमम गारन्टी का पैसा देना पड़ता है, इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि यदि निर्धारित मात्रा में किसानों को निश्चित समय पर बिजली आप नहीं दे सकते हैं तो मिनिमम गारन्टी को समाप्त क्यों नहीं कर देते हैं? क्योंकि सारी सुविधायें और बिजली विद्युत विभाग को मिलती है लेकिन किसानों को बिजली आपूर्ति में न कोई सुविधा है और न कोई निश्चितता। इसलिए मीटर का प्रबन्ध क्यों नहीं आप कर देते हैं। लेकिन इससे भी मेरी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अधिक अन्न उपजाओ जो हमारी योजना है जब तक किसान को भरपूर पानी फसल के समय नहीं मिलेगा तब तक वह योजना सफल नहीं हो सकती। इसलिए मेरी मांग आपके द्वारा मंत्री जी से यह है कि किसानों को फसल के अवसर पर चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति की जाय। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगी कि मेरा सुझाव है कि ग्रामीण उद्योग धन्धों को अगर भरपूर विद्युत मिल जाय तो वहां के जो नवयुवक हैं वे भी छोटे उद्योग लगा कर अपने को फायदा पहुंचा सकते हैं और किसानों को चौबीसों घंटे फसल के लिए बिजली मिल जाय तो खेती का उत्पादन दुगना हो सकता है। जो पानी 6 घन्टे दिया गया है वह ज्यादातर रात में दिया जाता है। देहात में किसानों की बहुत सी औरतें रात में खेत में पानी चलाने के लिए जाती हैं। आधी रात में बिजली आती है। मैं कहूंगी कि अगर कृषि में हम अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो किसान को चौबीसों घन्टे खेती के समय पर पानी मिलना चाहिये। धन्यवाद।

श्री खैरुल बशर का सदन से निलम्बन प्रस्ताव को निरस्त करने का प्रस्ताव

(श्री कुंवर सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी--)

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि माननीय खैरुल बशर को तीन दिन के लिए सदन से निलम्बन का जो प्रस्ताव था, उसे निरस्त करने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि श्री खैरुल बशर को तीन दिन के लिए सदन से निलम्बन का जो प्रस्ताव था उसे निरस्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(2 बजकर 52 मिनट)

1980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-67-विद्युत विभाग तथा अनुदान संख्या--123 विद्युत विभाग ऋण और अग्रिम (क्रमागत)

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़े जोरों से ढिंढोरा पीटा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं को कुछ राहत दी है। बिजली की जिस प्रकार से वहां पर गति चल रही है, जिस प्रकार से उपलब्धता है, उससे तो यह

रियायत बिल्कुल ही महत्वहीन है । वहां के उपभोक्ता इतने परेशान हैं कि वे अपने खर्चे से अपने कनेक्शनों को कटवाने के लिए तैयार हैं । लोग पछता रहे हैं कि उन्होंने क्यों बिजली लगवाई । हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बिजली की काफी गम्भीर समस्या है और सरकार चाहती है कि बड़े डैमों का निर्माण करके वहां पर बिजली बनाई जाय। परन्तु मैं इसका विरोध करता हूं कि बड़े डैमों का निर्माण हो । उनसे वहां काफी क्षति होगी जिस प्रकार से उल्यासे डैम का निर्माण सरकार के विचाराधीन है । पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों का बहाव बड़ा तेज होता है और उससे मिट्टी कंकड़ बहुत अधिक मात्रा में आते हैं । सिल्ट जमा होने से जो डैम बनेगा उसकी जिन्दगी कम हो जायगी और उसे हानि पहुंचेगी । उसके टूटने से बड़ा नुकसान होगा । मेरा सुझाव यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में लघु विद्युत परियोजनाओं की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाय । हमारे चमोली जिले में तपोवन–धरोली–सीतापुर लघु विद्युत परियोजना सरकार ने स्वीकृत की है । तपोवन योजना की काफी पहले से स्वीकृति मिली है पर पता नहीं किस वजह से इसका कार्यान्वियन नहीं हो पाया है ।

कुछ और सुझाव हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति बढ़ाने के लिए उनको ग्रिड सप्लाई से जोड़ा जाय। इसी से वहां पर आपूर्ति बढ़ सकती है । इसके अलावा जो कर्मचारी हैं उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि विद्युत् परिषद् में हिल काडर की व्यवस्था की जाय। नियुक्ति के लिए हिल काडर का आधार हो। वहां पर जो एक बहुत बड़ी कठिनाई यह हो रही है कि हमारी जनपद चमोली में कोई बिजली का स्टोर नहीं है । वहां पर सामान हल्द्वानी से आता है । लिहाजा एक स्टोर वहां बना दिया जाय ताकि सामान आसानी से उपलब्ध हो सके । एक बात यह भी है कि सरकार ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना चाहती है लेकिन बिजली का काम जो हो रहा है । वह ठेकेदारों द्वारा हो रहा है । सरकार को चाहिए कि वहां बरोजगार लोगों को नियुक्तियां दे और उनके द्वारा यह काम कराया जाय। इसके अलावा मेरा यह सुझाव है कि वहां पवन चक्की द्वारा बिजली तैयार की जा सकती है और सूर्य ऊर्जा के लिये भी प्रयास किया जाय कि किस तरह से उसका उपयोग हो ताकि बिजली का समाधान हो सके।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत ही आपका मशकूर हूं कि आपने विद्युत अनुदान पर बोलने का अवसर मुझे दिया । विद्युत अनुदान का समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव मन्त्री जी के सामने रखना चाहता हूं । इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि विद्युत विभाग के जिन इन्जीनियर्स से देश तथा प्रदेश के निर्माण के लिये जनता आशा लगाये बैठी है वे इस प्रदेश का शोषण कर रहे हैं । आज अगर हम किसी भी विद्युत विभाग के कार्यालय की ओर ध्यान दें, चाहे वह अकबरपुर तहसील में बैठा लाईन इंस्पेक्टर हो अथवा शक्ति भवन में बैठा, बड़े से बड़ा इंजीनियर हो सब का एक ही हाल है । गांव में बिजली कनेक्शन जब किसानों को मिलता है तो नियमतः उसका सामान कार्यालय से हो कर निश्चित स्थान पर जाना व वहां लगना सरकारी खर्चे पर होता है । लेकिन उन सब का खर्चा किसान देता है । कर्मचारी व अधिकारी लिखवा कर इस पैसे को अपने पास रखते हैं । अगर आप देखें तो यही पता चलेगा कि बिजली का कनेक्शन उनको दिया जाता है जिनका सौदा अकबरपुर के अधिशासी अभियन्ता से उनके घर पर बैठ कर हो जाता है ।

[श्री प्रियदर्शी जेतली--]

बेईमानी की हद यह है कि जो ठेकेदार हैं जब तक पेमेन्ट से पहले इंजीनियर्स को कमीशन लिफाफे में नहीं दे देते हैं तब तक उनका बिल पास नहीं होता। मान्यवर, उत्पादन स्थिति यह है कि फैजाबाद का थर्मल पावर प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी 15 मेगावाट है वह ढाई मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है लेकिन कोयले का खर्चा वही है जो 15 मेगावाट बिजली पैदा करने पर होता था। तीसरी बात है किसानों को बिजली मिलने की कहना चाहता हूं। विद्युत मन्त्री यहां हैं नहीं। मैं आपके माध्यम से ही उनको अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो आपका एग्रिमेन्ट सिस्टम है कंज्यूमर के लिये वह एक तरफा है। छोटे-छोटे उद्योग देहातों में लगे हुए हैं चाहे आटा चक्की हो, आरा मशीन हो, खरीद की मशीन हो या तेल की मशीन हो ये सारे छोटे उद्योग बन्द हैं। बिजली का मिनिमम कंजम्पशन है चार्जेज उनको देना ही है भले ही 15 दिन तक बिजली उनको न मिले। आज किसान परेशान हो चुका है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस तरह से आप छोटे उद्योगों को उठा सकेंगे अगर यही विभागीय नीति रही तो, इस तरह से ये उद्योग उठने वाले नहीं हैं। जहां तक किसान को बिजली मिलने की बात है। वह तो रात के 12 बजे जब कोहरा पड़ रहा होता है। तब मिलती है उसके पास न कम्बल होता है और न ओढ़ने को रजाई लेकिन रात के 12 बजे वह कुदाल ले कर खेत में खड़ा हो जाता है कि अब पानी आने वाला है अब खेत को पानी वह दे सकेगा। अब शक्ति भवन से बिजली आने वाली है। लेकिन रात भर मरने पर भी नहीं पाता। मान्यवर, जब तक आप पूरी बिजली नहीं देंगे अपने प्रदेश में हरित क्रान्ति होने वाली नहीं है। जहां तक अधिकारियों के व्यवहार की बात है अभी माननीय गौतम जी बता रहे थे, शक्ति भवन में बैठे हुए एक अधिकारी ने उससे साफ-साफ कहा कि एसे मन्त्रियों के आदेश बहुत देखें हैं। यह शर्म की बात है। ऐसे अधिकारी आज बैठे हैं शक्ति भवन में। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। यह मेरा निश्चित मत है। जब तक उनके खिलाफ उनके भ्रष्ट कार्यों का देश विद्रोह मान कर, कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक इस प्रदेश का उत्थान होने वाला नहीं है। यही सम्मानित सदन है जिसमें मैंने एक बार विचार व्यक्त किया था कि टैकनीक्रेसी को ले जा कर आई० ए० एस० के स्थान पर बैठाया जाय। लेकिन 1979 में मैंने जो बात कही थी आज मेरा मत ठीक उनके विपरीत है कि वह इस काबिल नहीं है कि वे शक्ति भवन में बैठायें जायं। उनको वहां से निकाल कर मदानों में बैठाया जाय। इन शब्दों के साथ में अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुए निवेदन करूंगा कि इस विभाग को सुधारने के लिए आपको कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, जो भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी बैठे हुए हैं, जो भ्रष्ट इंजीनियर बैठे हुए हैं, जो देश को बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी और जो कन्ज्युमर्स के साथ जो ऐग्रीमेन्ट है उसमें तब्दीली करनी पड़ेगी। वह एक शोषण है।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

एक मिनट मे यह बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। अभी जो प्रश्न आपके सामने उठा, माननीय किशोरी शुक्ला ने जो अभी कहा, एक नियमों के अन्तर्गत विशेषाधिकारी की अवहेलना की बात हुई है वे स्वयं या अन्य कोई सदस्य आपके संज्ञान में ला सकेगा। नियम 63 में बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री अध्यक्षता--

जब हम चाहेंगे तब न।

1980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिय मांगों पर मतदान-अनुदान 1361 संख्या 67-विद्युत् विभाग तथा अनुदान संख्या 123-विद्युत् विभाग-ऋण और अग्रिम

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

ऐसा नहीं है। आप पढ़ लें मेरा केवल निवेदन है कि आप नोटिस स्वीकार कर लें लिखित रूप से आपको प्रस्तुत कर दिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता--

सूचना आप दे रहे हैं, माननीय गौतम या माननीय किशोरी शुक्ला।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

नोटिस मैंने दे दिया है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य सूचना भेज दें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

सूचना मैं दे चुका हूं।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय विद्युत मन्त्री द्वारा सदन में प्रस्तुत बिजली के बजट का मैं हृदय से समर्थन करता हूं और विरोधी पक्ष की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसकी मैं निन्दा करता हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस सम्पूर्ण सदन को सूचित करना चाहता हूं साथ ही साथ इस प्रदेश के योग्यतम अध्ययनशील विद्युत मन्त्री को भी बताना चाहता हूं जिस समय विधान सभा के चुनाव हुए थे उस समय जितने भी जलशय थे सूखे पड़े थे। परन्तु चुनाव के बाद ऐसी स्थिति आयी प्रकृति की तरफ से इस प्रदेश के जितने जलाशय थे, बिजली से सम्बन्धित जितने बांध थे, उन सभी के पेट फट गये, इतना पानी प्रकृति से आया। बड़ी-बड़ी घोषणाएं हमारी तरफ से की जाती हैं, कि हरित क्रान्ति होगी, औद्योगिक विकास होगा। कहां हरित क्रान्ति है, कहां औद्योगिक विकास है ? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। चार महीने हो रहे हैं। मन्त्री महोदय और शासन के लोग और देखें कि गांव में किस तरह से चीतकार मची हुई है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में रात के दो बजे बिजली आती है। विद्युत परिषद को आज किसान ने मरघट समझ लिया है। क्या उत्तर है शासन के पास ? दो बजे रात में उसको बिजली दी जाती है। आप कहते हैं हरित क्रान्ति लायेंगे। कैसे लायेंगे ? आज उत्तर प्रदेश बिजली विभाग के पापों से कराह रहा है। तीन अरब रुपये का बजट बिजली का है और गांवों में बिजली नदारद, छोटे उद्योगों के लिये बिजली नदारद। आये दिन लाल झण्डे लगाये हुये हड़तालें हो रही हैं। यह सब क्या है ? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि आपका यह विद्युत परिषद आपका साथ नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं आप सेना का सहयोग लेते हैं। बरखास्त करिये इनको और नई भर्ती शुरू कीजिये। आप अन्यथा किस तरह से जन जीवन के प्रति उत्तरदायी हो सकेंगे। यह अब विद्युत परिषद् नहीं मृत्यु परिषद् है। आज इसने सारे प्रदेश को मृत्यु के कगार पर ला कर खड़ा कर दिया है। आप कहते हैं कि बिजली जीवन और ज्योति है जब कि यह आज यमराज के रूप में बैठ कर जनता के ऊपर प्रशासन चला रहा है। जो ये कटौती का प्रस्ताव लायें हैं, ये अल्पमत में जरूर हैं इनका प्रस्ताव तो गिर जायेगा लेकिन जिस जनता ने आपको वोट किया है वह कभी आपको माफ नहीं करेगी।

[श्री श्यामलाल बाजपेयी --]

मान्यवर, आप कहते हैं कि घाटा है। लेकिन घाटा किसके पेट में समाया जा रहा है। बिरला का अलुमिनियम फैक्ट्री में कोई कटौती नहीं है। बराबर बिजली की दर बढ़ाते जायेंगे लेकिन बेचारे किसान के लिये कोई बिजली नहीं है अगर छोटा किसान एक महीने भी किस्त देने में पिछड़ जाता है तो कैंची से उसका कनेक्शन काट दिया जाता है और बड़े बड़े लोगों से कोई नहीं पूछता। अब मैं अपने जिले के बारे में कहता हूं। वहां पर एक कोल्ड स्टोरेज है जिसके मालिक जो हैं वह सिंचाई लिफ्ट पर अपना काम कराते हैं। आज जिसको देखो कांग्रेस (आई) के नाम पर चला आ रहा है। जेलों की वे यातनायें आज गौण हो गयी हैं और चापलूसी मुख्य हो गई है। सदन में जब यह कोई बात कही जाती है नाम बताये जाते हैं तो मंत्री लोग कहते हैं कि बाजपेयी नाम बता रहा है। दूसरे का दोष नहीं देखा जाता है।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, आप मुझे मौका दें और मेरी बात सुनें। मैं कह रहा था कि 58 हजार रुपया उस पर बाकी था और उसका कनेक्शन एस0 एम0 नवीन एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने काट दिया। जब उसका कनेक्शन कट गया तो वह दौड़ा-दौड़ा लखनऊ चला आया मंत्री जी के पास। उनसे बात की कि यह स्थिति है उसका कनेक्शन जोड़ दिया गया और उस एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर का ट्रांसफर हो गया। आज भी उससे 58 हजार रुपया जो उसके ऊपर बकाया है, वसूल नहीं किया जा रहा है। यह क्या बात है। गरीब किसान से ही वसूल किया जाता है। मान्यवर, इस तरह से देश नहीं चलेगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शासन के मंत्री आदेश करते हैं मगर क्या विद्युत् परिषद् या इनके विभाग के लोग इन मंत्रियों के आदेशों की कितनी कीमत समझते हैं। यह मजाक कब तक चलता रहेगा। अब जनता माफ करने वाली नहीं है। इस ढीले प्रशासन और विद्युत् परिषद् की कमजोरियों के कारण आज पूरे का पूरा प्रदेश त्राहि-त्राहि कर रहा है। कहीं पर कोई बात सुनने वाला नहीं है। आप जीवन और ज्योति की बात करते हैं, औद्योगिक उन्नति की बात करते हैं, हरित क्रान्ति की बात करते हैं। मैं पूछता हूं किस कोने में आपकी हरित क्रान्ति है और किस कोने में औद्योगिक विकास है? मान्यवर, मंत्री जी जिस समय विरोधी दल के नेता थे, यह भी बिजली बोर्ड की शिकायत किया करते थे वह वक्त मुझे आज भी याद है मैं उनसे प्रेरणा लिया करता था इसलिए मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी आप में साहस है आपके पीछे 304 विधायकों का समर्थन है आप निर्णय लो और इन देशद्रोही काम करने वाले लोगों से कहो कि क्यों तुम जनजीवन से खिलवाड़ कर रहे हो?

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, आपका निर्णय शिरोधार्य है मेरा समय समाप्त हो गया है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अन्त में मैं मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव की निन्दा करता हूं मैं फिर निवेदन करता हूं कि मंत्री जी आप जनता को इससे राहत दें जिसके लिए शीघ्र कदम उठायें।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे यहां बिजली का इस्तेमाल तीन तरह के लोग अधिकतर करते हैं एक तो किसान, दूसरा छोटे उद्योग वाले और तीसरा बड़े उद्योग वाले और चौथा घरों में बिजली का इस्तेमाल करते हैं । इसके उत्पादन में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे । उस दिशा में जो दिक्कतें हैं वह भी पानी की जो प्राबलम थी वह हल हो गई है जैसा कि मन्त्री जी ने स्वयं अपने भाषण में कहा । बिजली के उत्पादन में दूसरी कोयले की समस्या थी उसके लिए रेलवे विभाग से सहानुभूतिपूर्ण चिट्ठी मिल गई है । इसलिए कोयले से उत्पादित बिजली में कमी दूर हो जायेगी ।

मैं मन्त्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । हमारे प्रदेश में बिड़ला साहब के साथ एक कन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके अन्तर्गत 1980 तक दो पैसे से कम पर उनको बिजली पर यूनिट दी जायेगी । तो वह समय समाप्त हो गया लेकिन आज भी उनको बिजली दो पैसे से कम पर 35 मेगावाट दी जाती है । इसके अलावा पिछले वर्ष उनसे तय हुआ था कि 11 पैसे प्रति यूनिट पर उनको बिजली दी जायेगी । लेकिन आज भी 11 पैसे से कम पर उनको बिजली दी जा रही है । फिर इसी राज्य ने 30 मेगावाट बिजली और बढ़ा दी इस प्रकार 75 मेगावाट बिजली दो पैसे और 11 पैसे पर यूनिट के हिसाब दे दी जाती है जब कि आपकी बिजली उत्पादन में 22 पैसे से 28 पैसे पर यूनिट उत्पादन व्यय आता है । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बिड़ला हिन्दुस्तान का वह व्यक्ति है जिसकी पूंजी 20 करोड़ गरीब जनता के बराबर है । तो 20 करोड़ जनता के बराबर वह अकेले व्यक्ति हैं । ऐसे व्यक्ति को दो पैसे कम पर और 11 पैसे पर बिजली दी जा रही है जब कि वह पैदा होती है 28 पैसे में । तो मान्यवर, यह कौन सा नियम है । हिन्दुस्तान के अन्दर किसान को गरीब कहा जाता है । जो हमारे उत्पादन का माध्यम है जिसे कृषि की रीढ़ कहा जाता है दूसरी ओर 20 करोड़ इन्सान के बराबर जो हैसियत रखता है उसको 2 पैसे पर यूनिट बिजली देते हैं वह किस नियम के अन्तर्गत देते हैं । आज हिन्दुस्तान की गरीब जनता का शोषण यह कर रहे हैं । आप छोटे उद्योगों की बात करते हैं कृषि जो है वह भी एक उद्योगों के समान है जब इसे आप स्वीकार करते हैं तो उनको भी वही सुविधा दे दो जो उद्योगों को देते हैं । आपने अपने मेनीफेस्टों में इस बात को माना है कि हम किसानों को बढ़ावा देने और उनको सारी सुविधा देंगे । कौन सी समस्या आपके सामने है कि आपने अपने घोषणा-पत्र में कही बात को पूरा नहीं किया और उस घोषणा के अनुसार हो सकता है जनता ने आपको वोट भी किया हो, हालांकि पुलिस के बल पर आप जीत कर आये हैं । लेकिन यह मान भी लिया जाए कि आपके आश्वासनों से भ्रमिक होकर जनता ने आपको वोट किया, तब तो और भी आपके सामने कौन सी समस्या है कि किसान को आप 2 पैसा से 11 पैसा में बिजली देने के लिए तैयार नहीं हैं । इस प्रदेश के अन्दर किसान को बिजली मुश्किल से 4 घंटा मिल पा रही है । आपने कहा है कि हम 50 हजार ट्यूबवेल्स और लगाने जा रहे हैं । किन्तु यदि बिजली का उत्पादन और अधिक नहीं बढ़ा तो आज किसानों को जो 4 घन्टा ही बिजली मिल पाती है, वह घट कर उसको फिर 2 घन्टा ही मिल पायेगी । अभी एक माननीय सदस्या कह रही थीं कि हमारे कानपुर में बिजली की आंखमिचौनी हो रही है । जब यह नगरों की हालत है तो ग्रामों की क्या स्थिति होगी इसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं है ।

[श्री हरगोविन्द वर्मा--]

किसान जो अपने खेतों को अंधेरे में सींचने का काम करना चाहता है, गन्ने को बोने का काम करना चाहता है वह बिजली के अभाव में इन कामों को कैसे कर सकता है । जहां पर आप केवल 1-2 घन्टे बिजली देंगे, तो कौन सी स्थिति होगी । आपको कौन सी कठिनाई है कि आप मैक्जिमम चार्ज करते हों, बिजली कंज्यूम वह करे या न करे । इन सारे मुद्दों पर आपको विचार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का किसान जो ट्यूबवेल पर बिजली नहीं पा रहा है, किस तरह से पायेगा, किसान को आपकी बिजली कैसे 11 पैसे में मिलेगी ? आपके विभाग के बारे में आपके दल के सदस्यों ने ही कहा है कि विभाग में अत्यधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसे आप रोक नहीं पायेंगे, आप विभाग में होने वाली चोरी को रोक नहीं पायेंगे । आप अपने विभागीय चोरी को रोकने में सफल हो जायें तो आपको कोई नया टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । मान्यवर, मैं मंत्री जी से अनुरोध, विनती और आग्रह करूंगा कि वह उत्तर प्रदेश के किसान को बिजली मिनिमम चार्ज पर दिलाएं, ग्रामीणों को सस्ती बिजली दें । तथा वह 50 हजार जो नये ट्यूबवेल लगाने जा रहे है, वह इसे जरूर करें, 50 नहीं 60 हजार लगाएं, लेकिन साथ ही वह बिजली का उत्पादन अवश्य बढ़ावें । इसके साथ ही मैं प्रस्तुत अनुदानों पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री त्रिवेणी--

मान्यवर, माननीय विद्युत् मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । मान्यवर, बिजली की देहातों में आज हालत यह है कि कोई काम इसका ठीक से नहीं हो रहा है चाहे 3 बजे रात को दे दें, चाहे तीन बजे दिन को दे दें । इसलिए मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि आप चाहे जितने घन्टे बिजली उन्हें दें, लेकिन आप बिजली देने का टाइम अवश्य निर्धारित कर दें कि इतने समय से इतने समय तक उनको बिजली मिलेगी । जब तीन बजे आप बिजली देंगे तो न तो किसान सिंचाई कर सकता है और न छोटे उद्योग चल सकते हैं । एक बात मैं कहूंगा कि ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना जो चली थी, जिसमें हमारी सरकार के समय में 3-4 साल पहले एक आन्दोलन शुरू किया गया था कि बड़े जोर से यह योजना चलाई जाए । लेकिन जनता के शासन के तीन वर्ष में इस योजना का पता ही नहीं चला कि यह कहां गई । यह आज भी ठप पड़ी है । उधर के भाई इस दिशा में मेहनत किए होते तो हम कुछ और किए होते । मैं एक दिन विद्युत् परिषद् गया तो मालूम हुआ कि छोटे उद्योग वालों से लाइन चार्जेज के अलावा ट्रांसफार्मर का भी चार्ज मांगा जा रहा है, कनेक्शन देने के लिए । उसकी कीमत 35 हजार रुपया है । इस तरह से छोटे उद्योग वाले इन्डस्ट्री नहीं लगा सकते हैं ।

लोन लेकर तो वह उद्योग खड़ा कर रहे हैं और 35 हजार रुपया और उन्हें ऊपर से देना पड़ेगा तो वह इंडस्ट्री कैसे खोल सकते हैं । एक बात मैं और कहूंगा कि पिछले दिनों यह चार्ज नहीं लिया जाता था । इस कारण से जो छोटे-छोटे उद्योग चलाते थे, वे बिजली ले लेते थे । पहले तो इन्जीनियर्स यह कहा करते थे कि रिहन्ड में पानी बहुत कम होने के कारण और ओबरा में एक भट्टी के बैठ जाने के कारण बिजली का उत्पादन कम हो रहा है, लेकिन आज तो यह बहाना नहीं रह गया है । इस बरसात में रिहंड में तो पानी भर गया है, लेकिन इसके साथ साथ पूर्वी जिले भीषण बाढ़ के कारण तबाह हो गये हैं । मान्यवर, बाढ़ के समय में मैंने घूम-घूम कर देखा, लेकिन एक भी गांव में एक भी बल्ब मुझे जलता दिखायी नहीं दिया । गांवों में अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता है और वहां के इन्सान मौत

के घाट उतर रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, जिससे लोग अपना-अपना सामान ही उठाकर दूसरी जगहों पर ले जा सकें। बाढ़ के समय और विभागों के लोगों को तो हमने देखा कि वे बराबर काम कर रहे हैं, लेकिन विद्युत् विभाग के जो कर्मचारी हैं, वे आराम फर्मा रहे थे और उन्हें बाढ़ और किसानों की कोई चिन्ता नहीं थी। यहां पर इस समय विद्युत् विभाग के कम से कम चीफ इन्जीनियर तो अवश्य ही बैठे होंगे, क्या उन्होंने कभी गांवों में जाकर देखा है कि जो किसानों के छोटे-छोटे ट्यूबवेल्स हैं, उन पर केवल 2 घंटे ही बिजली दी जाती है और वह भी 3 बजे रात्रि में जब कि किसान गहरी निन्द्रा में सोये रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा किसान ऐसा है जो उस समय मध्य रात्रि में अपने खेतों की सिंचाई करता हो। मेरी मन्त्री जी से प्रार्थना है कि वे उनके लिए कोई समय निश्चित कर दें कि हम 4 4 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे बिजली देंगे।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि उत्तर प्रदेश में हमारी गोरखपुर और बनारस दो डिवीजन्स ऐसी हैं कि जहां की आबादी पूरे प्रदेश की एक चौथाई है, लेकिन खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ओबरा पावर हाउस से दूसरे स्थानों को बिजली दी जाती है, रिहन्ड डाम तो पिछले वर्ष चला ही नहीं। जिस समय हमारे पंडित जी, जो इस समय केन्द्र में चले गये हैं, हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे तो दोहरी घाट में एक पावर हाउस के निर्माण की योजना बनायी गई थी, वहां पर सर्वे भी हो गया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह योजना ही ठप हो गई है। यदि हमारे पन्डित जी यहां पर रहते तो वह अवश्य ही चालू हो जाती, पर पता नहीं कि क्या उस पावर हाउस से सम्बन्धी पत्रावली ही विद्युत् परिषद् से गायब हो गई। मान्यवर, वहां पर पानी का भी अपार भंडार है और आजमगढ़ और बलिया का वहां पर केन्द्र है। मेरी माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वहां पर एक पावर हाउस का निर्माण करायें ताकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली मिल सके।

इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत बजट का जोरदार समर्थन करता हूं।

श्री दामोदर शर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत् विभाग की मांगों पर बोलने का अवसर दिया। मैं इन मांगों का पूर्ण समर्थन करते हुये अपने विद्युत् मन्त्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस देश में 80 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है, लेकिन वहां के रहने वाले ऐसी अंधेरी नगरी में रहते हैं, जहां पर न सड़कें हैं, न पानी है और न बिजली की ही व्यवस्था है। मान्यवर, विद्युत् विभाग में चाहे वह छोटे से छोटा कर्मचारी हो या बड़े से बड़ा अधिकारी हो, सब के सब पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मान्यवर, किसानों के पास जो बिल जाते हैं, वे सभी गलत जाते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के आफिस से कभी सही बिल बनकर नहीं जाते। मैं माननीय विद्युत् मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे कोई ऐसी व्यवस्था करें, जिससे कि सही बिल बन कर किसान के पास जाया करे।

किसान के यहां मीटर नहीं लगाये जाते। फ्लैट रेट से पैसा लिया जाता है। पर बिजली उसको एक घंटा भी दिन में नहीं मिलती। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं, वहां टाउन एरिया खरखौदा है। 3 माह मुझे यहां आये हुये हो गये,

[श्री दामोदर शर्मा—]

मेरे चुनाव के बाद से आज तक वहां एक दिन भी बिजली नहीं आई। टाउन एरिया में कम से कम दिन में 6 घंटे तो बिजली अवश्य दी जानी चाहिये। इसके अलावा सड़कों पर बल्ब और ट्यूबलाइट जरूर जलना चाहिये। आपने ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना बनाई है, पर विद्युत् विभाग के गांव में खम्भे तो लगा देता है, पर बिजली गायब रहती है।

मान्यवर, उस बजट में दौरान माननीय मन्त्री जी ने घोषणा की है कि 50 हजार नये कनेक्शन दिये जायेंगे। उसके लिये मैं माननीय विद्युत मन्त्री के प्रति आभार प्रकट करता हूं, लेकिन आज यह दुर्भाग्य की बात है कि नलकूपों को बिजली नहीं मिलती। एक भी नलकूप सही समय पर पानी नहीं दे रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां-जहां सरकारी नलकूप लगे हैं वे बिजली न मिलने के कारण नहीं चल पा रहे हैं। जो निजी नलकूप हैं, उनको भी रात में 2 बजे बिजली मिलती है। मेरा अनुरोध है कि बिजली सही वक्त पर दी जाय।

जिन किसानों पर बिजली का बकाया है, उसके कनेक्शन न काटे जायं, क्योंकि किसान एक तो इस भीषण बाढ़ के कारण तबाह व बरबाद हो गया दूसरे पिछले वर्ष सूखे ने उसकी कमर तोड़ दी। अंत में मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सरदार सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जब अपना बजट प्रस्ताव रखा तो बड़े जोर से यह घोषणा की कि इस भ्रष्टाचार को मिटायेंगे। लेकिन आज शासन में आये हुये उनको 100 दिन से ज्यादा हो गये, कोई उदाहरण ऐसा देखने में नहीं आया, जिसके कारण यह कहा जा सके कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कोई प्रयास भी किया गया है। उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया, जिसमें हमको यह विश्वास हो सके कि अब भ्रष्टाचार इस विभाग से खत्म होने वाला है। जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो इस विभाग में भ्रष्टाचार के कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। आफिसरों से जब बातें करते हैं तो वह ऐसा गुर्राते हैं कि उनसे डर लगता है। हमारे जिला मथुरा से लगे हुये दो प्रान्त हैं—एक हरियाणा और दूसरा राजस्थान। जब हम सीमा के अपने गांवों में जाते हैं तो वहां के गांवों में लट्टू जलते हुये दिखलायी पड़ते हैं और हमारे ओर चारों तरफ अन्धकार ही अन्धकार दिखलाई पड़ता है। उधर वहां के कारखानों की आवाजें आती हैं और हम अपने कारखानों को बिजली के अभाव के कारण बन्द पाते हैं। हमारे यहां पर जो तेल का कारखाना बिजली के कारण बन्द पड़ा हुआ है, अब भी उसको बिजली नहीं दी जा रही है। वह अपने साधनों से बिजली की पूर्ति कर रहा है। उस कारखाने से बहुत से बेरोजगार नवजवानों को रोजगार मिलेगा। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूं, वहां के नैतिक भ्रष्टाचार को मैं बताना चाहता हूं। विद्युत् वितरण खण्ड में एक नये इक्जीक्यूटिव इंजीनियर सिंह साहब गये हैं। उनको इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में पुलिस ने एक महिला के साथ पकड़ लिया और उन्हें कोतवाली भी ले गया। क्योंकि इक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने, अपना इधर-उधर से दबाव डलवाया और पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। पूरे डिपार्टमेंट

में उनकी बदनामी हो रही है। यह आपके इंजीनियर लोग कर रहे हैं। मान्यवर, दाऊ जी बहुत ही धार्मिक स्थान है। बहुत-बहुत धार्मिक यात्री दर्शन करने आते हैं।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय विष्ट जी, बैठ जायं, कृपया आप।

श्री सरदार सिंह--

वहां पर जो लाइन इन्सपेक्टर नियुक्त है, उनका हाल यह है कि जिन काश्तकारों को भी नया कनेक्शन दिया जाता है उससे एक हजार से 1500 के बीच की धनराशि रिश्वत के रूप में ले ली जाती है। ट्रान्सफारमर जल जाता है, नया ट्रान्सफारमर जब लगता है, जब उनको कम से कम 500 रु0 दे दिये जाते हैं। जब मैंने शिकायत की, तब कहते हैं कि यह पैसा ऊपर तक जाता है। मैंने इक्जीक्यूटिव इंजीनियर महोदय से बार-बार शिकायत की है, लेकिन आज तक उनका ट्रान्सफर नहीं किया गया। मथुरा में हर समय अंधकार रहता है। मेरे सामने श्री दयाल कृष्ण एडवोकेट, भी रहते हैं जो आपके माननीय सदस्य भी हैं। वहां पर घनघोर अंधकार रहता है। अप्रिय घटनायें होती हैं। भय के कारण भले लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। जो बाहर से यात्री आते हैं उनको लूटा जाता है और उनकी रिपोर्ट भी कोतवाली में नहीं लिखी जाती हैं। यह आपके थानों का हाल है। तो मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि जो आप भ्रष्टाचार मिटाने की घोषणायें कर रहे हैं, वास्तव में भ्रष्टाचार मिटायें। इन शब्दों के साथ मैं पुनः कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे इस विद्युत् विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। विद्युत् विभाग की इन मांगों पर अपना विचार प्रकट करने के लिए मैं इस बजट के समर्थन हेतु खड़ा हुआ हूं। लेकिन साथ ही साथ जैसा उस पक्ष के और इस पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि विद्युत् परिषद् से हमारे प्रदेश की प्रगति, हमारे प्रदेश का जनजीवन सब बंधा हुआ है और उसे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि जो स्थिति है उससे सारा प्रदेश त्रस्त है। आज के वैज्ञानिक युग में विद्युत् के बगैर न तो आर्थिक उन्नति हो सकती है, न कृषि का उत्पादन हो सकता है। सारी की सारी स्थिति जब विद्युत् पर निर्भर करती है, तो उसके बगैर उन्नति नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् जिसमें 2000 करोड़ रुपये से ऊपर लगा हुआ है। यह दूसरे नम्बर पर सार्वजनिक क्षेत्र में चलने वाली संस्था है। सबसे पहला हिन्दुस्तान स्टील्स और उसके बाद यह है। आज स्थिति क्या है? इनके दिये हुये आंकड़े को अगर हम देखें, इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन 60 प्रतिशत जो था, वह 40 प्रतिशत हो गया। मार्च, 68 में 3,145 मेगावाट इनकी बिजली की क्षमता थी। लेकिन कुल 62 प्रतिशत ही उसका हुआ। तो मान्यवर, एक तरफ प्रदेश बिजली के लिए त्राहि-त्राहि कर रहा है और दूसरी तरफ केवल 62 प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता का उत्पादन हो रहा है। दुख की बात है मान्यवर, कि 1979-80 में जो भौतिक उपलब्धियों और लक्ष्यों का ब्यौरा, जिसे देखने से ऐसा लगता है कि इतने समय में भी जो प्रगति और विकास होना था, नहीं हो सका। निजी नलकूपों और

[श्री विमल प्रसाद तिवारी—]

पम्प सेटों का उर्जन 50 हजार का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 36,145 ही हो पाया। ग्रामों का विद्युतीकरण अनुमानतया 4,900 का होना तय था, परन्तु हुआ 2,000 का। हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण पर बड़ी प्राथमिकता की बात कही जाती है। 79-80 में देखें लक्ष्य था 3,945 और हुआ 1561 विद्युतीकरण और राजकीय नलकूपों को 79-80 में 1820 का होना था लेकिन हुआ 1316 का। मान्यवर, इसी प्रकार से आपूर्ति व्यवस्था में भी है। इस समय प्रदेश में 21 सौ मेगावाट की उच्चतम मांग और प्रति दिन 40 मिलियन यूनिट की आवश्यकता है लेकिन इस आवश्यकता की तुलना में 13 सौ मेगावाट और 27-28 मिलियन यूनिट प्रति दिन की उपलब्धि हो रही है। इस मांग तथा पूर्ति के विषम अंतर के लिए माह अगस्त, 1979 से औद्योगिक क्षेत्र में 33 1/3 कटौती लगायी गयी थी, जिसे सितम्बर 1979 में बढ़ाकर पहले 50 प्रतिशत और फिर 66 प्रतिशत करना पड़ा। मान्यवर, औद्योगिक क्षेत्रों में और कृषि क्षेत्रों में इतनी बड़ी बिजली कटौती लगायी गयी तो आप स्वयं देखें कि देश और प्रदेश की विकास की दशा क्या होगी। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात कही गयी कि 6 घंटे बिजली दी जा रही है। लेकिन स्थिति यह है कि 2-3 घंटे से ज्यादा बिजली मिल नहीं पाती और कहा यह जाता है किसानों के मिनिमम चार्जेज आधा कर दिया गया है। तो मेरी समझ में नहीं आता माननीय मंत्री जी स्वयं कर्मठ हैं, सारी जिम्मेदारी इन पर देना मुनासिब नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में कागजों पर तो 6 घंटे बिजली दिखाई जा रही है, लेकिन वास्तव में उन्हें दो-तीन घंटे ही दी जा रही है। इसलिए मेरा सुझाव है कि उनसे मिनिमम चार्ज उतना ही लिया जाए जितना किसान बिजली इस्तेमाल करते हैं। यह मिनिमम चार्ज हटाया जाना चाहिए। अब मान्यवर, एक दो बातें और कहूंगा वह यह कि विद्युत परिषद् द्वारा दिये आँकड़ों के अनुसार हिण्डालको से विद्युत् परिषद् को 2 प्रतिशत की हानि हुई और आर्क फर्नेस से 3 प्रतिशत की हानि हुई और सरकार के सिंचाई विभाग पर 1·98 करोड़ रुपये का बकाया है मार्च, 1980 तक का। इतनी बड़ी रकम तो सिंचाई विभाग से लेना बकाया है। तो यह सरकार अपने ही विभाग से तो इतनी बड़ी रकम वसूल नहीं कर पा रही और अगर किसी गरीब का पैसा वक्त से नहीं पहुंच पायेगा तो उसका कनेक्शन काट देंगे। अंत में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आशा करता हूं कि इस समय जो कटौती के कारण प्रदेश की जनता परेशान है, उसकी समस्या पर विचार कर कोई ऐसा कदम उठायेंगे ताकि प्रदेश के गरीब किसानों की समस्या हल हो सके।

*श्री भोला पाण्डेय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत् विभाग के अनुदान पर बहस में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने के लिये देश और प्रदेश की प्रगति के रास्ते को मजबूत करने के लिये जरूरी है कि विद्युत् विभाग के अन्दर विद्युत् उत्पादन की क्षमता की वृद्धि की जाय। मान्यवर, दुख की बात है पिछली सरकार की हुकूमत में मैं समझता हूं लगभग 17 प्रतिशत विद्युत् उत्पाद का घाटा हुआ। यह पिछली सरकार की अकर्मण्यता, अक्षमता और अनुभवहीनता के कारण रहा। लेकिन इस विद्युत् उत्पादन को किस तरीके से बढ़ाया जाय, विद्युत् उत्पादन और विद्युत् वितरण की प्रणाली को किस तरीके से सामन्जस्य की भावना से अनुमोदित किया जाय, मैं माननीय विद्युत् मंत्री जी से पुरजोर मांग करता हूं कि इस विद्युत् परिषद् को तत्काल पुनर्गठित किया जाय ताकि विद्युत् परिषद् के अन्दर उत्पादन की क्षमता बढ़ायी जाय। जिसके

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये माननीय मंत्री जी देखना होगा उत्पादन प्रणाली, वितरण प्रणाली को अलग करना होगा, उसके अन्दर सामंजस्य की भावना किस तरीके से पैदा हो सकती है।

मान्यवर, इसमें जो सबसे जरूरी बात है वह ग्रामीण विद्युतीकरण की जो योजना चलाई गई। क्योंकि भारत की आत्मा गांवों में बसती है जिसका सपना महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने देखा था। गांव का विकास करना इसलिए जरूरी है। पिछली सरकार ने उस समय, मैं माननीय विद्युत् मंत्री के बजट का इसलिए समर्थन करता हूं कि 3 हजार गांवों के विद्युतीकरण की क्षमता पिछली सरकार रखती थी लेकिन मौजूदा सरकार लगभग 50 हजार गांवों की विद्युतीकरण की क्षमता रखती है, मौजूदा बजट के अन्दर सबसे बड़े स्वागत की बात यह है कि जो नलकूपों से सिंचाई होती है हमारे माननीय मंत्री-के निर्देशन में नलकूपों को जो बिजली दी जाती है उसके रेट में वृद्धि नहीं की गई है जिसका स्वागत विपक्ष को भी करना चाहिये। दूसरी बात हरिजन बस्तियों के बारे में है। पिछली सरकार अपने आंकड़े उठाकर देख लें। 15 सौ हरिजन बस्तियों में यह योजना थी लेकिन मौजूदा सरकार लगभग 3 हजार गांवों में हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण की योजना बना रही है। मान्यवर, उद्योगों का सीधा सम्बन्ध बिजली विभाग से होता है इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है। जनता पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार से बिजली देने की व्यवस्था की गई थी तत्कालीन विद्युत् मन्त्री श्री रवीन्द्र किशोर शाही ने किलोरिया फर्म को बिजली दिया लेकिन जहां से अल्मोनियम का उत्पादन होता था उसको बिजली देना बन्द कर दिया जिसके कारण अल्मोनियम का उत्पादन बन्द हो गया। हमारे प्रदेश में अल्मोनियम की कमी हुई और प्रदेश के अन्दर विकास का काम रुका। मैं समझता हूं लगभग 2 लाख टन अल्मोनियम हमें विदेशों से मंगाना पड़ा जो बड़ी शर्मनाक घटना थी। यह जनता पार्टी की हुकूमत की बात थी। जहांतक किसानों को बिजली देने की बात है मैं माननीय मन्त्री से कहना चाहूंगा कि किसानों को बिजली दी जाय। एक बात मैं माननीय मन्त्री जी से सार्वजनिक और निजी उद्योगों के बारे में कहूंगा। निजी उद्योगों को बिजली न देकर उनमें जनरेटर की व्यवस्था कराये लेकिन सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्योगों को बिजली दी जाय। दूसरी बात हर मन्डल में एक थरमल पावर स्टेशन बनाने की व्यवस्था करें जिससे किसानों को विमुत् का बटवारा किया जा सके और विद्युत् उनमें वितरित की जा सके।

मान्यवर, सबसे ज्यादा जरूरी है वितरण प्रणाली कैसे सुव्यवस्थित हो। बुलन्दशहर के एक मुख्य मन्त्री थे वहां 24 घन्टे बिजली मिला करती थी, बलिया में 2 घन्टे भी नहीं मिलती थी। यह एक शर्मनाक घटना थी। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा कि मजदूरों ने जिस मांग का लेकर आन्दोलन किया था, बड़े-बड़े कर्मचारी जो शोषण कर रहे थे, उत्पादन को बढ़ाने में जैसी क्षमता रखते हैं मन्त्री जी वैसे ही वितरण प्रणाली को भी सुव्यवस्थित करेंगे। मुख्य मन्त्री भी मौजूद हैं और विद्युत् मन्त्री भी, मैं निवेदन करूंगा कि बड़े-बड़े उद्योगों को बिजली न देकर गांवों में बिजली दें। बलिया से जहां से मैं चुनाव जीत कर आया हूं, द्वाबा क्षेत्र में न कोई टयूबवेल है न बिजली से कोई काम हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां बिजली की समस्या का समाधान करें।

श्री बदन सिंह—

आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं। बिजली का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, बिजली की दशा सुधारने के लिए बहुत लम्बी-लम्बी बातें कहीं हैं, मैं विद्युत् मन्त्री जी को समझता हूं कि वास्तव में उन्होंने कुछ तत्परता से काम लिया तो दशा में सुधार हो सकता है। लेकिन मान्यवर, सवार के पीठ पर आने पर ही घोड़ा समझ जाता है कि सवार कमजोर है तो वह अड़ अड़ा कर सवार को गिरा देता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप शुरू से ही बिजली अधिकारियों पर एड़ कड़ी लगा देंगे तो यह सुधरेंगे वरना आपको गिरा देंगे। जैसे गांव की अन्य क्षेत्रों में उपेक्षा की जाती है वैसे ही बिजली के क्षेत्र में बड़ी उपेक्षा की गयी है। हम देखते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुकाबले में उत्तर प्रदेश में बिजली की दशा बहुत खराब है। मेरा क्षेत्र राजस्थान से लगा हुआ है। वहां ऐसे भोंडे-भोंडे गांव हैं जिनको बिजली देने की कल्पना नहीं की जा सकती, झोपड़ी है लेकिन बिजली दी गई है और हमारे यहां फतेहपुर सीकरी में अंधेरा रहता है जो बादशाह अकबर की राजधानी रह चुकी है। वहां 30 अक्तूबर को प्रधान मन्त्री जा रही हैं लेकिन मैं समझता हूं कि बिजली की व्यवस्था अगर उस वक्त भी न हो पाई तो वह बहुत आप से नाराज होंगी। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि फतेहपुर सीकरी में बिजली की दशा सुधार दें। मेरे क्षेत्र के दो सौ गांवों में से केवल 11 में बिजली है। 4 प्रतिशत गांवों में बिजली दी गई है। तो कम से कम उन गांवों में जो 4-4, 6-6 हजार की आबादी वाले हैं, वहां बिजली प्रदान की जाये। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों का बड़ा सौभाग्य है और खुशी की चीज है कि फतेहपुर सीकरी के दो गांवों में सामरा दाऊदपुर में आर्टीजन वेल निकलने हैं जो बिना मशीन और बिजली के अपने आप निरन्तर पानी दे रहे हैं। उनमें अधिक पानी लाने के लिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए बिजली की आवश्यकता है। फतेहपुर सीकरी जैसे सूखे के क्षेत्र में आर्टीजन वेल दो वर्ष से लगातार पानी दे रहे हैं। बिजली की व्यवस्था नहीं है। उन दो आर्टीजन वेलों को कम से कम आप बिजली प्रदान करने की व्यवस्था करें। भ्रष्टाचार की बात नहीं कहूंगा केवल सुझाव देना चाहूंगा। बिजली विभाग के जितने अधिकारी और कर्मचारी हैं सबसे अधिक वही आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतना नुकसान कोई और नहीं पहुंचाता। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। आप जिन कर्मचारियों को डेली वेजेज पर रखते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं, यही कर्मचारी आपके बिजली के तारों को काटने और ट्रान्सफार्मरों को चुराने का काम करते हैं। जो तांबे के तार हैं वह काटे जाते हैं। आगरा जिले के बारे में जो चोरी हुई वह स्थायी कर्मचारी था। बिजली ने पकड़ लिया और वह वहीं पर मर गया।

श्री अधिष्ठाता—

आपका एक मिनट रह गया।

(3 बजकर 52 मिनट)।

श्री बदन सिंह—

बिचपुरी गांव में रामा नामक काश्तकार के यहां बिजली के तार काट कर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने शेष तार रख दिया। बाद में थाने में रिपोर्ट कर दी। किसान पर मुकदमा चलाया जा रहा है। यह आपके बिजली विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं। स्वयं तार काटते हैं और दूसरा पकड़ा जाता है। किसी

भी आधार पर लाइन मैन को एक वर्ष से अधिक एक स्थान पर नहीं रहने देना चाहिये । वह अधिक समय रहकर यह जान जाता है कि कहां चोरी की जा सकती है और तार कहां रखा जा सकता है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय हो गया ।

श्री बदन सिंह--

सिकन्दरा में लाइन मैन ने बार-बार तार काटने का काम किया है । अलीगढ़ में तार काटने में गिरफ्तारी की गयी थी उसका स्थानान्तरण किया जाय । इन्हें एक साल से अधिक नहीं रहने देना चाहिये । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री खुदादीन अन्सारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि अनवरत कोशिश के बाद मुझे आपने बोलने का मौका दिया ।

एक सदस्य--

मुबारक हो ।

श्री खुदादीन अन्सारी--

मैं माननीय विद्युत् मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने तथा विपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव की निन्दा करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यह कहा गया है "इलेक्ट्रिसिटी इज दि बैक बोन आफ दि नेशन ।" रूस में जब क्रान्ति हुई तब सबसे पहले विद्युत् की तरफ ही ध्यान दिया गया और आज वह उन्नति की पराकाष्ठा पर है । हमारे देश में हरित क्रान्ति हुई, श्वेत क्रान्ति हुई, लेकिन बिजली के क्षेत्र में अभी हम बहुत पीछे हैं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं वह पूर्वान्चल का सबसे पिछड़ा हुआ तथा जनसंख्या में सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला देवरिया है । उस जनपद में जहां नए उद्योग धंधे हैं ही नहीं, उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय । सन् 1932 में शुगर फैक्ट्रीज लगी, जो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी है । कुटीर उद्योग धंधे मात्र बिजली की कमी से आगे नहीं पनप रहे हैं और न बढ़ रहे हैं । मान्यवर, आपके माध्यम से सदन में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि पडरौना, जनपद देवरिया का एक अच्छा टाउन है । वहां पर गवर्नमेन्ट की तरफ से थर्मल प्लान्ट लगाना अति आवश्यक है । यदि यह लग जाय तो वहां तथा गांवों को भी प्रचुर मात्रा में बिजली प्राप्त हो सकती है और कुटीर उद्योग धंधे आगे बढ़ सकते हैं ।

मान्यवर, वहां से थोड़ी दूर पर एक कुबेर स्थान है जहां पर एक शिवालय शिव जी का मन्दिर है और जहां मेरे जनपद से ही नहीं, प्रदेश के कोने-कोने से लोग दर्शनार्थ आते रहते हैं लेकिन घटाटोप अन्धकार होने के कारण चोरी डकैतियां और दूसरे वारदात बहुत होते रहते हैं । विकास की भी कमी है । इसलिए मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कुबेर स्थान में एक बिजली का पावर सब स्टेशन बनाया जाय ताकि

[श्री खुदाबीन अन्सारी--]

इस धार्मिक स्थान को रोशनी दी जा सके और जहां इतना बड़ा मेला लगता है कि लाखों की तादाद में दूर-दूर से आकर, स्त्री-पुरुष एवं बच्चे दर्शन एवं रात्रि निवास करते हैं, सुरक्षित रह सकें तथा वहां उद्योग धंधे लगा कर उसको बढ़ाया जाय और वहां बिजली की व्यवस्था की जाय। बघौचघाट में भी सब स्टेशन लगाया जाय।

मान्यवर, एक चीज की ओर माननीय सदन का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के किसानों को जो बिजली मिलती है, वह बहुत ही कम है। लेकिन आज इस सदन में हम देखते हैं कि विरोधी लोग केवल उधर से भ्रष्टाचार के ही गीत गाते हैं और कोई सुझाव की बात नहीं करते जिससे कि इसमें सुधार हो सके। विपक्ष के पास मात्र एक ही नारा रह गया है--"भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार" "बलात्कार-बलात्कार"। ये दो ही बातें उनके पास कहने को रह गयी हैं "भ्रष्टाचार और बलात्कार'। 'भ्रष्टाचार और बलात्कार' के अलावा कोई और सुझाव की बात यह नहीं रखते। फिर प्रदेश का कैसे विकास हो? इसके लिए इस माननीय सदन में कोई ठोस सुझाव आना चाहिए। केवल भ्रष्टाचार की ही बात करने से तो समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इस सदन में तो विपक्ष के सम्मानित सदस्य तो बड़ी लम्बी-लम्बी और आदर्श की बातें करते हैं। किन्तु व्यवहारिक जीवन में थोथा हैं। जसा थोथा चना बाजे घना। ये जरा अपने गरेबान में झांक कर तो देखें तो इनका जो दो ढाई साल का शासनकाल रहा है, उसमें कहां तक ये सफल रहे हैं। उसके बाद हमारी सरकार की तरफ दृष्टि डालें। हम तो बापू के स्वप्नों को साकार करने में प्रयत्नशील हैं ही। हमें विश्वास है कि हम उस मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। उस पर पहुंचने का हमारा लक्ष्य है और उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और लक्ष्य की प्राप्ति करके ही रहेंगे क्योंकि हमें श्रीमती इन्दिरा गांधी का कुशल नेतृत्व प्राप्त है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे किसानों के जो ट्यूबवेल चलते हैं और आटे की जो चक्कियां चलती हैं, उसमें बिजली इतनी कम मिलती है कि अन्य कोई कारोबार करना तो दूर लोगों को आटा पिसवाना भी दूभर है। ट्यूबवेल को मिलने वाली बिजली इतनी कम होती है कि खेतों में पानी पहुंचा कि लाइन गायब। किन्तु किसान को अनिवार्य विद्युत् चार्ज देना ही पड़ता है। यही कारण है अनेक व्यक्तिगत ट्यूबवेल बन्द होकर नीलाम कर दिए जाते हैं। किसान को बिजली मिले या न मिले उसे सारा बिल अदा करना ही पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वान्चल, जो सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है देवरिया का, उसकी ओर खासतौर से दृष्टि डाली जाय ताकि वहां बिजली की समस्या दूर की जा सके और उस जनपद का सर्वांगीण विकास हो।

इन शब्दों के साथ माननीय विद्युत् मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं और विपक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसकी निन्दा करता हूं।

*श्री सोमांश प्रकाश--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस महत्वपूर्ण बिजली के बजट के ऊपर जो बोलने के लिए मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मान्यवर, मैं समर्थन करता हूं अपने बिजली मंत्री जी द्वारा रखे हुए बजट का। इसी के साथ आज हमारे अपोजीशन के साथियों ने इस बिजली के बजट पर कटौती का प्रस्ताव

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखा है, उसका विरोध करता हूं। मैं नहीं समझ पाता हूं कि एक तरफ यह शिकायत की जाती है कि बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाय और दूसरी ओर फिर कटौती का प्रस्ताव क्यों रखकर उसका विरोध करने की बात करते हैं। उन्हें तो सुझाव देना चाहिए कि हम इस पर विचार करें कि कैसे बिजली का उत्पादन बढ़ सकता है। अगर यह सुझाव रखते कि किस तरह से बिजली का उत्पादन बढ़े, तो ज्यादा अच्छी बात हो सकती थी।

मान्यवर, मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमें सब से पहले इस बात पर विचार करना है कि हम इस बिजली उत्पादन को कैसे बढ़ायें। जब तक हमारा बिजली उत्पादन नहीं बढ़ता है तब तक वितरण की बात जो हम कहते हैं उस पर हमारा कोई कन्ट्रोल नहीं होगा। हमें सोचना होगा कि हम विद्युत् उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या तरीके अपनायें। इसमें मेरा सुझाव है कि हम सबसे पहले इस बात को देखें कि जितने हमारे उत्पादन गृह हैं वह क्या अपनी पूरी क्षमता से बिजली तैयार कर रहे हैं या नहीं। अगर पूरी क्षमता से बिजली तैयार नहीं कर रहे हैं तो क्या वजह है कि वह पूरी क्षमता से बिजली नहीं तैयार कर रहे हैं, इसकी जानकारी की जाय और अगर किसी पुरजे की कमी की वजह से या किसी मशीनरी की कमी की वजह से उत्पादन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हमें उस कमी को दूर करना चाहिए। उसको दूर करने में जितना भी पैसा लगे खर्च करें। किसी भी तरीके से सबसे पहले इस बात का इन्तजाम करें जिससे पूरा उत्पादन हो सके। अगर इसमें कहीं बाहर से पुरजे मंगाने या मशीन मंगाने की बात हो तो हमें अधिकार होना चाहिए कि हम उस चीज का तुरन्त इन्तजाम कर सकें और वह पुरजा या मशीन मंगा सकें।

यहां पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बिजली विभाग के इंजीनियरों में और अधिकारियों में। मैं मानता हूं, मेरे इस बात को कहने का तात्पर्य यह न लगाया जाय कि मैं अफसरों की तरफ से कह रहा हूं लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी है, हमें उनके काम पर विश्वास करके चलना पड़ेगा। जब तक हम उनकी जिम्मेदारी नहीं फिक्स करेंगे कि इस काम को इतने दिनों में करके देना है, उनकी आवश्यकता को पूरा करें, अगर उसके बाद भी वह काम न करें तो बिल्कुल निश्चित रूप से उनको नौकरी से अलग कर दें जेल भेज दें। लेकिन अगर मान लीजिए हमारी तरफ से हम सुविधा नहीं दे पाए तो इससे लाभ नहीं होगा। मैं कई वर्षों से देख रहा हूं कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं। अगर यही तरीका रहा और इसी तरीके से चलते रहे तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कैसे काम चल पायेगा, तमाम पावर हाउस जो हैं उनमें कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा है। मैं ग्रामीण विद्युतीकरण की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। हम लोगों ने इस सम्बन्ध में बहुत कुछ किया है और आगे भी करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी कमी इस बात की है कि जब हम वहां रात को बिजली नहीं दे पा रहे हैं और पूरा उत्पादन हमारा नहीं हो पा रहा है तो बेचारों के घरों में बिजली लगाने से क्या लाभ है। घर में बिजली लग जाती है लेकिन बिजली नहीं मिलती, ट्यूबवेल को बिजली नहीं मिलती तो इस तरह से बिजली देकर हम क्या करेंगे। मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाय, गांवों में सड़कों पर और जो रास्ते हैं वहां पर बिजली लगायी जाय। ग्राम समाज के पास कोई साधन नहीं है कि वह बिजली का किराया दे सकें। इसके लिए आपको कोई तरीका बताना पड़ेगा कि वहां पर बिजली लग जाय और उस खर्च को बिजली विभाग वहन करे तभी यह प्रेक्टिकल शेष में आ सकता है। मेरी लाइट जल गयी है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बिजली विभाग पर रखे गए प्रस्ताव पर अपने विचार रखने का मौका दिया। मैं माननीय श्रीवास्तव जी द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, हमारे देश और प्रदेश में आज बिजली की जितनी मांग है उससे बिजली का उत्पादन 16 प्रतिशत कम है। जिसका नतीजा यह हो रहा है कि बिजली हमें नहीं मिल पा रही है और उत्पादन घट गया है। दामों में बढ़ोतरी हुयी है, अब चीजें कम पैदा हुयीं तो दाम बढ़ें और देश में इन्फ्लेशन आ गया है।

मान्यवर, अभी 14 सितम्बर के संडे मैगजीन में बिरला ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस समय पब्लिक सेक्टर में हमारे देश में 44 प्रतिशत बिजली पैदा हो रही है और प्राइवेट सेक्टर में यह बिजली 90 प्रतिशत से अधिक पैदा हो रही है। तो मान्यवर, बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमको देखना होगा कि मूल रूप में त्रुटियां कहां हैं जिससे उत्पादन बढ़ सके। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अभी हमारे बलरामपुर में एक तापीय इकाई आयी है और एक सुहावन में आयी है। मंडलीय बैठक में हमको मालूम हुआ कि अबसे पहले जितना कोयला खर्च करने के बाद जितनी बिजली पैदा हो रही थी उससे कम बिजली अब पैदा हो रही है जबकि कोयला उतना ही खर्च हो रहा है इससे हमारे बिजली के उत्पादन की कीमत बढ़ी है और बिजली कम मिलती आ रही है। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन भ्रष्ट अधिकारियों, जिन्होंने खासतौर से कोयला उतना ही जला दिया जाता है तो उतनी बिजली क्यों नहीं पैदा होती है, इसका स्पष्टीकरण उनके पास कोई नहीं है इसलिए, उन के खिलाफ जांच करवायें और जो उत्पादन में गड़बड़ियां हैं उनको समाप्त करके बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाय।

मान्यवर, दूसरा सुझाव यह है कि बिजली का वितरण जो ग्रामीण क्षेत्र में है, उपभोक्ताओं से सीधा एग्रीमेन्ट होता है, उसमें निवेदन करूंगा कि जिस तरह मिनिमम चार्जेज के लिए आप कहते हैं कि इतना देना पड़ेगा, तो यदि आप चाहते हैं कि किसानों और प्रदेश का भला हो और देश में उत्पादन बढ़े तो आपको चाहिए कि आज मिनिमम सप्लाई निश्चित कर दे जिससे आपके अधिकारियों पर यह दबाव रहे कि कम से कम हमको इतना उत्पादन देना है जिससे उत्पादन बढ़ सके।

मान्यवर, भ्रष्टाचार यह तक बढ़ गया है कि हमारे यहां तुलसीपुर में एक पोल बनाने की फैक्टरी है जो सीमेन्ट के नाम पर बालू लगाती है, लोहा उचित मात्रा में नहीं लगाती है जिसके परिणामस्वरूप हमारे वहां एक श्रमिक बिजली के खम्भे पर ऊपर से नीचे गिर पड़ा। वह कर्मचारी मेडिकल कालेज में आज भी बीमार पड़ा है। उसका वेतन इक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने रोक दिया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस भ्रष्ट इकाई के खिलाफ छानबीन करके उसको दुरुस्त किया जाय और बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाय और किसानों के लिये कम से कम बिजली की सप्लाई की मात्रा और समय निश्चित कर दें।

(श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रियासत हुसैन--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मेरी पार्टी का कोई भी नहीं बोला है। मैं अपनी पार्टी का नेता हूं। मेरा नाम आपके पास गया है। इस समय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

4.10 है । यदि हमको बुलाने की आपको इच्छा नहीं है तो हम जायं और अपने दूसरे काम कर लें । जनता पार्टी को बोलने का आप मौका दें । इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दें ।

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । दो सदस्य सत्ता पक्ष से और एक सदस्य विरोध पक्ष से बुला रहा हूं । इसलिये आपका जब नम्बर आयेगा तब बुला लूंगा ।

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, आपकी टेबिल पर सबसे पहला मेरा नाम है, जब से मैं खड़ा हो रहा हूं, लेकिन मुझे अवसर नहीं दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता--

यह परिपाटी गलत है । मेज पर आकर लोग पर्चे दे जाते हैं । जो भी पीठासीन अधिकारी होंगे वह स्वयं अपने विवेक से माननीय सदस्यों को बुलायेंगे, पर्चियों से नहीं ।

श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी--

जनाबवाला, बड़ी इलतिजाओं के बाद पहली बार आप ने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आप का बहुत-बहुत मशकूर हूं ।

हमारे विद्युत् मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं स्वागत करता हूं । साथ ही साथ कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । जो मेरे सुझाव हैं पेश करता हूं और मन्त्री जी से चाहूंगा कि उनकी तरफ ध्यान देंगे ।

मेरे सुझाव हैं कि मैं लखनऊ के पुराने हलके से निर्वाचित हो के आया हूं जिसमें बिजली की हालत बहुत अधिक खराब है । 8-10 रोज तक बिजली बन्द पड़ी रहती है । उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । कोई विकास का प्रोग्राम उधर के, अधिकारी लोग नहीं बनाते हैं । अगर बनाते हैं तो कोई ध्यान उस तरफ नहीं दिया जाता नतीजा यह होता है कि पुराने लखनऊ की स्कीमें ठप्प पड़ी हुई हैं । हालत यह है कि नये लखनऊ में जो बिजली दी जाती है वह 25-30 फीडरों के जरिये सप्लाई की जाती हैं और पुराने लखनऊ को केवल पांच फीडरों के जरिये सप्लाई की जाती है । पांच फीडरों में भी तीन फीडर खराब हो चुके हैं दो साल से । इस समय पुराने लखनऊ को बिजली देने के लिए सिर्फ दो फीडर काम कर रहे हैं अगर एक फीडर किसी भी वक्त बन्द हो जाता है । तो सिर्फ एक रह जाता है । मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर एक ही शहर के अन्दर इतना ऊंच नीच का क्यों फर्क रखा है । उसकी तरफ उच्च अधिकारियों और शासन का ध्यान क्यों नहीं जाता है । लोगों को आठ दस रोज तक बिजली की सप्लाई नहीं मिल पाती हैं । इस सदन के माध्यम से मैं अपने मन्त्री जी को सुझाव दूंगा कि इसकी तरफ ध्यान दें और पूरी तरह से बिजली की हालत ठीक करें । जब दो फीडरों से बिजली सप्लाई की जाती है तो नतीजा

[श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी–]

यह होता है कि एक महीने, डेढ़ महीने के अन्दर 15 ट्रान्सफारमर जल जाते हैं। कम से कम आठ लाख रुपये का नुकसान हुआ है। आखिर इसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान देते हैं। बहरहाल मैं मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि पुराने लखनऊ की तरफ वह पूरी तरह से ध्यान दें और इन शब्दों के साथ मैं बहुत–बहुत आप को धन्यवाद देता हूं। शुक्रिया।

*श्री राजकुमार राय––

मान्यवर, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया। यह बिजली के अनुदान के सम्बन्ध में जो हम यहां खड़े हो रहे हैं वही इस प्रदेश की शक्ति है। उसी के भरोसे इस प्रदेश के औद्योगिक विकास या इस प्रदेश की खेती बाड़ी की उन्नति की सम्भावना है।

मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन कर रहा हूं। मान्यवर, जब हम शक्ति की बात करते हैं तो हमें गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस की वह पंक्ति याद आती है "भवानी शंकरोबन्दे, श्रद्धा विश्वास रूपणौ, याभ्याम् बिना न पश्यन्ति···" हमारी इस सरकार में इस प्रदेश के गरीब किसानों का विश्वास जगा है, कुछ करने की उनमें हिम्मत पैदा हुई लेकिन दूसरी तरफ जो शक्ति है, जिसका दूसरा नाम बिजली है, जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वे उस शक्ति को उस विश्वास के साथ नहीं दे रहे हैं। दोनों का सामन्जस्य आवश्यक है। बिना शरीर और शक्ति के, बिना दृढ़ विश्वास और श्रद्धा के कुछ होने वाला नहीं है। एक गाड़ी का पहिया अगर ठीक से चले और दूसरा न चले तो गाड़ी का चलना सम्भव नहीं है। इसलिये मैं सबसे पहले विद्युत् मंत्री से एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से यह निवेदन करूंगा कि पहले वह इस बात का प्रयास करें कि जो उनकी शक्ति है, जो उनका बिजली विभाग है वह उनके साथ–साथ काम करे। इतनी विडम्बना है इस प्रदेश में बिजली विभाग की समस्याओं का निराकरण निकट भविष्य में अगर ब्रह्म दत्त जैसे मन्त्री जी इतने पढ़े–लिखे तथा होशियार व्यक्ति हैं, उनके समय में नहीं हो पाया। तो फिर यह दुर्भाग्य होगा इस प्रदेश का। यह एक ऐसा विभाग है जिसको वह देखें। आप किसानों से अनुबन्ध करते हैं कि हम इतनी बिजली आपको देंगे और इतना पैसा लेंगे। अनुबन्ध दोनों तरफ से होता है। लेकिन किसान बिजली ले या न ले, आप बिजली उसे दे पायें या न दे पायें लेकिन मिनिमम वसूली आप निश्चित रूप से करेंगे। मजबूरियां आपकी, परेशानियां आपकी, अक्षमता आपकी लेकिन चाहे जैसे भी हो किसान को उतना रुपया देना होगा। वकील होने के नाते मैंने दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं देखा कि गलती आपका हो, कमजोरी बिजली विभाग की हो लेकिन भुगतान करना पड़े बिजली विभाग को किसान के द्वारा जिसकी कोई गलती नहीं है। अब मैं डिसकनेक्शन के बारे में निवेदन करूंगा। आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं तो कुछ नहीं लेकिन कोई आर्थिक कमजोरी के कारण बिजली से सम्बन्ध विच्छेद कराना चाहता है और उस पर कोई बकाया है तो बिजली विभाग उसको डिसकनेक्ट नहीं करेगा। 4,500 रुपया मेरे जिम्मे है और मैं 500 रुपये की किस्तों में उसे देना चाहता हूं और कहूं कि बिजली मेरी काट दी जाय परमानेन्टली तो बिना पूरे पैसे दिये बिजली विभाग उसे नहीं काटने को तैयार। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अनुदान पर मतदान

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कराने के पहले वह इस बात की घोषणा करें कि जो शख्स बिजली के बोझ को उतारना चाहता है त्राण पाने के लिये तो परमानेन्ट डिसकनेक्शन की उसे छूट दी जाय और उसके लिये वह धीरे-धीरे पेमेन्ट करता रहेगा। इसके अलावा आजमगढ़ दोहरीघाट की जो पहली योजना थी उसे चालू किया जाय और जो पुराना मऊ की योजना है जिसमें उत्पादन तो एक चौथाई हो रहा है लेकिन कोयला पहले से ज्यादा खर्च हो रहा है ऐसी चीजों को रोका जाय। इन शब्दों के साथ में आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूं मैं बिजली मन्त्री तथा वित्त मन्त्री जी से अपील करूंगा कि मुख्य मन्त्री जी की गैर मौजूदगी के कारण वह मेरे जजबात उन तक पहुंचा देंगे कि श्रीमती किशोरी शुक्ला के साथ जो कांड हुआ है उस अधिकारी को निलम्बित करने की घोषणा आज सदन के उठने से पहले कर दें अगर सदन की मर्यादा तथा प्रतिष्ठा वह चाहते हैं। अगर यह नहीं होता है तो मैं यह बात समझूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी यह इसलिये नहीं कर रहे हैं कि वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिये उनको सदन की प्रतिष्ठा रखने का ध्यान नहीं है। जो बिजली विभाग के कार्यकलाप हैं वे बहुत विस्तृत रूप से सदन के सामने आ गये। 200 करोड़ का घाटा इसमें हुआ है और 400 करोड़ के बजाय 600 करोड़ की लिमिट आपने रखी है। फिर आपने चार्जेज भी बढ़ाये हैं। 78-79 में डेमास्टिक पावर के रेट्स जहां 40-50 थे वह इस समय 1 अगस्त से बढ़ कर 53 पैसे हो गये और इंडस्ट्री में 78-79 में जहां बिजली के रेट 32·59 थे वह इस समय 1 अगस्त से बढ़ कर 45 पैसे हो गये। जो कामर्शल का 1978 में 51.72 था वह बढ़कर पहली अगस्त से 75 पैसा हो गया। यह आमदनी का जरिया कर लिया। दो सौ करोड़ का कर्जा भी है। जो आपकी पोजीशन है वह इतनी शर्मनाक है। शर्म तो आपको है ही नहीं। पूरे देश के अन्दर इस वक्त आपका उत्पादन में तेरहवां नम्बर है, 22 सूबों में। जब कि उत्तर प्रदेश में पानी का सबसे बड़ा जखीरा है, नदियां सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन आज भी आपका उत्पादन थर्मल का ज्यादा है और हाइडिल का कम है। 1972 से 1979 तक आपका कथन है 70 परसेंट पावर जनरेशन बढ़ाया है लेकिन बदकिस्मती यह है कि उसमें देहात का एरिया जो 80 प्रतिशत है उसके हिस्से में कुल 25 प्रतिशत पड़ा है 1972 से लेकर आज तक। यह आपका खाका है। एक बात समझ में नहीं आई, क्या कोई कायदा कानून बिजली बोर्ड में है? मैं एस्टीमेट की बात कह रहा हूं। जब मैंने दस हार्स पावर का कनेक्शन लिया तो एग्जिक्यूटिव इंजीनियर ने मुझसे कहा कि 7-8 सौ रुपये का एस्टीमेट बनेगा। जब मैं लखनऊ चला आया जब मेरे भाई गये तो आपके क्लर्क ने कहा कि चार हजार का एस्टीमेट बनेगा। जब मैं लखनऊ से वापस आ गया और एस० डी० ओ० से मिला तो 2 हजार 5 सौ का एस्टीमेट बताया। 7-8 सौ से 4 हजार कैसे और चार हजार से ढ़ाई हजार कैसे? फिर जब एग्जिक्यूटिव इंजीनियर से मिला और उन्होंने बुला कर हर एक आइटम का हिसाब लगाया तो 930 रुपये बैठा जिसमें 300 रु० सीक्योरिटी मनी भी शामिल था। यह फ्लैक्चुएट करता है रिश्वत के ऊपर। यह आपके यहां बड़ी भारी परेशानी है, एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एक आर्डर होता है, इससे पहले कि वह एग्जिक्यूट हो, एक दूसरा आर्डर हो जाता है। नीचे का स्टाफ इसमें रहता है कि कौन सा आर्डर एग्जिक्यूट करें।

[श्री रियासत हुसैन–]

जब किसान पैसा दे देता है, तार भी आ जाता है, खम्भा भी अवेलेबिल हो जाता है और कंडक्टर भी आ जाता है। जो आपका बिजली विभाग है यह शाक मारने का काम करता है, आपके लग जाय या किसी माननीय सदस्य के लग जाय। आप केवल शाक मारने के बजाय देहात के अन्दर बिजली ठीक से दीजिये। एग्रीमेंट अरबन और रूरल का एक होगा लेकिन बिजली की सप्लाई दो तरह की होगी। कृपा करके एग्रीमेंट अलग-अलग कीजिये। जब दोनों को एक तरह से बिजली नहीं दे सकते तो अरबन का अलग और रूरल का अलग एग्रीमेंट कीजिये और अपने आपको भी बांधिए कि अगर इतने घंटे बिजली नहीं दे पायेंगे तो मिनिमम गारंटी से इतना कम हो जायगा। 6 घंटे आपने कैलकुलेट किया है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र के माननीय विधायक ने अगर यह कहा हो कि हमको कन्टीन्यूड 6 घंटे बिजली मिली है तब तो आपकी मिनिमम गारंटी सही है। इस तरह से बिजली नहीं मिल रही है। इसलिए मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे प्रदेश के किसानों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, कामर्शियल और डोमेस्टिक वालों के लिये इस तरह के आदेश जारी करें।

(श्री मंजूर अहमद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता---

आप केवल 5 मिनट ही बोलें। क्योंकि 5 बजे तक इस पर चर्चा होनी है और अभी मन्त्री जी को भी बोलना है। कटौती के प्रस्तावक को भी बोलना है। इसलिए 5 मिनट से ज्यादा समय न लें।

श्री मंजूर अहमद---

मुझे 10 मिनट का समय दें। यह मेरी आपसे दरख्वास्त है माननीय मन्त्री जी, जो हमारे विरोधीदल के नेता रहे हैं और जिस बोर्ड को ये सफेद हाथी कहा करते थे वह अब थोड़ा ठन्डा है। क्योंकि मन्त्री जी पहाड़ से आये हैं, हाउस भी ठन्डा है, उनका बंगला भी ठन्डा है और गाड़ी भी उनकी ठन्डी है और साथ ही गर्मी अब ठन्डी हो रही है। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण और जरूरी महकमा है कि जिसके जरिये मानव समाज का विकास सम्भव नहीं है। इसके बगैर न तो बीमारों का इलाज हो सकता है और न खेतों में पैदावार. न ही लघु उद्योग और न ही बड़े उद्योग बगैर इसके चलाए जा सकते हैं। आज तो यहां तक कि हर वक्त पानी और सफाई का काम भी दूसरे तरक्कीशुदा देशों की तरह इसी बिजली के जरिये सम्भव है। माननीय, 33 वर्ष आजादी के गुजर जाने के बाद भी हमारे शहरों की क्या हालत है। देहातों को तो छोड़ ही दीजिये। सब कहते हैं कि देहातों की तरफ चलो। कितने देहातों की तरफ चल रहे हैं। आज सारे देश के लोग जानते हैं कि 80, 90 प्रतिशत लोगों को साफ हवा और पानी नहीं मिल रहा है देहात में रहने वाले लोगों की क्या हालत होगी। जहां तक कनेक्शन काटने का सवाल है, मैं मेरठ मंडल के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां पर 5–6 करोड़ रुपया बड़े–बड़े उद्योगपतियों पर बकया है। रुपया बकाया भी है और फिर भी कटता नहीं है। यदि एक किसान पर 500 रुपया बाकी हो जाय तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। यह पुरसाहाल है। हमारे यहां दो–तीन पावर हाउस चलने वाले थे, चाहे वह बुनकर हों या ढलाई का काम करने वाले हैं उनके भी कनेक्शन काट दिये जाते हैं। दो–तीन वर्ष तक कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत से सेल आपने बना दिये। हाइडिल का भी एक सेल है। मैं यह

नहीं कहता कि जो हमारे इंजीनियर हैं उनके बगैर हमारे देश का विकास हो जाय, तेल कौन निकालेगा, बिजली कौन बनायेगा, इन्जीनियरों ने भी बड़ा काम किया है। लेकिन जब से हमारा यह बोर्ड बना और जो आज हमारी क्षमता बिजली पैदा करने की है, जैसा कि हमारे भाई करेप्शन के बारे में कहते हैं कि इसके अन्दर करेप्शन है। लेकिन करेप्शन तो तब होता है जब 100 में से 50 करेप्शन करते हों और भ्रष्टाचार तब है जब 100 में 60 भ्रष्टाचार करते हैं।

मान्यवर, जब 100 फीसदी लोग भ्रष्ट हों वहां पर तो उसको भ्रष्टाचार न कहकर शिष्टाचार कहेंगे क्योंकि वह सृष्टि करने में लगे हैं। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है मैं मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि यह इसे देहरादून से न नापे बल्कि बद्रीनाथ से चायना के बाडर से लेकर बलिया और देवरिया तक लें। मान्यवर, आपको इस बोर्ड को सुधारना होगा। सीतापुर में एक बिजली के इंजीनियर ने 9 लाख रु० की घी के कारखाने में चोरी पकड़ी थी उसका क्या हुआ कि उसको मित्तल साहब ने सजा दी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से समय निकल जाता है। अगर सतर्कता विभाग से जांच हो भी गई और सही पायी गई तो वह भी अलमारियों में रखी रह जाती है उसपर कोई कार्यवाही नहीं होती है। अगर सही माने में कार्यवाही हो तो 90 परसेंट लोग मय मित्तल साहब के जेल में चले जायेंगे। चाहे जिसका राज्य हो, चाहे जो अपने को क्रांतिकारी कहने वाले हों उनका राज्य हो यह नौकरशाही जो है उनको प्रभावित कर लेती है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री मंजूर अहमद—

आज आप पता नहीं क्यों खफा हैं, मैं खतम कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि वह समस्त प्रदेश के हित में इस बोर्ड का ओवरहाल करके करप्शन को रोकें और पूरे प्रदेश के किसानों को जिस रेट में मिल मालिकों को बिजली देते हैं उसी रेट पर दें तब हम समझेंगे कि इंदिरा गांधी के स्वप्नों को आप पूरा करना चाहते हैं और देश को विकास की तरफ बढ़ाना चाहते हैं।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं बहुत देर बाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और विद्युत मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मगर उसके साथ–साथ जो चीज हमारी जानकारी में आई हैं वह भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज विद्युत पर ही प्रदेश की उन्नति और अवनति मुनहसर करती है। हमारे बहुत से साथियों ने बहुत से सुझाव दिये, कहा गया कि जो हमें उत्पादन करना चाहिए वह नहीं कर पा रहे हैं और 60 परसेंट उत्पादन कर रहे हैं उसके साथ ही एक साथी ने कहा कि बिड़ला साहब ने जो स्टेटमेंट में निकाला है उसमें 44 परसेंट ही उत्पादन कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रदेश की उन्नति के लिए बिजली की जो स्थिति है उससे इसको धक्का पहुंच रहा है और इंदिरा जी के अरमानों को भी धक्का पहुंच रहा है। श्रीमन्, मैं आग्रह करूंगा, यहां पर कोयले की बात कही गयी कि इतना कोयला आया और उससे कम उत्पादन हुआ

[श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--]

तो बाकी कोयला कहां चला गया जिससे पूरा उत्पादन होता है इसका किसी के पास जवाब नहीं है। तारों की चोरी की बात आई, किसी भी स्तर पर देख लिया जाय तो सही माने में जितने भी लोग उससे संबंधित हैं उन सब के खिलाफ क्या होगा यह भगवान ही मालिक है। मैं पिछड़े हुए प्रतापगढ़ जिले से आता हूं। वहां के लिए क्या स्कीम है किसी को कोई पता नहीं, वहां पर सेंट परसेंट बिजली की कटौती रहती है। आप चाहे खेती के मामले में देख ले, उद्योगों के मामले में देख लें, बुनकरों के मामले में देख लें, हथकरघों के मामले में देख लें किसी को बिजली समय से नहीं मिलती है और मिनिमम चार्जेज जरूर वसूल किये जाते हैं। आप वसूली करें लेकिन उसके लिए यह गारंटी दे कि हफ्ते में कम से कम इतनी बिजली अवश्य मिलेगी। अगर ऐसा नहीं है तो आप वसूली के हकदार नहीं हैं।

आप जानते हैं अक्तूबर के महीने में, पिछली सरकार ने आदेश दिये थे मिनी स्टील प्लांट्स को बिजली नहीं दी जायेगी क्योंकि प्रदेश में सूखे की स्थिति चल रही थी परन्तु उसी के डेढ़ महीने बाद, दिसम्बर महीने में जब हमारी फसल बोई गई, मिनी स्टील प्लान्ट एसोशिएशन के अध्यक्ष, उस समय के विद्युत मंत्री और मुख्य मंत्री से मिले और, उसके बाद उनको तुरन्त बिजली कनेक्शन दे दिया गया। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि दिसम्बर महीने में जो बिजली दी गई, रोकने के बावजूद, उसकी जांच कराई जाय और दोषी अधिकारी के खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जाय। एक उदाहरण और देना चाहता हूं दिनांक 14 अगस्त को जिलाधीश, उन्नाव ने उन्नाव के दो अधिकारियों श्री एस० पी० श्रीवास्तव, एस० डी० ओ० और यूनियन के नेता के खिलाफ एक शिकायती पत्र भेजा कि इनमें बड़ा टेंशन है, उन्हे उन्नाव से हटा दिया जाए। किन्तु उस डी० ओ० पत्र को हमारे मित्तल साहब ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। यदि इस तरह से आप करेंगे तो कैसे प्रदेश की उन्नति होगी। हमारे मन्त्री जी जो बहुत कर्मठ हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह की चीजें यदि आप अपने नीचे चलने देते हैं तो प्रदेश चलने वाला नहीं है। आप इसको रिआर्गनाईज करें और बेईमानों को इसमें से अलग करें। मैं केवल इस तरह की बात नहीं करता हूं कि वह सब चोर हैं, किन्तु यदि चोर कोई हैं तो आप उन्हें साहूकार सिद्ध करें। इन्हीं एस० पी० श्रीवास्तव ने, कोई जोनल इंजिनियर श्री माथुर लखनऊ में हैं, उनके यहां 10 हजार रुपये के टाईल्स दिया है। आप लखनऊ में उसके बारे में पता लगा लें और उनके घर पर जांच करा लें लखनऊ में घर बनवाया है। आज यदि उनसे पूछा जायेगा तो वह उसकी रसीद नहीं दे पायेंगे, यदि कल पूछते हैं तो बात दूसरी है। मैं अधिष्ठाता महोदय का आभारी हूं और मन्त्री जी से आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर वह ध्यान देंगे। हमारे जनपद में बिजली की स्थिति बहुत दयनीय है, वहां अल्मूनियम के तार और अन्य सम्बन्धित चीजों की बहुत कमी है। इनकी कमी के कारण जिले में बहुत से कनेक्शन रुके पड़े हैं। इसलिए बिड़ला, सिंहानिया के पास हमारा जो करोड़ों रुपया बकाया है, उसको आप अविलम्ब वसूल करें और यदि वह इसे नहीं देते हैं तो आप उनके उत्पादित माल को रुकवा लें और उनके सामान को बिकवा कर अपने बकाये की पूरी वसूली कर लें। इस पर आप गौर करें और बेईमानों का जायजा सख्ती से लें। इसके साथ में बजट का अनुमोदन करता हूं।

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं, जिन सदस्यों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपने विचार व्यक्त किये हैं। साथ ही साथ में विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के उन साथियों का भी आभारी हूं, जो संख्या के बल पर प्रस्ताव पर मतदान होने पर भले ही उधर मतदान करें, लेकिन उन्होंने अपने विचार और भावना से पूर्णतया हमारे प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। विशेष रूप से श्री काशीनाथ मिश्र, श्री श्यामलाल बाजपेयी, श्री जेतली, श्रीमती किशोरी शुक्ल, श्री भोला पान्डेय और मंजूर अहमद का आभारी हूं। काशीनाथ मिश्र ने अपने भाषण में एक शब्द यह भी नहीं कहा कि मैं अनुदानों का समर्थन करता हूं। इस सब कारण से मैं मंत्री जी से यह चाहूंगा कि सदन की भावना को देखते हुए, जो विचार आपके सामने आए हैं. वह उन सब को स्वीकार करें और यदि आप समझते हैं कि हमारी आलोचना और सुझावों में बल है एवं तर्क संगत हैं तो आज आप हमारे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। मान्यवर, बहुत सी बातें यहां पर रखी गयी लेकिन मैं यह नहीं समझ सका कि केवल एक वाक्य यह तो अवश्य रखा गया कि माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का मैं समर्थन करता हूं लेकिन कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जिसने इस विभाग की भरपूर आलोचना न की हो। हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हमारे पास बहुत सी योजनायें हैं लेकिन मैं सूचना के तौर पर उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी प्रोजेक्ट बिजली विभाग का आज प्रदेश में काम नहीं कर रहा है। सब में काम रुक गया है। आज लाखों रुपये का डैमरेज विद्युत परिषद द्वारा रेलवे विभाग को दिया जा रहा है बोर्ड के पास पैसा नहीं है कि ये उसको अदा कर सकें और अपने माल को वहां से छुड़ा सकें। कनौरिया इन्ड्रस्ट्रीज को ले लें। आज कनौरिया इन्डस्ट्रीज को 2 पैसे में बिजली दी जा रही है। इसमें भी बड़ा रहस्य है जिसे खोलना उचित नहीं होगा। ऐसे समय में जबकि पूरे प्रदेश में बिजली नहीं है कनौरिया साहब को 2 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने का क्या औचित्य है ?

जहां तक ट्रान्सफारमर्स की चोरी का प्रश्न है प्रदेश में 17 जिले ऐसे हैं जहां प्रवर्तन दल हैं और 39 ऐसे हैं जहां प्रवर्तन दल नहीं हैं। जहां पर निगरानी करने वाले लोग हैं वहां पर वर्ष 1976 में 937, वर्ष 1977 में 718 और वर्ष 1978 में 935 ट्रान्सफार्मर्स की चोरी हुयी है लेकिन जहां पर ये दल नहीं थे वहां पर वर्ष 1976 में 542, वर्ष 1977 में 474 और वर्ष 1978 में 455 ट्रान्सफार्मर्स चोरी हुए हैं। अर्थात् जहां पर निगरानी दल है, वहां पर चोरियां ज्यादा हैं। इससे यह आभास होता है कि इनके विभाग वाले लोग ही ट्रान्सफार्मर्स की चोरी कर रहे हैं। मान्यवर, जिस समय लोक दल का शासन था तो उस समय इस समस्या पर विचार हुआ था और मुझे अच्छी तरह से याद है यह सूचना प्राप्त हुई थी कि शत प्रतिशत चोरी विद्युत विभाग के कर्मचारी करा रहे हैं वरना जीवित तारों की चोरी हो ही नहीं सकती है।

(इस समय 4 बजकर 43 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

तीसरी बात यह थी कि हमारे माननीय सदस्य, श्री भोला पान्डेय ने यह कही कि हिन्डालकों को बिजली नहीं दी। उनको शायद मालूम नहीं था, मालूम होना भी नहीं चाहिये, क्योंकि वे तो उस समय लखनऊ कारागार में थे। उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व सूखे के समय 50 प्रतिशत जमीन में हमने सिंचाई ट्यूबवेल्स

[श्री हरी किशन श्रीवास्तव--]

नहरों आदि से करवायी । बिजली विभाग पर बड़ा भार पड़ा जहां पर सिंचाई हो सकती थी हमने रुकने नहीं दिया अन्यथा यहां पर लाखों आदमी भूख से मर जाते । कांग्रेस शासन में किसानों की बिजली काट कर हिन्डालको को बिजली दी गई परन्तु लोकदल के शासन में किसानों को प्राथमिकता दी गई जिसका हमे गर्व है । इन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इन्होंने 30 वर्षों में 400 कोल्ड स्टोरेज को अकेले बिजली दी थी लेकिन हम लोगों ने केवल 2 1/2 वर्ष में 465 कोल्ड स्टोरेज को बिजली दी और कनेक्शन्स दिए और जितने घंटे उनको बिजली मिलनी चाहिये थी , देने का प्रयास किया गया ।

इस विभाग में कोई सुनवायी नहीं होती इस ओर भी कई माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया । बिठूर एक वह स्थान है जहां पर 1857 के गदर की कान्सपीरेसी की शुरुआत हुई थी । एक दिन मैं वहां गया तो लोगों ने मुझे घेर लिया । बात यह थी कि वहां कुछ बिजली के जीवित तार एक तालाब में टूट कर गिरे पड़े थे दो भैंसे उसके करेन्ट से मर गये, 2-3 कुत्ते मर गये, गायें भी मरीं, वहां के निवासियों ने बताया कि 3 दिन से सूचना दी जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है । मैं जब कल्याणपुर बिजली विभाग में गया तो वहां मुझे बताया गया कि यह उनके जूरिस्डिक्शन में नहीं है । तो यह हालत है आपके विभाग की कोई किसी की सुनने वाला नहीं है । जब हम ऊपर के अधिकारियों को टेलीफोन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजर या उसके ऊपर के अधिकारी को, तब काम होता है, जवाब मिलता है घंटा आधा घंटा में काम हो जायेगा, पर एक साधारण आदमी की तो कोई सुनवायी आपके विभाग में है ही नहीं ।

इस विभाग को जिसे आप स्वयं कभी सफेद हाथी कहा करते थे, मेरा सुझाव है कि आप कोई रचनात्मक परिवर्तन इसमें लाइये जिससे साधारण व्यक्ति की भी सुनवायी हो सके । अगर आपने इस विभाग में कुछ सुधार किया तो ख्याति आपकी ही होगी, साथ ही विद्युत उत्पादन बढ़ेगा और प्रदेश का विकास होगा । इन बातों को रखते हुये मैं अपने उन सभी साथियों से निवेदन करूंगा जिन्होंने मेरे कटौती प्रस्ताव के पक्ष में विचार रखे हैं कि वे मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें ।

(विद्युत मन्त्री को पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

श्रीमन्, हमारे दल के किसी भी सदस्य को आज बोलने का समय नहीं मिला है, सबेरे से हम खड़े होते रहे ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी बात हम सुनते, अगर मन्त्री जी को बुलाने के पहले आप कहते । मंत्री जी को बोल लेने दीजिये, मैं आपको फिर मौका दे दूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जब मंत्री जी बोल लेंगे तो आप हमें मौका नहीं देंगे ।(व्यवधान)हमारे दल का आज कोई सदस्य नहीं बोला है । इसलिये इसके विरोध में हमारा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री राम आसरे वर्मा सदन का त्याग कर चले गये)

(श्री खैरुल बशर भी सदन त्याग कर चले गये) ।

श्री उपाध्यक्ष--

बस यही कहना था आपको ।

(हंसी)

श्री ब्रह्मदत्त--

श्रीमन्, माननीय सदस्य को जो कुछ कहना था वे मुझे अभी लिख कर दे गये हैं ।

मैं मान्यवर, उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, विशेषकर कटौती के प्रस्तावक महोदय के प्रति, जिन्होंने अपने सुझाव दिये हैं । जो भी सुझाव आये हैं वे विचारणीय हैं । आम तौर पर मुझे यह याद दिलाया गया कि जब मैं विधान परिषद में विरोधी दल का नेता था तो बिजली विभाग के बारे में यह कहा करता था, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मेरी स्मरण शक्ति कमजोर नहीं है वह सब बातें मुझे याद हैं और आज भी मैं उन सब बातों से सहमत हूं जो उस वक्त कहा करता था । लेकिन आज की स्थिति में केवल इतना अन्तर आया है कि मुझे अवसर वह मिला है उन सुझावों को कार्यान्वित करने का जो उस समय मैं सुझाव दिया करता था और मैं अनुग्रहीत हूं माननीय सदस्यों का, सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने अपने सुझाव दिये, चाहे वह इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य वगैरह आपस में बात न हो तो अच्छा है ।

श्री ब्रह्मदत्त--

आमतौर पर कार्य कुशलता की बात बहुत कही जाती है कि अकुशलता है। मान्यवर, मैंने इसमें छिपाने की कोशिश नहीं की और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि सबसे पहले कुशलता देखी जाती है कि हम अपनी मशीनों का कितना उपयोग लेते हैं । 79-80 में वह 45 प्रतिशत थी । उत्तर प्रदेश में वह 44 प्रतिशत थी । हम औसत से कम थे । लेकिन एक बात मैं माननीय सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि 76-77 में जब माननीय नारायण दत्त तिवारी यहां के मुख्य मंत्री थे और कांग्रेस पार्टी का मन्त्रिमन्डल था, यह लोड फक्टर 65.7 था और उसके बाद 77-78 का साल आया, यह लोड फैक्टर 62 प्रतिशत रह गया । 78-79 का लोड फैक्टर 60.4 रह गया । मान्यवर, इसमें 2-3 बात समझ में आती है । हमारी विद्युत् परिषद् एक स्वायत्त-शासी संस्था है । मैं यह मान कर चलता हूं कि हम लोगों को यह अधिकार प्राप्त है कि हम नीति सम्बन्धी बात कहें और विद्युत परिषद् की खूब आलोचना करें । मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने आलोचना की, चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों, हम उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे और कहीं गड़बड़ होगी, तो उस पर कंट्रोल करेंगे । लेकिन दैनिक प्रशासनिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे । हमारे नेता सदन महोदय ने कर्मचारियों से बातचीत की थी । जब तक उनके पास यह विभाग रहा वह कर्मचारियों से बातचीत करते रहे और उसके फलस्वरूप कुछ निर्णय भी लिये और

[श्री ब्रह्मदत्त--]

वह निर्णय हमारे लिये मान्य भी हैं । अवर अभियन्ताओं को मोटर साइकिल भत्ता 30 और 20 से 50 रुपये कर दिया । मान्यवर, जिस समय यह विभाग का भार मेरे ऊपर आया, कुछ दिन बाद पनकी में एक एक्सीडेंट हो गया । हमारे एक इंजीनियर के ऊपर बिजली का तार गिर गया । लेकिन हमने आदेश दिया कि इनका पूरा इलाज किया जाय । लेकिन इलाज के बावजूद भी बचा नहीं पाये । गुस्सा था लोगो में काम बन्द हो गया । यहां पर मीटिंग कर रहे थे और हमें पता चला कि अंधेरा हो गया । इतने में हमारे एक सचिव ने आकर बताया कि सारे यू0 पी0 में अंधेरा हो गया । उसी समय हम शक्ति भवन गये और वहां पर जाकर जो व्यवस्था की जा सकती थी की और सभी लोगों को बुलाया, कर्मचारियों को अभियंताओं को भी, मैंने केवल एक शब्द कहा, उस शब्द से साढ़े 11 बजे केवल दो जगह कानपुर और बुन्देलखण्ड को छोड़कर सब जगह लाईन आ गयी ।

(शोर)

अनेक सदस्य--

वाह-वाह.....

श्री ब्रह्मदत्त--

वाह वाही न करिए। केवल सुनिए केवल एक बात मैंने कही और सब जगह काम चालू हो गया । इसलिए मैं बताना चाहता हूं

(शोर)

जो हम कर सकते थे, किया । मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि विद्युत परिषद् में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जहां इस प्रकार की घटना हो जाए, तो उसके लिए क्या किया और दिया जाना चाहिए कि जो लोग काम करते हुए मर जाएं।

(व्यवधान)

श्री ऊदल--

अगर आपके विद्युत परिषद् में जोनल इंजीनियर, अधीक्षण अभियन्ता व अन्य उच्चाधिकारी ने थोड़ी भी सहानुभूति दिखाई होती, तो इस काम की यह नौबत न होती ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

लाश कितने दिन पड़ी रही ?

(शोर)

श्री ब्रह्मदत्त--

लाश के बारे में माननीय सदस्य ज्यादा जानते होंगे । लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब मैं दूसरे दिन वहां गया तो लाश नहीं थी । मैं तो समझता था कि मैं जिस भावना से बता रहा हूं, उसी भावना से आप भी लेंगे।

(व्यवधान)

जब मैं वहां गया, तो सारे अधिकारी गण मुलाकात के लिए मौजूद थे, सारे हालात सुने और जो मुझसे किया,...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने तो सुना था कि आपके कार्य की बड़ी सराहना की जा रही थी और उन लोगों का कहना था कि आपके जो मातहत हैं, उन्हीं की भावना के अनुसार बात हुयी ।

श्री ब्रह्मदत्त—

हां, मैं माननीय ऊदल जी की बात को मानता हूं जैसा कि उन्होंने कहा कि अधिकारीगण सहानुभूति दिखाए होते तो मैं उनको यह जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का राज्य विद्युत् परिषद् ही सर्वोपरि नहीं है, बल्कि मंत्रिमण्डल उससे ऊपर है और मंत्रि—मण्डल को समस्या को हल करना है

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

उस अधिकारी, श्री शुक्ला के बारे में भी सदन में एनाउन्स कर दें, जिसकी सूचना अपमान से सम्बन्धित एक लेडी विधायक ने दी, तो पता चले आपके....

(शोर)

श्री ब्रह्मदत्त—

लेकिन शासन को स्पष्ट रूप से (शोर) विद्युत् परिषद् के अधिकारी का सवाल नहीं है, कोई भी अधिकारी किसी भी माननीय सदस्य का अपमान नहीं कर सकता । इस मामले को देखा जायेगा, अवश्य....

(व्यवधान)

अनेक सदस्य—

अगर आप में हिम्मत है, तो इसका एलान कीजिए ।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त—

मैं इस प्रकार के चीखने चिल्लाने से किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूं, कोई भी काम मुझ से कोई दबाव में लाकर नहीं ले सकते ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग शांत रहें । आप लोगों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मुझे यहां बैठाया है, आप लोगों ने मुझे बताया । मैं स्वयं इस मामले को देखूंगा ।

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि गवाह चुस्त और मुदई सुस्त। जैसा कि माननीय सदस्य ने अपमान और दुर्व्यवहार की बात सुनाई। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मुझे लिखकर दें, मैं इसकी. . .

अनेक सदस्य--

इस सदन में सारी बातें हो चुकी हैं, और आपने सुनी है, जो सदन की सम्पत्ति बन चुकी है अब अलग से गवाही की कोई आवश्यकता नहीं।

श्री ब्रह्म दत्त--

सदन में एक सदस्य के प्रति दुर्व्यवहार की बात आयी, मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं कि उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, अवश्य की जायेगी, लेकिन उसे लिखकर बताएं सारी स्थिति के बारे में।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं देखूंगा आप लोग कृपया शांत रहें। दुर्भाग्य से मैं उस वक्त उपस्थित नहीं था, जिस वक्त यह बात आयी थी, मैं कार्यवाही देखूंगा और यह जानकारी करूंगा कि किस अधिकारी द्वारा ऐसा किया गया है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। माननीय मंत्री जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में आप जो व्यवस्था देंगे, जो निर्देश होगा, स्वीकार किया जायेगा। लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा हम भी कसूर करते हैं, चेयर के प्रति करते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से माननीय सदस्य को हमको बताना. . . .

श्री उपाध्यक्ष--

इस विषय में आपसे बात करूंगा आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

माननीय मंत्री जी उत्तेजित न हो। माननीय सदस्या ने सदन में कहा था और आपके दल की एक विधायक ने समर्थन किया था कि एक अधिकारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। यह मंत्री के विरुद्ध नहीं है। अधिकारी के विरुद्ध कहा जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपसे कहा कि यह दुर्भाग्य था कि मैं स्वयं उस समय अनुपस्थित था, मैं कार्यवाही देखने के बाद, मैं खुद जो कुछ अपने सदस्यों के मान, प्रतिष्ठा की सदन में रक्षा कर सकता हूं, करूंगा।

श्री ब्रह्म दत्त--

दूसरी बात विद्युत परिषद् में भ्रष्टाचार की उठाई गई। मैं इस बात से इंकार नहीं करता भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार समाज में है, वहां भी है। लेकिन इसको दूर कैसे किया जाय। इसको दूर करने के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों का

सहयोग चाहूंगा। हमको केवल इतनी बात पता हो कि वहां यह भ्रष्टाचार हो रहा है। हमको इस बात का अवसर मिले कि हम उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषी व्यक्ति को दण्डित कर सके। तब तो भ्रष्टाचार दूर होने की सम्भावना है। और इसकी शुरुआत करने से पहले हमें स्वयं अपने से इसकी शुरुआत करनी चाहिये कि हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे।

एक सदस्य--

माननीय मंत्री जी संकल्प करें।

श्री ब्रह्म दत्त--

संकल्प तो बहुत पहले किया था। भ्रष्टाचार करने वालों को कहीं से कोई संरक्षण नहीं मिलना चाहिये किसी क्वार्टर से। मेरे पास किसी की सिफारिश न आये। मान्यवर, 30 सदस्यों ने हिस्सा लिया है सब तो नहीं हो पायेगा, लेकिन जो 5-6 चीजें मोटी-2 सामने आये उनके बारे में कहूंगा। हमारे उपभोक्ताओं के बारे में बार-2 कहा गया कि किसानों के साथ बड़ी सख्ती की जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मार्च 80 को जो बकाया था वह इस प्रकार से था-- घरेलू एवं वाणिज्य में 14 करोड़ 30 लाख, लघु एवं मध्यम उद्योग पर 11 करोड़ 26 लाख, बृहत एवं भारी उद्योग पर 8 करोड़ 20 लाख, सार्वजनिक रोशनी, पेय व दूषित जल पम्पिंग पर 4 करोड़ 49 लाख, राजकीय नलकूपों पर 1 करोड़ 98 लाख, निजी नलकूप पम्पिंग सेट पर 25 करोड़ 29 लाख, कुल 70 करोड़ 78 लाख होता है। लेकिन जो लोग 50 फीसदी रुपया जमा कर रहे हैं उनका बिजली का कनेक्शन नहीं काटा जा रहा है। मान्यवर, एक बात कही गई कि उपभोक्ताओं का सुना नहीं जाता है इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत करना चाहता हूं एक राजकीय स्तर पर उपभोक्ता परिषद् का गठन करके, इसके गठन पर मैं विचार कर रहा हूं, जिसमें जन प्रतिनिधि लोग अपने-अपने....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

सरकारी परिषद्।

श्री ब्रह्म दत्त--

वह परिषद् पिछले 3 सालों में जो गठन हुआ उससे बेहतर होगा। एक बात कैपटी प्लान्ट के बारे में कही गई। मैंने स्वयं कहा था कि जो कैपटी प्लान्ट लगाना चाहते हैं उनको पूरी सहूलियत हम देंगे। अब एक बात और बताना चाहूंगा कि बहुत पुराने आंकड़े लेकर जिन माननीय सदस्यों को बोलने की आदत है, नये आंकड़े लेकर बोलना चाहिए। 2 पैसे पर किसी को आज बिजली नहीं दी जा रही है। किसी भी व्यक्ति को लागत से कम दाम पर बिजली नहीं दी जायेगी। कुछ चीजें हैं जो राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत तय होती हैं, उसके बाहर हम नहीं जा सकते। यूनियन गवर्नमेन्ट, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट पर फैसला हम छोड़ते हैं, जो निर्णय होता है उसे हम मानते हैं। यूनियन गवर्नमेन्ट ने भी कहा है कि कोई बिजली बोर्ड कम लागत पर बिजली देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।

पहाड़ी क्षेत्र के सम्बन्ध में, जहां से हमारे माननीय सदस्य जसवन्त सिंह जी आते हैं, वहां बड़ी समस्यायें हैं, वहां पर जो माइक्राम हाइडिल प्लान्ट हैं, जो गांव-गांव बिजली देते हैं, को अनुदान देने की बात फिर से स्वीकार की है और पहाड़ी

[श्री ब्रह्म दत्त--]

क्षेत्र के लिए कुछ विशेष सुविधायें देने जा रहे हैं । माननीय सदस्य की चिन्ता स्वाभाविक है, पिछड़े क्षेत्र के सम्बन्ध में एक बुकलेट बंटी है, मेरा निवेदन है कि उसे अच्छी तरह से अध्ययन कर लें, अन्य कोई सूचना देनी हो दे दें, वार्ता करनी हो, कर लें । लिफ्ट कैनाल्स को, पम्पस को जितनी बिजली देने की बात है, बुन्देलखण्ड हमें उतना ही प्यारा है जितना चमोली, लेकिन चमोली एक अन्तर्राष्ट्रीय बार्डर है, नीती और माना हैं, उनको कुछ विशेष सुविधायें हमें देनी ही होंगी । मान्यवर, असल में हमारी दिक्कतें शुरू कहां से हुईं । जहां पिछले सालों में जैसा मैंने निवेदन किया कि हमारी वालाबाल्टी, प्लान्ट्स लोड फैक्टर्स कम हो गये यहां तक कि 60 फीसदी से 40 हो गया । जब हमारे विरोधी दल के उप नेता मंत्री थे 50 हजार नलकूपों को बिजली मिलनी थी लेकिन केवल 36 हजार को मिली । इस प्रकार हरिजनों की बड़ी बात कहते हैं लेकिन कुल 1561 को बिजली मिली । लेकिन इसको भी मैं बताना चाहूंगा कि जिन चीजों को बिजली दी जानी चाहिये उनको नहीं दी गई । कैसे विद्युतीकरण हो सकता है, इस सम्बन्ध में मन्त्रि परिषद् की एक समिति है जो इस पर विचार करेगी । और मान्यवर, कर्मचारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता जो भी काम करते हैं उनके स्पष्टीकरण में जो भी निर्णय होगा, तर्कसंगत और वैज्ञानिक तौर पर द्विपक्षीय वार्ता द्वारा लिया जायेगा । एक बात कहना चाहता हूं जो लोग राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने की, उत्पादन में हानि पहुंचाने की, बिजली व्यवस्था भंग करने की चेष्टा करेंगे, उनको पकड़ा जायेगा जैसे ला एण्ड आर्डर को समाप्त करने वालों को बख्सा नहीं गया, इन्हें भी बख्सा नहीं जायेगा । सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों ने जिस उत्साह और गम्भीरता के साथ इसमें भाग लिया उनका मैं आभारी हूं । मुझे उम्मीद है कि उत्पादन और वितरण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उनके सुझाव हमें प्राप्त होते रहेंगे । यहां मैं फिर दोहराता हूं कि न मैं उत्पादन से सन्तुष्ट हूं और न वितरण व्यवस्था से ही ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय हरी किशन जी, क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

दुर्भाग्य से आप पीठ पर उपस्थित नहीं थे । कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो मेरे विचारों से सहमत न रहा हो । फिर मैं कैसे कटौती का प्रस्ताव वापस ले सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67--विद्युत् विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67--विद्युत् विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 123--विद्युत् विभाग ऋण और अग्रिम के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 123--विद्युत् विभाग ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53,36,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 में 10 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिसमें से एक सूचना श्री श्याम नारायन तिवारी की स्वीकृत की गयी है । यह नौतनवां बाजार, जनपद गोरखपुर में पुलिस के आतंक से फैली भयावह स्थिति के सम्बन्ध में है बाकी सब सूचनायें अस्वीकृत कर दी गयी ।

मद 8 को स्थगित कर दिया गया था । अब मैं मद 8 लेता हूं । माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे ।

श्री गौरी शंकर भैया--

नियम 51 में स्वीकृत सूचना पर वक्तव्य कब आयेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी तिथि आपको सूचित कर दी जायेगी ।

देवरिया जनपद में बाढ़ एवं वर्षा के उपरान्त गैस्ट्रो नामक बीमारी से कई व्यक्तियों का मृत्यु के संबंध में वक्तव्य

(5 बजकर 15 मिनट)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

देवरिया जनपद में 21 जुलाई, 1980 को भारी वर्षा के कारण बाढ़ एवं जल जमाव (वाटर लागिंग) की स्थिति बनी थी ।

देवरिया जनपद में कुल 29 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र हैं । इनमें से 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (एक) भाटापार-रानी, (दो) दुधई, (तीन) खांडा, (चार) रुद्रपुर, (पांच) तरैया-सुजान, एवं (छः) सलेमपुर बाढ़ से प्रभावित हुये तथा अन्य 24 जल जमाव से ।

[श्री लोकपति--]

25 सितम्बर, 1980 तक की सूचना के अनुसार जनपद के 2,816 ग्रामों में से 224 बाढ़ से और 389 जल जमाव से प्रभावित हैं। कुल प्रभावित जनसंख्या लगभग 3,60,000 है।

दिनांक 21 जुलाई, 1980 को गैस्ट्रो से 5 व्यक्ति पीड़ित हुये, जिनमें से 3 की तत्काल उसी दिन मृत्यु हो गई। गैस्ट्रो इन्टायिटिस की पहली सूचना 22 जुलाई, 1980 को दुधाई प्राथमिक केन्द्र पर प्राप्त हुयी थी। तत्काल उपचारिक और निरोधात्मक कार्यवाही की गई। कुल 26 ग्रामों से गैस्ट्रो के केसेज प्राप्त हुये हैं। 21 जुलाई से अब तक गैस्ट्रो से अक्रान्त व्यक्तियों की कुल संख्या 137 है। इनमें से 28 की मृत्यु हो गई है। 24 सितम्बर, 1980 और 25 सितम्बर, 1980 तक कहीं से भी गैस्ट्रो की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

यह कहना ठीक नहीं है कि गैस्ट्रो से इस जनपद में 100 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और हैजे से पचासों व्यक्ति मरे।

प्रभावित क्षेत्र में 1,23,120 नागरिकों को हैजा निरोधक टीके लगाये जा चुके हैं। प्रभावित क्षेत्र में कुओं का विसंक्रमण नियमित रूप से किया जा रहा है। अभी तक 17,242 कुओं में दवा डाली जा चुकी है।

लगभग 45,000 व्यक्तियों को सामान्य रोगों और लक्षणों के लिये आवश्यक उपचार दिया गया है।

प्रभावित क्षेत्र में अनवरत सतर्कता बरती जा रही है और यथाआवश्यकता निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है।

वक्तव्य में जो कुओं के बारे में फीगर्स दी गई हैं, उसमें अगर आप अनुमति दें, तो कुछ सुधार करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

सुधार कर लें।

श्री लोकपति--

मान्यवर, अब तक 6,000 कुओं में दवा डाली जा चुकी है। यह उन्होंने तीन बार दवा डाला है, इसलिए फीगर 17,242 दिया है।

श्री हरि बंश सहाय--

माननीय मन्त्री जी यह कह रहे हैं कि 2,800 गांव हैं जबकि देवरिया जिले में 3,800 गांव हैं। एक तो यही गलत है। फिर आगे माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि 224 बाढ़ से और 389 जल-प्लावन से प्रभावित हैं यह गलत है। मैं कह रहा हूं कि दो हजार गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और जल-प्लावन से प्रभावित हैं। एक बात सूचना के लिए कह दूं कि 65 के बारे में तो सी0 एम0 ओ0 ने प्रेस-कांफ्रेंस में कहा है और मुझे ऐसा लगता है कि 100 नहीं बल्कि 150 से ऊपर लोग मरे हैं। तो बाढ़ के आंकड़े, गांवों की संख्या और मरने वालों की फीगर गलत है। मैं वहीं के एक गांव का रहने वाला हूं। किसी गांव में किसी कुयें में दवा नहीं डाली गयी है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न के रूप में पूछें। यह तो आप तस्वीर रख रहे हैं।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, कुछ हो तो सही वक्तव्य में तो पूछें। उसमें कुछ है ही नहीं मन्त्री जी के वक्तव्य में।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके आने के बाद भी कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं।

श्री हरिवंश सहाय--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि देवरिया जिले के अन्तर्गत गांवों की संख्या 3800 है और बाढ़पीड़ित गांवों की संख्या दो हजार के लगभग है ? दूसरे, मेरी सूचना को सही मानकर 150 से ऊपर मरे हैं, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, किस प्रकार जांच चाहते हैं। गैस्ट्रो केस होता है, तो हास्पिटल दाखिल होते हैं। हास्पिटल से दवा जाती है। उसका नाम दर्ज होता है। अगर गैस्ट्रो हुआ और हास्पिटल में दाखिल नहीं हुआ और नाम दर्ज नहीं हुआ तो इसमें जांच कौन होगी,, श्रीमन् ?

श्री हरिवंश सहाय--

एक तो रिपोर्ट में बाढ़पीड़ित गांवों की संख्या ही गलत है। आप देखें कि वहां कितने गांव हैं ? आपने कहा कि 24 गांव हैं। सिंचाई मन्त्री जी बैठे हुये हैं। मान्यवर, 2000 गांव बाढ़ से पीड़ित हैं। 600 आप कह रहे हैं। तो यह तो गलत है। इसलिए, मान्यवर, मेरा निवेदन है, यह वक्तव्य गलत है। चर्चा करा लें।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

माननीय सदस्य उसी जिले के हैं और स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि जो संख्या बतायी गयी है, वह सही नहीं है। माननीय सदस्य एक तथ्य आपके सामने रख रहे हैं आप उसको आधार मानकर पुनः उच्चस्तरीय जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, अगर यह विवाद है कि 100 मरे या 28 मरे तो मैं जिससे वह कहेंगे, जांच करा दूंगा।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, मेरे जनपद देवरिया में इन मरीजों को रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मन्त्री जी किसी उच्चाधिकारी को भेजकर पता लगा लें। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदमियों से भर गये हैं, लोग प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। देवरिया जिले में स्थिति भयानक हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न बनता नहीं है ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, देवरिया तहसील में 959 गांवों में से 615 गांव जल जमाव और बाढ़ से पीड़ित हैं । मन्त्री जी ने कहा है कि कुल 613 गांव जल जमाव और बाढ़ से पीड़ित हैं । मान्यवर, दो आदमी हरपुर गांव में श्री शिकारी और मंगल सिंह हैजे से मर गये हैं । मैंने इसकी सूचना जिला अस्पताल तथा डी0 एम0 को दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है । पूरे जनपद में हैजे के टीके लगाये जाने चाहिये थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछें ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि गेस्ट्रो के सम्बन्ध में यह वक्तव्य दिया है, लेकिन वहां पर हैजा फैल रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां हैजे का रोकथाम करने के लिये कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, जनपद देवरिया की आबादी लगभग 30 लाख है । मैंने यह बताया कि 1 लाख 23 हजार टीके लगाये गये हैं 6 ब्लाकों में । सम्पूर्ण जनपद में नहीं लगे हैं । अब आवश्यकता होगी, भगवान न करे आवश्यकता पड़े, ऐसा होता है तो सारे जनपद में टीके लगा दिये जायेंगे ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, कितौरा-गोरी बाजार में 6 लोग मर गये हैं । लेकिन टीके नहीं लगाये गये हैं । क्या इसकी जांच मन्त्री जी करायेंगे ? प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकारी को भी इसकी सूचना दी गई है, लेकिन टीके नहीं लगे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य अपना प्रश्न पुनः स्पष्ट कर दें ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, हैजे से केतोरा गांव में 6 लोग मरे हैं, जिसको लिखकर सूचना वहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को दी गई है, लेकिन आज तक कोई वहां टीका नहीं लगवाया गया है । तो क्या मन्त्री जी जांच करके उस केन्द्र के अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, जरूर दिखवा लेंगे ।

श्री जयदीप सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने स्टेटमेन्ट में कहा है कि 28 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, तो क्या उनकी कोई लेबोटरी परीक्षण हुआ है ? यदि हां, तो कौन से जीवाणु मृत्यु का कारण बने हैं, हैजे के जीवाणु थे या गेस्ट्रो के ?

श्री लोकपति--

हैजे और गैस्ट्रो में कोई खास अन्तर नहीं है ।

श्री जयदीप सिंह--

मान्यवर, मन्त्री जी का कहना है कि हैजे से नहीं बल्कि गैस्ट्रो बीमारी से मृत्यु हुई है, तो यह हैजे के टीके लगाने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, गैस्ट्रो का वही इलाज है, जो हैजे का होता है । जिस वैक्सीन का टीका हैजे में लगता है, उसी वक्सीन का टीका गैस्ट्रो में लगता है । इसी प्रकार डी० डी० टी०, गैमेक्सीन का छिड़काव तथा कुयें में ब्लीचिंग पावडर से जल का शुद्धिकरण किया जाता है ।

मेरठ नगर में जहरीली शराब पीने से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(5 बजकर 30 मिनट)

राजस्व मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)--

मेरठ नगर में विषाक्त पेय के सेवन से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना शासन को प्राप्त हुई है । सम्बन्धित जिलाधिकारी से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 20-9-80 से 22-9-80 की अवधि में मेरठ के प्यारे लाल वर्मा अस्पताल में विषाक्त पेय अथवा विषैली स्प्रिट पीने के कारण कुल 18 व्यक्ति भर्ती हुये । इनमें से कुल 12 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई । मृत व्यक्तियों में से निम्नलिखित 11 व्यक्तियों का नजाई बयान मैजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया :--

संख्या	मृतक का नाम	आत्मज/पत्नी	निवासी	थाना
1	2	3	4	5
1	श्री रामफल	श्री तुलसी राम	18, रौनकपुरी	रेलवे रोड मेरठ।
2	श्री आनन्द	श्री बेनी	"	"
3	श्री गंगा राम	श्री साधू	"	"
4	श्री मामराज	श्री कन्हैया	228, पुरवा दीनदयाल	"
5	श्री अब्दुल मजीद	श्री हामिद मजीद	सिटी रेलवे स्टेशन	"
6	श्रीमती शाहिदा	श्री गुलाम मोहम्मद	"	"

[श्री यशपाल सिंह--]

1	2	3	4	5
7	श्री रशीद अहमद	श्री गुलाम मोहम्मद	सिटी रेलवे स्टेशन	रेलवे रोड, मेरठ
8	श्री धनीराम	श्री सुन्दर राव	,,	,,
9	श्री सम्भूराम	श्री रामस्वामी	,,	,,
10	श्री भगवान	श्री मंगल	देवपुर	,,
11	श्री हुलासी राम	श्री मंगली राम	119, सदर चौक	सदर बाजार, मेरठ।

2--उपर्युक्त मृतकों ने मैजिस्ट्रेट को दिए गए अपने नजाई बयान में विषाक्त पेय के सेवन की बात बताई है। 10 मृतकों ने यह बताया है कि उन्होंने विषैली विकृत स्पिट पी थी, जिसे उन्होंने गोयल मेडिकल स्टोर खैरनगर तथा जयचन्द विमल भगवतपुरा, मेरठ से लिया था। एक मृतक ने यह बताया कि उसने निशात सिनेमा के निकट फैडरल होटल (रेस्टोरेंट) से विषाक्त पेय लिया था और वह यह नहीं बता सकता कि उक्त पेय विकृत स्प्रिट थी या विषैली शराब थी। उपर्युक्त मृतकों में से प्रथम 4 मृतकों का नजाई बयान 20 सितम्बर, 1980 को और अंतिम को छोड़कर शेष का नजाई बयान 21 सितम्बर, 1980 को तथा अन्तिम मृतक का नजाई बयान 22 सितम्बर, 1980 को मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया है। मृतकों के विवरण से स्पष्ट है कि 12 में से 10 पुलिस थाना रेलवे रोड के निवासी हैं। विषाक्त पेय अथवा विषैली स्प्रिट का उक्त सेवन भी एक सीमित क्षेत्र में केन्द्रित रही है। इस बारे में 20 सितम्बर, 1980 को थाना देहलीगेट में दर्ज की गयी एफ0 आई0 आर0 से भी यह संकेत मिला है कि नशीली पेय अथवा विकृत स्प्रिट में कोई विषैली वस्तु मिलाकर आदी पीने वालों के हाथ विक्रय किया गया है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी मेरठ ने सूचित किया है कि सभी मृतक फकीर अथवा मजदूर वर्ग के थे। इस घटना के सम्बन्ध में दो अभियोग थाना देहलीगेट, मेरठ में तथा एक थाना सदर, मेरठ में दर्ज किया गया है। थाना देहलीगेट में एक अभियोग सरकार बनाम योगेन्द्र कुमार आदि गोयल मेडिकल स्टोर मेरठ, आई0 पी0 सी0 की धारा 328/304 व ड्रग ऐक्ट की धारा 27 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। दूसरा अभियोग सरकार बनाम जय चन्द आदि, आई0 पी0 सी0 की धारा 328 व ड्रग ऐक्ट की धारा 27 के अन्तर्गत दर्ज है। थाना सदर में भी एक अभियोग आई0 पी0 सी0 की धारा 328 और ड्रग ऐक्ट की धारा 27 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है किन्तु अभी मुल्जिम के नाम का पता नहीं चला है। उपर्युक्त घटना के सम्बन्ध में कुल 5 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

3--मेरठ के थाना सदर बाजार में मृतक हुलासी राम पुत्र मंगलीराम, निवासी सदर चौक बाजार, मेरठ द्वारा भी 22-9-80 को एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गयी है। इस एफ0 आई0 आर0 में मृतक ने यह सूचित किया है कि उसने घर जाकर क्रय की हुयी शराब पी और खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन 10 बजे पूर्वान्ह कचहरी गया और करीब 12 बजे उसे कम दीखना शुरू हो गया। उक्त थाने में ही श्री भगवान पुत्र श्री मंगली, निवासी देवपुर, थाना रेलवे रोड ने भी एफ0 आई0 आर0 दर्ज [illegible] और यह बताया कि उसने

जय चन्द की दूकान से स्प्रिट लेकर पी है जिसके कारण उसकी आंखों से दीखना बन्द हो गया है। इससे पूर्व कानपुर तथा लखनऊ आदि नगरों में जहां विषाक्त पेय से मृतकों की दृष्टि प्रभावित हुयी है तो यह पाया गया है कि मृतकों ने मिथाईल अल्कोहल का सेवन किया था। सम्बन्धित जिलाधिकारी ने इस परिप्रेक्ष्य में 20 सितम्बर, 1980 तथा 22 सितम्बर, 1980 के बीच नगर में 20 फुटकर तथा 5 थोक स्प्रिट बिक्रेताओं के उपलब्ध स्टाक आबकारी विभाग द्वारा सील करा दिये हैं और कुल 27 नमूने विकृत स्प्रिट के लिये गये हैं। देशी मदिरा के भी 18 नमूने नगर की दूकानों से लिये गये हैं और सब नमूने परीक्षण हेतु भेज दिये गये हैं। मेरठ में स्थित 11 अल्कोहल पर आधारित औद्योगिक इकाइयों की भी विस्तृत चेकिंग की गयी है और 2 इकाइयों के डिनेचर्ड स्प्रिट के नियमानुसार हिसाब न रखने की अनियमितता पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। सम्बन्धित जिलाधिकारी ने सूचित किया है कि प्रारंभिक तौर पर की गयी जांच से ऐसी संभावना प्रतीत होती है कि मृतकों द्वारा मिथाईल स्प्रिट/इन्डिस्ट्रियल अल्कोहल का प्रयोग किया गया है और उक्त स्प्रिट अवैध तौर से लाकर इन व्यक्तियों के हाथ विक्रय की गयी हो।

4—प्रदेश की आसवनियों में पहले परिशोधित स्प्रिट को विकृत करने के लिए मिथाईल अल्कोहल का विकारक के रूप में प्रयोग किया जाता था किन्तु मिथाईल अल्कोहल के घातक सिद्ध होने और इसके उपयोग के फलस्वरूप मृत्यु होने के कारण 25 अक्तूबर, 1975 से प्रदेश की आसवनियों में क्रोहनएलडीहाईड तथा पीरीडीन नामक विकारकों के सूत्र का परिशोधित स्प्रिट को विकृत करके साधारण विकृत स्प्रिट बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। मिथाईल अल्कोहल एक प्रकार का विष जैसा है और इस पर आबकारी विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है। आबकारी विभाग इसके उत्पादन, वितरण अथवा प्रयोग के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं करता है। इसी प्रकार आबकारी नियमों के अन्तर्गत देशी मदिरा आबकारी ठेकों के अतिरिक्त किसी होटल आदि में नहीं बेची जा सकती है। इन परिस्थितियों में सम्बन्धित जिलाधिकारी ने घटना से सम्बन्धित तथ्यों की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश 20 सितम्बर, 1980 को कर दिये हैं और सम्पूर्ण मामला अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त) मेरठ के जांचाधीन है।

*श्री ऊदल—

मान्यवर, बयान आप ने बड़े गौर से पढ़ा होगा। मैंने मंत्री जी के बयान को सुना। इसमें दस आदमियों की मृत्यु हुई है। बयान में दिया है कि विकृत स्प्रिट पीने की वजह से मृत्यु हुई। दो रिपोर्ट थाने में दर्ज हैं एक है जोगेन्दर कुमार, मेडिकल स्टोर, खैर नगर और दूसरी जय चन्द विमल, भगवतपुरा, मेरठ। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं क्या यह सही है कि गोयल मेडिकल स्टोर के मालिक योगेन्द्र कुमार पर हत्या का मुकदमा चला था और आज भी वह जेलखाने में हैं तो उनको ड्रग कंट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत मेडिकल स्टोर का लाइसेन्स क्यों दिया गया और इसके अलावा स्प्रिट का लाइसेन्स भी कैसे दिया गया ?

---

*वक्ता ने भाषण का अन्तर्रीक्षण नहीं किया।

श्री यश पाल सिंह--

यह जानकारी तो मुझे इस समय उपलब्ध नहीं है कि धारा 302 के अन्तर्गत वह मुलजिम है। लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने बतलाया कि इसके बारे में भी अवश्य कार्यवाही की जायगी और जिस अधिकारी ने रूल्स के विपरीत स्प्रिट का लाइसेन्स दिया है उनको भी अवश्य सजा दी जायगी।

श्री मन्जूर अहमद--

माननीय मंत्री मेरी यह जानकारी निश्चित मान लें कि गोयल मेडिकल स्टोर है उसके मालिक एक भूतपूर्व मंत्री के रिश्तेदार हैं। वह जमानत पर हैं और उन पर 307 का मुकदमा चल रहा है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उनको स्प्रिट रखने का अधिकार नहीं था तो फिर उनका लाइसेन्स कैंसिल क्यों नहीं किया गया। दूसरे मेथाइल स्प्रिट वह कहां से लाये और उसके लिए क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर किया गया और इसके लिए क्या उनको मीसा में बन्द करने की कृपा की जायगी जिससे आइन्दा लोगों को जानें गवानी न पड़ें? तीसरे मेरी रिपोर्ट को सही मान कर क्या माननीय मंत्री जांच करायेंगे कि 12 आदमी के स्थान पर मरने वालों की संख्या 22 है और लगभग 8 लोग अन्धे हुए हैं और यह संख्या भी वह है जिनका पोस्ट मार्टम अस्पताल में हुआ है और घरों पर मरने वालों की संख्या की जानकारी नहीं हो सकी है? लिहाजा जो लोग मरे हैं अथवा अन्धे हुए हैं उनके बारे में यह सरकार जांच करके रिपोर्ट सदन में रखने की कृपा करेंगी?

श्री यशपाल सिंह--

यह जानकारी तो नहीं कराई गयी कि किसी भूतपूर्व मंत्री के वह रिश्तेदार हैं अथवा वर्तमान मंत्री के रिश्तेदार हैं। बहरहाल जहां तक मुमकिन हो सकेगा उनको एडमिनिस्ट्रेटिव शिकंजे से बचने नहीं दिया जायगा। इसके साथ ही साथ जैसा कि सम्मानित सदस्य ने कहा उनकी जानकारी है कि 20 व्यक्ति मरे हैं तो उनके नाम वह देंगे। हम उनके घर जा कर मालूम करवा लेंगे। फिर जो मृतक हैं उनको छिपाने से हमको कोई लाभ नहीं है। हम जरूर उसकी कोशिश करा लेंगे। एक प्रश्न माननीय सदस्य ने किया कि वह 307 के मुलजिम हैं, मेथाइल स्पिरिट कैसे रख रहे थे। मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी चल रही है। इसके अन्तर्गत जो भी समक्ष आयेगा उसके अनुकूल कार्यवाही की जायगी।

श्री ऊदल--

मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, ड्रग का लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग देता है ड्रग इन्स्पेक्टर उसकी चेकिंग करता है ड्रग और स्पिरिट के बारे में भी, जिन लोगों ने जिन मेडिकल स्टोर्स को लाइसेंस दिये थे, इसके बावजूद भी कि मुलजिम हैं, जिन्होंने जांच भी नहीं किया, इस मामले को मंत्रि परिषद् में ले जाकर, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का मामला है, सिर्फ आबकारी से मतलब नहीं है, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, यह इतना बड़ा काण्ड था जिसमें माननीय सदस्य कह रहे हैं 20 आदमी मर गये हैं, इसमें ड्रग कन्ट्रोलर, ड्रग इन्स्पेक्टर जिम्मेदार हैं, इस मामले को मुख्य मंत्री जी के सामने या मंत्रि परिषद् में ले जाकर उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अनियमित काम किया है उनके खिलाफ कार्यवाही करायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने जांच की बात कही है । वह कैसे करेंगे यह उनका दृष्टिकोण है ।

श्री ऊदल--

मन्त्री जी ने कह दिया कि जांच कर लेंगे । लेकिन मैंने स्पष्ट पूछा कि मंत्रिमण्डल या माननीय मुख्य मंत्री के सामने ले जायेंगे ? यह जानना चाहता हूं ।

श्री यशपाल सिंह--

मुझसे जो पूछा जायगा उसी को मंत्रि परिषद् में ले जाऊंगा । पहले मैं स्वयं कोशिश कर लूं । अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी तो अवश्य ले जाया जायगा ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मेरी जानकारी के अनुसार जो गोयल मेडिकल स्टोर है, एक तो इसको 302 का मुलजिम होते हुए भी लाइसेंस दिया गया । दूसरे मेरी जानकारी है कि इस मेडिकल स्टोर पर मेरठ के एस0 एस0 पी0 की बैठक उठक रहती है । यह ध्यान में रखते हुए क्या ड्रग इन्स्पेक्टर ही इसका नियन्त्रक और निरीक्षक होता है ? क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर किसी इस मामले से सम्बन्धित एक्साइज इन्स्पेक्टर को निलम्बित कर रखा गया है ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, इसमें किसी एक्साइज इन्स्पेक्टर के निलम्बन का प्रश्न अभी है नहीं । लेकिन जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया उसके सम्बन्ध में मैं जवाब दे चुका कि किसी का भी सम्बन्ध इस मुलजिम से हो, बहरहाल उसको कानून के शिकंजे से बचना सम्भव नहीं होगा ।

श्री महेश चन्द्र--

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे, इतने लोगों की जानें गई हैं, इस सन्दर्भ में कोई एक्साइज ऐक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है या नहीं ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, जिन धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा मैंने बताया वह मैंने कहा धारा 328 और ड्रग ऐक्ट की धारा 27 है जिसके अन्तर्गत किया गया है । इसके अलावा किस धारा को माननीय सदस्य चाहते हैं, वह मैंने समझा नहीं ।

श्री महेश चन्द्र--

क्या आप इसकी जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो उन्होंने कह दिया कि जांच करेंगे ।

श्री दामोदर शर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किसी भी स्प्रिट की दुकान से 2 लीटर स्प्रिट कोई भी गरीब व्यक्ति खरीद सकता है लेकिन जो यह मिथाइल अल्कोहल जो गोयल मेडिकल स्टोर में पकड़ा गया है उसने कहां से उसको खरीदा है जिससे वहां 20 आदमी मर गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो मंत्री जी ने बता दिया कि वे इसकी जांच करायेंगे और जो भी व्यक्ति सम्बन्धित होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री दामोदर शर्मा--

मान्यवर, उस पर विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि 2 लीटर स्प्रिट कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है । हर गरीब आदमी स्प्रिट पीता है और सस्ता नशा है, इसलिए इस पर नियंत्रण लगाने की वे कृपा करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न मैं समझा नहीं । अगर उनकी मंशा मिथाइल अल्कोहल से सम्बन्धित है तो आबकारी डिपार्टमेन्ट ने उसके ऊपर बैन लगाया है कि यह इस्तेमाल नहीं होगी । अगर यह इन्डस्ट्रियल अल्कोहल के तौर पर यह इस्तेमाल होती है, कौन कहां से लाता है यह तो सभी को मालूम होगा जब मर्जस्टिरियल इन्क्वायरी से साबित हो जायेगा कि फलां जगह से आया था । तभी कोई कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

श्री मंजूर अहमद--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह ड्रग कन्ट्रोलर के मातहत है और उनकी जिम्मेदारी थी कि जो स्टोर का मालिक था उसने डेढ़ साल पहले कत्ल किया था और उसको सजा हो गई थी । उस पर 307 का मुकदमा चला था । मान्यवर, मिथाइल स्प्रिट का एक्साइज डिपार्टमेन्ट से कोई मतलब नहीं है । तो क्या आप सम्बन्धित इक्साइज इन्स्पेक्टर के खिलाफ कार्यवाही करेंगे । माननीय मन्त्री जी से मैं माकूल जवाब चाहता हूं ताकि आइन्दा ऐसी घटनायें न होने पायें ?

श्री यशपाल सिंह--

माननीय सदस्य मेरे जवाब को माकूल समझें तो मैं कहना चाहूंगा कि हर माकूल कार्यवाही की जायेगी । जो भी रिस्पांसिबुल लोग होंगे चाहे वह ड्रग इन्स्पेक्टर हों या एक्साइज इन्स्पेक्टर हो किसी को बख्शा नहीं जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 46 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
29 सितम्बर, 1980

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी क

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1399 पर)

अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 3793/चार्ल.स–1–15/32/80
उत्तर प्रदेश शासन

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक 28 जून, 1980

राम बहादुर सक्सेना,

मुख्य सचिव ।

प्रिय महोदय,

1—कृपया शासनादेश संख्या 15/82/75–रा0 एकी0, दिनांक 20 अप्रैल, 1976, जो विभागाध्यक्षों को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित है, का अवलोकन करें जिसमें यह निर्देश जारी किए थे कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति की संस्तुतियों के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा अपने विभागीय कार्य–कलापों के विषय में जो वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किए जायें उनमें विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक उद्योगों/निगमों आदि की सेवाओं में इन जातियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति का आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाय ।

2—किन्तु ऐसा अनुभव रहा है कि शासन के उक्त स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी विभागीय वार्षिक प्रतिवेदनों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति का सामान्यतः उल्लेख नहीं किया गया है ।

3—अतः अनुरोध है कि उक्त आदेशों का इस वर्ष तथा भविष्य में नियमित रूप से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से प्रभावकारी एवं ठोस उपायों की व्यवस्था करने का कष्ट करें ।

4—इस हेतु विभागीय वार्षिक प्रतिवेदनों में "अनुसूचित जातियों/जनजातियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति तथा निर्धारित आरक्षण कोटे की पूर्ति की दिशा में की गयी कार्यवाही" नामक एक अध्याय अथवा उपशीर्षक अनिवार्यतः रखे जाने की व्यवस्था की जा सकती है ताकि यह तथ्य सदैव दृष्टिगोचर रहे ।

5—साधारणतया बजट सत्र के समय ही यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की प्रथा है और चूंकि विधान मंडल का सत्र इसी माह आहूत किया जा रहा है, अतः यह परमावश्यक है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तुरन्त की जाय ।

6—इस सम्बन्ध में यह भी अनुरोध है कि कृपया यह भी सुनिश्चित कर लें कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के शासकीय/सार्वजनिक उद्योगों/निगमों आदि की सेवाओं में प्रतिनिधित्व के वार्षिक विवरण जो अलग से राष्ट्रीय एकीकरण विभाग को प्रेषित किए जाते हैं उनमें और विभागीय वार्षिक प्रतिवेदनों में दिए

गये विवरण में कोई भिन्नता न हो जिसके कारण बात में कोई अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़े । अतः इस ओर भी कृपया पर्याप्त सतर्कता बरती जाना अभीष्ट है ।

भवदीय,

राम बहादुर सक्सेना ।

शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव,

(नाम से)

संख्या 3793(1)/चालीस-1-15/32/80, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

(1) सचिवालय की विभिन्न शाखाओं के समस्त समन्वय अधिकारी ।

(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

चन्द्र कुमार वर्मा,

विशेष सचिव ।

प्रमाणित

(जिया लाल रजक)

अनुभाग अधिकारी,

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग-1,

उत्तर प्रदेश शासन,

लखनऊ-1

विधान परिषद उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1313 पर)

जिलाधिकारी उन्नाव के पत्र दिनांक 30-7-80 में निम्नलिखित व्यक्तियों के वेतन के भुगतान हेतु वेतन बिल की महालेखाकार से पूर्व सम्प्रीक्षा कराने के उपरान्त वापसी हेतु अनुरोध किया गया है :

नाम	पद	धनराशि
		रु0
1—श्री श्याम मनोहर बाजपेयी	अमीन	50.50
2—श्री शिवराम	अमीन	51.00
3—श्री राम विलास	अमीन	33.10
4—श्री बशीर खां	तकाबी चपरासी	897.50
5—श्री रज्जन लाल	,,	590.80
6—श्री रज्जू लाल	,,	991.30
7—श्री छेदी लाल	,,	991.30
	योग ..	3,605.50

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1314 पर)

तालिका

श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में निर्मित सम्पर्क मार्गों का विवरण

क्रम सं0	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई कि0 मी0	चौड़ाई मीटर/फीट में	खाद्यान्न की मात्रा जो व्यय हुए (कुन्तल में)
1	2	3	4	5
	1—विकास खण्ड अकबरपुर—			
1	अकबरपुर टांडा सड़क से हाजीपुर मराई मार्ग	1·00	6·1 मी0	112—00—000
2	सैदापुर जाफरगंज स0 म0	4·70	6·1 ,,	521—00—000
3	बनारस रोड से बेलउथाबा—रियारपुर आलमपुर अखई दरगाह, शाहरमजान	4·75	6·1 ,,	411—00—000
4	बनारस रोड से इस्माइल—पुरगंज	0·80	6·1 ,,	65—00—000
5	सोनगांव से ताराखुर्द	7·00	6·1 ,,	693—00—000
6	शाहजादपुर सिझौली लोरपुर, मार्ग	3·00	6·1 ,,	258—00—000
7	शहजादपुर दोस्तपुर सड़क से मानिकपुर	2·00	6·1 ,,	178—00—000
8	शहजादपुर दोस्तपुर सड़क से बेयाना	0·70	6·1 ,,	53—00—000
9	अकबरपुर इल्तफातगंज सड़क से हरीपुर जगदीशपुर	0·70	6·1 ,,	51—00—000
10	जाफरगंज से सिसानी अखई से सोनगांव ताराखुर्द	3·00	6·1 ,,	296—00—000
11	बनारस रोड से मरैला होते हुए ढबरा समेसा	3·00	6·1 ,,	188—00—000
12	लोरपुरतजन से ढुबरा समेसा होते हुए अधिबरवा	1·00	6·1 ,,	88—00—000

1	2	3	4	5
13	दोस्तपुर रोड से अधिरवां	2·00	6·1 ,,	191-00-000
14	लोरपुर अधिवां मार्ग	0·10	6·1 ,,	57-00-000
15	सिझौली धवरहरा सम्पर्क मार्ग	0·75	6·1 ,,	44-00-000
16	लोरपुर दुबरा मरैला सम्पर्क मार्ग	0·25	6·1 ,,	26-00-000
	2—विकास खण्ड जलालपुर--			
17	कन्नूपुर बड़ेपुर स० मा०	3·00	24 फीट	221-92-424
18	अस्ताबादपुर सुरहरपुर (बरियाव वन मार्ग)	3·00	24 ,,	193-17-240
19	गोलपुर किछौछा मार्ग	2·00	24 ,,	201-16-000
20	गोलपुर असौवापार	4·05	24 ,,	387-05-901
21	कटघर चितौना कादीपुर	4·00	24 ,,	380-00-000
22	कालेपुर महुवर सलाहउद्दीनपुर	4·00	24 ,,	458-97-000
23	फतेहपुर सोहगूपर	2·25	24 ,,	346-56--000
24	हजपुरा से कजपुरा मार्ग	2·5	24 ,,	241-36-000
25	हजपुरा सम्मनपुर	6·640	24 ,,	479-15-225
26	बलुआनारी मेहनारपुर	1·75	24 ,,	135-55-000
27	तेन्दुआ धवरुआ मार्ग	0·570	24 ,,	50-16-660
28	रसूलपुर बाकरगंज	1·35	24 ,,	91-11-140
	3--विकास खण्ड भिगांव--			
29	बन्दीपुर से नेवादा तक	3·00	6 मी०	377-00-000
30	बन्दीपुर मुडेहरा	3·00	6 ,,	377-00-000
31	मुडेहरा-कुरछा	10·00	6 ,,	590-00-000
32	पंकोली दौलताबाद	0·50	6 ,,	26-00-000
33	अम्बरपुर शाहपुर	0·30	6 ,,	15-00-000
34	बन्दीपुर महधूपुर	4·00	6 ,,	255-00-000

1	2	3	4	5
35	रफीगंज भिगांव	2·00	6 ,,	100–00–00
36	चकौरा मरहरा	3·00	6 ,,	240–00–00
37	दुल्हपुर करीमनगर	1·00	6 ,,	60–00–00
38	सेमरा सीताघाट	3·00	6 ,,	208–00–00
	4—विकास खण्ड कटेहरी—			
39	पहितीपुर मन्सापुर	4·00	20 फीट	124–38–900
40	तिलौनी बहरी	4·70	20 ,,	459–85–00
41	चल कोडार–भगवान पट्टी	3·00	20 ,,	244–75–00
42	चढ़नी–खजावां	3·00	20 ,,	404–28–00
43	शुकुल पट्टी पहितीपुर	0·85	20 ,,	81–50–521
44	रिडंचानगर–रामपुर बनेथू	0·86	20 ,,	60–02–00
45	कटेहरी ब्लाक कार्यालय एवं ब्लाक बाउन्ड्री	0·50 0·80	20 ,,	57–00–00
	5—विकास खण्ड भीटी—			
46	भीटी उमरावां किछुटी	6·00	20 ,,	523–88–805
47	सेनपर बेला	2·40	20 ,,	163–13–811
48	चपरा–पीठापुर	1·50	20 ,,	125–14–695
49	ब्लाक कालोनी महरुना मार्ग	0·50	20 ,,	23–78–750
50	उमरावां बनगांव बधुवा मार्ग	6·50	20 ,,	490–40–170
51	बौरे–किछुटी	6·00	20 ,,	380–85–750
52	समरसिंहपुर–खजुरी	4·00	20 ,,	313–50–520
53	रनीवा चाचिकपुर	2·00	20 ,,	160–72–100
54	संवपुर खास रुकमंगलपूर	3·00	20 ,,	113–11–310
55	रनीवां–चाचिकपुर	1·00	20 ,,	28–15–00
	योग ..	150·72		

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1315 पर)

गेहूं की अनुमानित उत्पादन लागत का मदवार विवरण 1980–81

	रु0 प्रति हेक्टर
1—मानव श्रम (100 दिन, रु० 7·00 प्रतिदिन की दर से)	700·00
2—पशुश्रम (20 दिन, रु0 18·00 प्रतिदिन की दर से)	360·00
3—बीज (100 कि0 ग्राम, रु0 2·00 प्रति कि0 ग्राम की दर से)	200·00
4—खाद एवं उर्वरक	762·00
5—पौध सुरक्षा	180·00
6—सिंचाई	225·00
7—देख–रेख	80·00
8—भूमि का किराया	500·00
9—अन्य व्यय	240·00
योग ..	3,247·00
भूसे का मूल्य (—)	384·00
प्रति हे0 वास्तविक व्यय	2,863·00
औसत उपज (कु0/हे0)	21·00
प्रति कुन्तल उत्पादन लागत	136·33

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1315 पर)

धान की अनुमानित उत्पादन लागत का मदवार विवरण 1980-81

		रु0 प्रति हेक्टर
1—मानव श्रम (117 दिन, रु0 7·00 प्रतिदिन की दर से)		819·00
2—पशुश्रम (12 दिन, रु0 18·00 प्रति दिन की दर से)		216·00
3—बीज (40 कि0 ग्राम, रु0 2·25 प्रति कि0 ग्राम की दर से)		90·00
4—खाद एवं उर्वरक		776·00
5—सिंचाई		380·00
6—पौध सुरक्षा		100·00
7—रेख-रेख		75·00
8—भूमि का किराया		400·00
9—अन्य व्यय		125·00
योग ..		2,981·00
भूसे का मूल्य (अन्य उत्पाद)	(—)	120·00
प्रति हे0 वास्तविक व्यय		2861·00
औसत उपज (कु0/हे0)		25·00
प्रति कुन्तल उत्पादन लागत		114·44

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1318 पर)

वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों की सूची

क्रमांक	जनपद	तहसील	प्रक्षेत्र
1	मिर्जापुर	मिर्जापुर	तिलुही
2	,,	राबर्ट्सगंज	मंगुराही
3	,,	सदर	पिपराघाट
4	गाजीपुर	सदर	आंकुशपुर
5	,,	सदर	बड़ा बाग
6	,,	जमनिया	लिसौरा
7	जौनपुर	मछलीशहर	मंडी
8	,,	सदर	बक्सा
9	बलिया	सदर	सोहांव
10	,,	बांसडीह	केवड़ा
11	वाराणसी	वाराणसी	कल्लीपुर
12	,,	चन्दौली	चंदौली

पी०एस०यू०पी०—50 एल०ए०—30-10-81—835 (पी०डी०)